

सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2020-21



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2020–21

छत्तीसगढ़ शासन

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	1
विनियोग लेखे का सार	2-17
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	19-21
विनियोग लेखे	
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम
	व्याज की अदायगी और ऋण सेवा (<i>भारित विनियोग</i>)
	23-25
	लोक ऋण (<i>भारित विनियोग</i>)
	26-27
01	सामान्य प्रशासन
	28-32
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय
	33-34
03	पुलिस
	35-40
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय
	41-43
05	जेल
	44-45
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय
	46-49
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय
	50-53
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
	54-58
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय
	59-60
10	वन
	61-70
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय
	71-74
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय
	75-78
13	कृषि
	79-87
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय
	88-91
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	92-95
16	मछली पालन
	96-97
17	सहकारिता
	98-99

		पृष्ठ संख्या
18	श्रम	100–102
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	103–108
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	109–114
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	115–118
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	119–120
23	जल संसाधन विभाग	121–130
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	131–137
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	138–139
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	140–142
27	स्कूल शिक्षा	143–150
28	राज्य विधान मंडल	151–152
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	153–156
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	157–163
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	164–165
32	जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	166–168
33	आदिम जाति कल्याण	169–172
34	समाज कल्याण	173–175
35	पुनर्वास	176
36	परिवहन	177–179
37	पर्यटन	180–181
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	182–185
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय	186–187
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	188–234
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	235–237
43	खेल और युवा कल्याण	238–240
44	उच्च शिक्षा	241–244

	पृष्ठ संख्या	
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	245–247
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	248–249
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	250–255
49	अनुसूचित जाति कल्याण	256
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	257
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	258
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	259
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	260–262
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	263–270
56	ग्रामोद्योग	271–274
57	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	275–276
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	277–283
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	284
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	285–315
65	विमानन विभाग	316–317
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	318–321
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	322–335
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	336–338
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	339–341
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	342–345
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	346–350
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	351–352
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	353–356
80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	357–362
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	363–368
82	अनुसूचित जनजाति उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	369–372
83	अनुसूचित जनजाति उपयोगना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	373

परिशिष्ट

	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-I अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	377-379
परिशिष्ट-II 2020-21 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित किया गया।	380

प्रस्तावना

वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

- मूल मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
 पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
 पुनर्वि. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।
 प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2% से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी (मूल एवं अनुपूरक)।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर है, पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

सभी अधिक व्ययों का विधानसभा से नियमितिकरण की आवश्यकता होगी।

- (1) सभी प्रकरणों में जहां अनुदानों में पूर्ण आधिक्य है कुछ राशि प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उप शीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर है, पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग) प्रभारित	6,27,05,743	00
लोक ऋण (प्रभारित विनियोग) प्रभारित	00	4,84,14,699
01 सामान्य प्रशासन दत्तमत प्रभारित	26,55,572 3,62,730	5,29,376 00
02 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय दत्तमत	14,71,521	8,00,000
03 पुलिस दत्तमत प्रभारित	4,99,76,223 9,600	13,53,866 00
04 गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय दत्तमत	11,68,460	2,23,529
05 जेल दत्तमत प्रभारित	19,59,120 10	7,964 00
06 वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय दत्तमत प्रभारित	6,99,22,024 5,041	8,04,930 00
07 वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय दत्तमत प्रभारित	29,11,478 6,50,635	21,060 00
08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	93,71,118 1,526	23,14,650 00
09 राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय दत्तमत प्रभारित	2,07,400 10	5,000 00
10 वन दत्तमत प्रभारित	1,97,47,195 1,42,482	2,20,450 00

का सार

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

5,69,59,134	00	57,46,609	00	00	00
00	8,02,02,879	00	00	00	3,17,88,180 (₹ 31,78,81,80,497)
17,65,965	3,03,537	8,89,607	2,25,839	00	00
2,50,770	00	1,11,960	00	00	00
1,33,975	00	13,37,546	8,00,000	00	00
4,07,01,473	10,62,138	92,74,750	2,91,728	00	00
1,073	00	8,527	00	00	00
4,64,373	7,996	7,04,087	2,15,533	00	00
14,09,536	5,488	5,49,584	2,476	00	00
00	00	10	00	00	00
7,24,37,923	667	00	8,04,263	25,15,899	00
15,584	00	00	00	(₹ 2,51,58,98,638) 10,543	00
18,71,890	4,774	10,39,588	16,286	00	00
6,07,845	00	42,790	00	00	00
62,03,804	21,20,428	31,67,314	1,94,222	00	00
576	00	950	00	00	00
51,168	00	1,56,232	5,000	00	00
00	00	10	00	00	00
1,51,62,783	1,34,359	45,84,412	86,091	00	00
38,369	00	1,04,113	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	21,60,813	13,28,130
प्रभारित	785	500
12 उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,23,71,260	70,40,382
प्रभारित	23,00,000	00
13 कृषि		
दत्तमत	4,54,36,636	1,56,870
प्रभारित	1,750	00
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	51,08,712	1,05,400
प्रभारित	2,000	00
15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	20,03,874	5,20,000
16 मछली पालन		
दत्तमत	6,93,098	7,500
प्रभारित	20	00
17 सहकारिता		
दत्तमत	23,22,574	2,40,002
प्रभारित	15	00
18 श्रम		
दत्तमत	21,58,485	00
प्रभारित	20	00
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
दत्तमत	2,62,08,627	18,87,638
प्रभारित	10,244	00
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
दत्तमत	33,73,889	52,69,092
प्रभारित	5,100	00
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	23,54,835	38,14,300
22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय		
दत्तमत	2,34,612	00
प्रभारित	5	00

का सार-जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
16,52,006	85,320	5,08,807	12,42,810	00	00
00	00	785	500	00	00
2,21,79,987	36,98,867	1,91,273	33,41,515	00	00
22,50,000	00	50,000	00	00	00
4,00,69,743	49,388	53,66,893	1,07,482	00	00
167	00	1,583	00	00	00
37,44,004	51,349	13,64,708	54,051	00	00
00	00	2,000	00	00	00
13,81,813	90,000	6,22,061	4,30,000	00	00
5,48,046	6,509	1,45,052	991	00	00
00	00	20	00	00	00
12,59,648	1,30,000	10,62,926	1,10,002	00	00
00	00	15	00	00	00
15,09,502	00	6,48,983	00	00	00
00	00	20	00	00	00
2,41,24,424	16,88,107	20,84,203	1,99,531	00	00
2,765	00	7,479	00	00	00
21,90,650	42,19,043	11,83,239	10,50,049	00	00
2,025	00	3,075	00	00	00
14,77,148	8,31,023	8,77,687	29,83,277	00	00
56,642	00	1,77,970	00	00	00
00	00	5	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
23 जल संसाधन विभाग		
दत्तमत	63,15,758	43,81,095
प्रभारित	110	85,500
24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल		
दत्तमत	1,19,19,915	1,48,49,906
प्रभारित	00	3,10,130
25 खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	37,46,746	12,66,403
प्रभारित	500	00
26 संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,49,977	7,500
27 स्कूल शिक्षा		
दत्तमत	5,17,56,973	3,83,590
प्रभारित	5,000	00
28 राज्य विधान मण्डल		
दत्तमत	6,23,163	00
प्रभारित	6,700	00
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
दत्तमत	45,70,502	1,29,050
प्रभारित	9,53,580	3,800
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,21,94,709	86,85,900
प्रभारित	1,900	00
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	5,21,520	00
प्रभारित	40	00
32 जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	23,29,620	500
प्रभारित	10	00
33 आदिम जाति कल्याण		
दत्तमत	4,86,67,547	3,450
प्रभारित	1,000	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
46,04,802	29,14,066	17,10,956	14,67,029	00	00
00	00	110	85,500	00	00
78,61,398	1,04,08,167	40,58,517	44,41,739	00	00
00	1,85,033	00	1,25,097	00	00
9,98,607	8,85,661	27,48,139	3,80,742	00	00
00	00	500	00	00	00
2,94,876	16	1,55,101	7,484	00	00
4,10,65,649	2,53,613	1,06,91,325	1,29,977	00	00
00	00	5,000	00	00	00
4,13,868	00	2,09,295	00	00	00
1,511	00	5,189	00	00	00
30,96,209	6,134	14,74,293	1,22,916	00	00
6,03,593	2,627	3,49,987	1,173	00	00
1,48,65,256	76,51,241	1,73,29,453	10,34,659	00	00
00	00	1,900	00	00	00
2,85,149	00	2,36,371	00	00	00
00	00	40	00	00	00
17,61,349	00	5,68,271	500	00	00
00	00	10	00	00	00
4,21,75,655	1,227	64,91,892	2,223	00	00
00	00	1,000	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
34 समाज कल्याण		
दत्तमत	11,39,019	1,000
प्रभारित	40	00
35 पुनर्वास		
दत्तमत	22,192	00
36 परिवहन		
दत्तमत	8,86,152	1,27,600
प्रभारित	2,050	00
37 पर्यटन		
दत्तमत	4,55,000	5,80,000
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,41,63,020	7,93,760
प्रभारित	50	00
40 आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	33,255	11,75,200
41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
दत्तमत	16,64,29,448	3,47,48,843
प्रभारित	10	21,500
42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	00	94,72,680
प्रभारित	00	1,32,500
43 खेल और युवा कल्याण		
दत्तमत	8,17,036	26,950
प्रभारित	30	00
44 उच्च शिक्षा		
दत्तमत	76,73,576	1,20,950
प्रभारित	70	00
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
दत्तमत	8,60,880	36,25,100
46 विज्ञान और टेक्नालॉजी		
दत्तमत	2,35,000	20,000

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
7,97,182	962	3,41,837	38	00	00
00	00	40	00	00	00
16,452	00	5,740	00	00	00
4,59,313	39,687	4,26,839	87,913	00	00
00	00	2,050	00	00	00
2,18,100	1,09,000	2,36,900	4,71,000	00	00
2,18,20,009	00	23,43,011	7,93,760	00	00
00	00	50	00	00	00
17,758	13,831	15,497	11,61,369	00	00
12,48,66,907	2,23,27,909	4,15,62,541	1,24,20,934	00	00
00	00	10	21,500	00	00
00	47,45,477	00	47,27,203	00	00
00	2,546	00	1,29,954	00	00
1,08,024	3,116	7,09,012	23,834	00	00
00	00	30	00	00	00
59,49,695	646	17,23,881	1,20,304	00	00
00	00	70	00	00	00
7,20,483	31,76,428	1,40,397	4,48,672	00	00
87,648	00	1,47,352	20,000	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग		
दत्तमत	36,59,268	3,74,576
प्रभारित	20	00
49 अनुसूचित जाति कल्याण		
दत्तमत	48,070	00
50 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	34,675	00
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व		
दत्तमत	1,32,650	45,000
53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	2,19,735	6,39,013
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	18,63,001	5,22,000
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	1,09,32,151	3,34,150
प्रभारित	10	00
56 ग्रामोद्योग		
दत्तमत	12,48,754	93,020
57 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	10,00,000
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय		
दत्तमत	1,61,95,510	2,000
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	6,500	10,40,000
64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
दत्तमत	5,88,11,137	1,16,42,593
प्रभारित	10	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
21,87,310	70,098	14,71,958	3,04,478	00	00
00	00	20	00	00	00
33,256	00	14,814	00	00	00
23,590	00	11,085	00	00	00
60,787	44,494	71,863	506	00	00
2,12,417	6,39,013	7,318	00	00	00
14,98,500	3,04,800	3,64,501	2,17,200	00	00
65,09,229	1,65,635	44,22,922	1,68,515	00	00
00	00	10	00	00	00
8,77,379	40,465	3,71,375	52,555	00	00
00	00	00	10,00,000	00	00
1,09,56,322	00	52,39,188	2,000	00	00
1,653	10,15,335	4,847	24,665	00	00
4,78,05,648	75,45,228	1,10,05,489	40,97,365	00	00
00	00	10	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
65 विमानन विभाग		
दत्तमत	5,08,927	7,91,160
प्रभारित	10	00
66 पिछड़ा वर्ग कल्याण		
दत्तमत	23,15,310	2,57,300
67 लोक निर्माण कार्य-भवन		
दत्तमत	71,35,138	93,69,171
प्रभारित	8,650	00
68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-भवन		
दत्तमत	00	16,55,740
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण		
दत्तमत	90,65,400	00
71 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव-प्रौद्योगिकी		
दत्तमत	12,75,793	6,50,010
75 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	69,78,100
76 लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	73,00,000
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	92,98,218	22,00,683
प्रभारित	320	00
80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	3,34,52,607	14,80,000
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	2,13,77,527	56,94,668
प्रभारित	7,63,391	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

4,59,670	76,023	49,257	7,15,137	00	00
00	00	10	00	00	00
14,42,431	64,369	8,72,879	1,92,931	00	00
56,48,892	37,74,822	14,86,246	55,94,349	00	00
2,976	00	5,674	00	00	00
00	5,97,748	00	10,57,992	00	00
79,64,725	00	11,00,675	00	00	00
3,56,303	3,50,000	9,19,490	3,00,010	00	00
00	17,68,721	00	52,09,379	00	00
00	45,30,306	00	27,69,694	00	00
71,32,255	10,02,174	21,65,963	11,98,509	00	00
00	00	320	00	00	00
2,94,47,366	7,21,037	40,05,241	7,58,963	00	00
1,65,65,935	53,24,668	48,11,592	3,70,000	00	00
7,63,391	00	00	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
82 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	36,06,601	13,00,000
83 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	5,16,613	8,41,868
योग दत्तमत :	82,13,32,119	16,12,60,668
योग प्रभारित :	6,79,41,217	4,89,68,629
महायोग :	88,92,73,336	21,02,29,297

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
23,88,582	2,25,000	12,18,019	10,75,000	00	00
5,23,101	8,41,868	00	00	6,488	00
				(₹ 64,88,100)	
65,49,76,242	9,61,27,978	16,88,78,264	6,51,32,690	25,22,387	00
6,14,99,779	8,03,93,085	64,51,981	3,63,724	10,543	3,17,88,180
71,64,76,021	17,65,21,063	17,53,30,245	6,54,96,414	25,32,930	3,17,88,180

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :-

अनुदान संख्या और नाम—		अनुभाग
दत्तमत—अनुदान		
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व
83	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व
प्रभारित—विनियोग		
	लोक ऋण	पूंजीगत
06	वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व

वर्ष 2020-21 के दौरान विनियोग लेखे के सार में दर्शाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों से किये गये ₹ 1,33,942 हजार का व्यय तथा वर्ष के दौरान किया गया प्रतिपूरित सम्मिलित है, जिसे परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं, जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	65,49,76,242	6,14,99,779	9,61,27,978	8,03,93,085
घटाइये—वसूलियों का जोड़	1,61,47,578	00	55,71,226	00
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11— में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	63,88,28,664	6,14,99,779	9,05,56,752	8,03,93,085

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

राजस्व:- निरंक

पूँजीगत:- निरंक

(ख) प्रभारित विनियोग :-

राजस्व :- अनुदान संख्या- 06

पूँजीगत:- अनुदान संख्या- लोक ऋण

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुई:-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :-अनुदान संख्या- 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 81 एवं 82

(ii) पूँजीगत :-अनुदान संख्या-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 79, 80 एवं 82

(ख) प्रभारित विनियोग :-

(i) राजस्व:- अनुदान संख्या- 01, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 47, 55, 64, 65, 67 एवं 79

(ii) पूँजीगत:- अनुदान संख्या- 11, 23, 24, 29, 41 एवं 42

लोक लेखा समिति द्वारा उप शीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित किए गए हैं ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाऊचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से सम्बंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतन्त्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सम्बंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।


इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल है।

मामलों का ध्यानाकर्षण—

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों जो इन लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और सम्पूर्णता तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दो अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि के अतिरिक्त ₹ 3,432.11 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया। वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक अधिक संवितरण किए गए ₹ 9,944.52 करोड़ को राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद-204 एवं 205 का उल्लंघन है, जिसमें यह विनिर्दिष्ट है कि राज्य के समेकित निधि से राज्य विधान सभा द्वारा विनियोग के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अतिरिक्त कोई भी राशि आहरित नहीं की जायेगी। यह बजटीय प्रणाली तथा वित्तीय नियंत्रण को प्रभावित करती है एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितता को प्रोत्साहित करती है।

उपरोक्त मामले पर लेखापरीक्षा टिप्पणी 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के "राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" में विस्तृत रूप से दिया गया है।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

दिनांक : 7 मार्च 2022

स्थान : नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष –			
2048—ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2049—ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
मूल	5,85,57,943		
पूरक	41,47,800	6,27,05,743	5,69,59,134
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)57,46,609 57,46,609

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, अगस्त 2020 (₹ 20,739.00 लाख) एवं दिसम्बर 2020 (₹ 20,739.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 41,478.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण-			
मूल	27,500.00		
पुनर्वि.	(-)27,500.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,223.52 लाख की कमी नया बाजार ऋण के लिए प्रावधान पृथक शीर्ष में किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 21,276.48 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 27,500.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2005-06 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2049-01-101-7758-उदय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान-			
मूल	10,000.000		
पुनर्वि.	(-)2,569.18	7,430.82	7,430.82
(3) 2049-01-123-4854-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज-			
मूल	53,000.00		
पुनर्वि.	(-)11,318.42	41,681.58	4,1681.58
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा विनियोग से क्रमशः ₹ 2,569.18 लाख एवं ₹ 11,318.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(4) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज— मूल 80.00 पुनर्वि. (-)80.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2005-06 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गए ऋणों पर ब्याज— मूल 28,000.00 पुनर्वि. (-)5,410.51	22,589.49	22,589.49	0.00
(7) 2049-01-305-2624-पुराने ऋणों का प्रबंध— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)207.16	242.84	242.84	0.00
(8) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज— मूल 1,845.60 पुनर्वि. (-)817.07	1,028.53	1,028.53	0.00
(9) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज— मूल 49,670.69 पुनर्वि. (-)3,180.65	46,490.04	46,490.04	0.00
(10) 2049-03-104-95-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज— मूल 380.50 पुनर्वि. (-)80.43	300.07	300.07	0.00
(11) 2049-04-101-3707-राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज— मूल 10,152.84 पुनर्वि. (-)1,073.84	9,079.00	9,079.00	0.00
(12) 2049-04-101-6721-बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित ऋणों पर ब्याज— मूल 6,192.95 पुनर्वि. (-)3,387.65	2,805.30	2,805.30	0.00
(13) 2049-60-701-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना— (बीमा निधि पर ब्याज)— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)1,407.46	2,092.54	2,092.54	0.00

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना- (बचत निधि पर ब्याज)- मूल 9,000.00 पुनर्वि. (-)4,842.62	4,157.38	4,157.38	0.00
(15) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,309.82	190.18	190.18	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (15) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा विनियोग से क्रमशः ₹ 5,410.51 लाख, ₹ 207.16, ₹ 817.07 लाख, ₹ 3,180.65 लाख, ₹ 80.43 लाख, ₹ 1,073.84 लाख, ₹ 3,387.65 लाख, ₹ 1,407.46 लाख, ₹ 4,842.62 लाख एवं ₹ 1,309.82 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (14) एवं 2012-13 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-6458-5.40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00
(2) 2049-01-101-6459-5.09 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2023- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00
(3) 2049-01-305-2205-नये ऋणों के प्रचालन सम्बन्धी व्यय- मूल 200.00 पुनर्वि. 896.05	1,096.05	1,096.05	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में क्रमशः ₹ 3,510.00 लाख, ₹ 1,782.00 लाख एवं ₹ 896.05 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूँजीगत	4,84,14,699	8,02,02,879	+3,17,88,180
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			84,77,020

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) भारित विनियोग पर हुए ₹ 31,78,81,80,497 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 3,17,881.80 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 84,770.20 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003—105—3731—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ऋण निधि से कर्जे—			
मूल	82,500.00		
पुनर्वि.	(-)269.88	82,230.12	0.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 269.88 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

(2) 6003—110—637—उपाय तथा
साधन अग्रिम—

मूल	66,000.00		
पुनर्वि.	(-)66,000.00	0.00	0.00

₹ 66,000.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2007—08 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 6003—110—779—कमियों की पूर्ति
के लिए अग्रिम—

मूल	26,451.00		
पुनर्वि.	(-)4,944.64	21,506.36	(-)21,506.36

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,592.79 लाख की कमी कम व्यय होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,351.85 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से विनियोग में ₹ 4,944.64 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 6004—09—101—3052—ब्लॉक
कर्जे—

मूल	6,759.71		
पुनर्वि.	(-)6,759.71	0.00	0.00

₹ 6,759.71 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

लोक ऋण—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 6004—09—101—6718— बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार समेकित ऋण—			
मूल	9,326.13		
पुनर्वि.	(-)9,326.13	0.00	0.00

₹ 9,326.13 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003—111—5670—केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां—			
मूल	43,000.00		
पुनर्वि.	2,587.53	45,587.53	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 2,587.53 लाख का आवर्धन अधिक व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया।

(2) 6003—112—91 दिवस के जमा पर विशेष आहरण सुविधा पर ब्याज	0.00	4,02,652.00	+4,02,652.00
---	------	-------------	--------------

व्यय के रूप में दर्शित ₹ 4,02,652.00 लाख की अधिक राशि विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को संपार्श्विक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी आहरण की प्रतिपूर्ति है, जो कोषालय देयकों में निवेश के विरुद्ध रोकड़ शेष को बनाये रखने के लिए है। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 6004—02—101—3052—ब्लॉक कर्ज	0.00	12,180.22	+12,180.22
---------------------------------	------	-----------	------------

₹ 12,180.22 लाख का अधिक व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया है। 2014—15 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुई हैं।

(4) 6004—02—101—6718—बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार समेकित ऋण	0.00	9,326.13	+9,326.13
---	------	----------	-----------

₹ 9,326.13 लाख का अधिक व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया है। 2014—15 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुई हैं।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013—मंत्री परिषद			
2015—निर्वाचन			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2055—पुलिस			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	26,45,572		
पूरक	10,000	26,55,572	17,65,965
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)8,89,607 8,90,915
<i>प्रभारित</i>		<i>3,62,730</i>	<i>2,50,770</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2021)</i>			<i>(-)1,11,960</i> <i>39,989</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	5,27,550		
पूरक	1,826	5,29,376	3,03,537
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)2,25,839 13,410
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 8,896.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 8,909.15 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 01—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013-102-3282-मंत्रियों का वेतन—			
मूल	288.00		
पुनर्वि.	(-)79.89	208.11	209.13
			+1.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 79.89 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान—			
मूल	3,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,140.51	2,659.49	2,652.99
			(-)6.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,140.51 लाख की कमी मंत्रियों से प्राप्त स्वेच्छा अनुदान के प्रस्ताव अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2013-105-9939-मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान—			
मूल	904.00		
पुनर्वि.	(-)69.99	834.01	832.71
			(-)1.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.99 लाख की कमी मंत्रियों द्वारा जनसम्पर्क यात्रा के दौरान वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 2013-108-3282-मंत्रियों का वेतन—			
मूल	95.00		
पुनर्वि.	(-)69.40	25.60	32.67
			+7.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.40 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(5) 2013-108-3283-मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)76.09	123.91	132.77
			+8.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.09 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(6) 2015-101-6262-राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	2,647.60		
पुनर्वि.	(-)1,761.01	886.59	886.93
			+0.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,761.01 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्राप्त नहीं होने, कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा स्थगित किए जाने, नगरीय निकायों, त्रि-स्तरीय सामान्य निर्वाचन एवं पंचायतों के उप निर्वाचन नहीं होने, अधीनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने, दूरभाष की दरें कम होने, निर्वाचन में मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं नवीन भवन में फर्नीचर की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2052-090-4327-सचिवालय—			
मूल	7,084.60		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)1,187.11	5,997.49	5,999.73
			+2.24
समर्पण द्वारा ₹ 1,187.11 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2052-090-5053-राज्य स्थापना			
दिवस समारोह	350.00	171.51	(-)178.49
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(9) 2052-091-458-आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन			
नई दिल्ली का कार्यालय—			
मूल	1,276.66		
पुनर्वि.	(-)388.02	888.64	887.88
			(-)0.77
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 388.02 लाख की कमी मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं होने, बाह्य चिकित्सा विभाग की सेवाएं संचालित नहीं होने, कर्मचारियों द्वारा यात्रा नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं कोविड महामारी के कारण पुस्तकें एवं पत्रिकायें क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2055-101-4544-सी.आई.डी.			
(इकॉनामिक अफेन्सेस)—			
मूल	1,547.80		
पुनर्वि.	(-)719.39	828.41	828.26
			(-)0.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 719.39 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2055-101-5461-एन्टी करप्शन			
ब्यूरो—			
मूल	1,156.20		
पुनर्वि.	(-)533.05	623.15	623.44
			+0.29
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 533.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने, एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2059-80-001-3541-मुख्य तकनीकी निरीक्षक			
का कार्यालय—			
मूल	199.41		
पुनर्वि.	(-)75.02	124.39	124.40
			+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.02 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 2070-003-5435-प्रशासन			
अकादमी—			
मूल	1,376.99		
पुनर्वि.	(-)850.63	526.36	540.06
			+13.70

अनुदान संख्या 01—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 850.63 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2070-800-5405-लोक आयोग-			
मूल	535.12		
पुनर्वि.	(-)252.34	282.78	283.17
			+0.39

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 252.34 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2070-800-5460-विशेष अन्वेषण स्थापना (एस.आई.ई.)-			
मूल	181.89		
पुनर्वि.	(-)93.58	88.31	88.47
			+0.16

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.58 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2251-090-4329-सचिवालय-			
मूल	2,132.90		
पुनर्वि.	(-)733.49	1,399.41	1,400.69
			+1.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 733.49 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(17) 3451-090-4327-सचिवालय-			
मूल	2,130.00		
पुनर्वि.	(-)568.08	1,561.92	1,562.54
			+0.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 568.08 लाख की कमी व्यय में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित-

(iv) ₹ 1,119.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 399.89 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012-03-090-4330-सचिवालय-			
मूल	648.12		
पुनर्वि.	(-)174.72	473.40	472.78
			(-)0.62

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 174.72 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2012-03-102-9060-विवेकानुदान-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)30.39	69.61	69.61
			0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 30.39 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2012-03-103-9059-घरेलू कर्मचारी— मूल 490.87 पुनर्वि. (-)124.08	366.79	366.83	+0.04

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 124.08 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग	2,265.26	1,546.16	(-)719.10
--	----------	----------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2008-09 से 2019-20 के दौरान इस निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 18.26 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 2,258.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 134.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7862-मुख्यमंत्री घोषणाओं की पूर्तियां	5,000.00	2,947.21	(-)2,052.79

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059-01-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3541-मुख्य तकनीकी निरीक्षक का कार्यालय— मूल 200.50 पुनर्वि. (-)124.10	76.40	69.90	(-)6.50
--	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 124.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर नियंत्रण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	2,71,521		
पूरक	12,00,000	14,71,521	1,33,975
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)13,37,546 12,60,736
पूंजीगत :			
पूरक	8,00,000	8,00,000	0.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)8,00,000 8,00,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 12,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 13,375.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 12,607.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-092-6513—मानव अधिकार आयोग—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	240.00	240.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 35.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 2052-092-6705—राज्य सूचना
आयोग—

मूल	672.11		
पुनर्वि.	(-)243.08	429.03	424.74
			(-)4.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.08 लाख की कमी निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2070—800—4678—स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय— मूल 221.10 पुनर्वि. (-)99.56	121.54	121.60	+0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.56 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(4) 2235—60—107—4674—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	180.00	1.82	(-)178.18
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2006—07 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2235—60—800—1982—दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता	600.00	271.28	(-)328.72
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017—18 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235—60—800—7297—लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि	100.00	0.00	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(7) 2250—800—6358—अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण— मूल 69.60 पुनर्वि. (-)29.28	40.32	16.86	(-)23.46
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 29.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2250—800—6368—कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	2.63	+2.63
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

पूँजीगत :

(iv) वर्ष के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अम्पिर्त किया गया।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज अदायगियां			
2055—पुलिस			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,94,70,223		
पूरक	5,06,000	4,99,76,223	4,07,01,473
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)92,74,750 89,27,774
<i>प्रभारित</i>	<i>9,600</i>	<i>1,073</i>	<i>(-)8,527</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>8,528</i>

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	12,88,766		
पूरक	65,100	13,53,866	10,62,138
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)2,91,728 2,45,632

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 5,060.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 92,747.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 89,277.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-200-2629-पुलिस—			
मूल	8,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,287.00	3,713.00	3,713.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,287.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2055-001-3680-राज्य

मुख्यालय—

मूल	9,939.20		
पुनर्वि.	(-)2,323.29	7,615.91	7,593.15
			(-)19.76

समर्पण द्वारा ₹ 2,323.29 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2055-001-7012-पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण— मूल 182.92 पुनर्वि. (-)110.28	72.64	76.67	+4.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.28 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2055-001-7811-डायल 100/112— मूल 5,700.00 पूरक 2,500.00 पुनर्वि. (-)4,187.32	4,012.68	4,012.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,187.32 लाख की कमी डायल-108 का संचालन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं— मूल 5,685.50 पुनर्वि. (-)1,281.76	4,403.34	4,360.77	(-)42.57
समर्पण द्वारा ₹ 1,183.76 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 98.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,281.76 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2055-101-279-अभियोजन संचालनालय— मूल 3,467.60 पुनर्वि. (-)1,353.88	2,113.72	2,109.42	(-)4.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,353.88 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं बजट के साथ प्रशिक्षण पर प्रतिबंध होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2055-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6460-मानव तस्करी विरोधी ईकाई (ए.एच.टी.यू.)— पूरक 360.00 पुनर्वि. (-)360.00	0.00	0.00	0.00
₹ 360.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(8) 2055-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7933-महिलाओं एवं बच्चों के बचाव के लिए फारेंसिक लेब एवं ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(9) 2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)— मूल 1,46,184.60 पुनर्वि. (-)16,665.40	1,29,519.20	1,27,881.55	(-)1,637.65

अनुदान संख्या 03—जारी

समर्पण द्वारा ₹ 16,265.40 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के लिए एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 16,665.40 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2055-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7936-विशेष अधोसंरचना योजना-सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के साथ-			
मूल	4,000.00		
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(-829.93	4,170.07	4,170.07
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 829.93 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2055-108-5067-विधि चिकित्सा विज्ञान-			
मूल	1,305.26		
पुनर्वि.	(-412.24	893.02	898.73
			+5.71

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 412.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2055-109-121-केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती-			
मूल	243.00		
पुनर्वि.	(-119.29	123.71	123.71
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 119.29 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2055-109-4491-सामान्य व्यय- (जिला स्थापना)-			
मूल	2,30,908.25		
पुनर्वि.	(-36,215.04	1,94,693.21	1,92,964.79
			(-1,728.42

समर्पण द्वारा ₹ 36,615.04 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 36,215.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण एवं पुनर्विनियोजन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2055-109-6717-प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय-			
मूल	18,472.50		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-1,326.71	17,645.79	17,635.82
			(-9.97

समर्पण द्वारा ₹ 1,574.71 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 248.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,326.71 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2055-109-8333-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-2,000.00	0.00	0.00
			0.00

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2055-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7660—महिला अपराध अनुसंधान इकाई— मूल 350.64 पुनर्वि. (-)350.64	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,000.00 लाख एवं ₹ 350.64 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(17) 2055-111-2531—पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग (रेलवे पुलिस—पूर्वी विभाग)— मूल 3,917.40 पुनर्वि. (-)967.90	2,949.50	2,929.75	(-)19.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 967.90 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2055-114-4155—बेतार केन्द्र रायपुर— मूल 5,430.60 पुनर्वि. (-)1,452.35	3,978.25	3,948.98	(-)29.27
(19) 2055-115-2643—पुलिस बल का आधुनिकीकरण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,304.76	1,195.24	1,195.24	0.00
(20) 2055-115-0600-7918—नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता— मूल 26,664.00 पुनर्वि. (-)8,872.00	11,792.00	11,792.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (20) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,452.35, ₹ 1,304.76 लाख एवं ₹ 8,872.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(21) 2070-107-2710—प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय— मूल 2,321.25 पुनर्वि. (-)769.79	1,551.46	1,560.06	+8.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 769.79 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2070-107-492—आव्हान पर होने वाला व्यय— मूल 16,050.85 पुनर्वि. (-)3,811.22	12,239.63	12,243.24	+3.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,811.22 लाख की कमी होमगार्ड्स के पद रिक्त रहने, रेल्व वारंट से संबंधित दावे प्राप्त नहीं होने, प्रशिक्षण हेतु शासन से कोटा प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 03—जारी

प्रभारित—

(iv) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2055—109—4491—सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—			
मूल	90.00		
पुनर्वि.	(-)79.27	10.73	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 79.27 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 651.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 2,917.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 2,456.32 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4055—207—3680—राज्य मुख्यालय—			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)547.29	252.71	0.00
(2) 4055—207—4491—सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—			
मूल	1,600.20		
पूरक	651.00		
पुनर्वि.	(-)265.55	1,985.65	0.00
(3) 4055—207—6717—प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय—			
मूल	100.10		
पुनर्वि.	(-)98.10	1.99	0.00
(4) 4055—208—4155—वेतार केन्द्र रायपुर—			
मूल	285.65		
पुनर्वि.	(-)179.86	105.79	0.00
(5) 4055—208—4492—सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)—			
मूल	900.20		
पुनर्वि.	(-)705.45	194.75	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 547.29 लाख, ₹ 265.55 लाख, ₹ 98.10 लाख, ₹ 179.86 लाख एवं ₹ 705.45 लाख की कमी शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2019—20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2017—18 से 2019—20 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4055-208-5067-विधि चिकित्सा विज्ञान	419.50	16.35	(-)403.15
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(7) 4055-208-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2629-पुलिस-			
मूल	8,500.00		
पुनर्वि.	(-)456.01	8,043.99	8,043.99
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 456.01 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 4055-210-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं-			
मूल	214.00		
पुनर्वि.	(-)202.00	12.00	12.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 202.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद्			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	11,13,064		
पूरक	55,396	11,68,460	4,64,373
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)7,04,087 6,88,262
पूंजीगत:			
मूल	2,15,533		
पूरक	7,996	2,23,529	7,996
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)2,15,533 2,14,233

टीका एवं टिप्पणियां—

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 553.96 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 7,040.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 6,882.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013—800—9261—अन्य व्यय—			
मूल	308.00		
पूरक	553.96		
पुनर्वि.	(-)316.36	545.60	644.80
			+ 99.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 316.36 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 2070—106—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7465—रिवेम्पिंग ऑफ
सिविल डिफेंस—

मूल	50.55			
पुनर्वि.	(-)50.55	0.00	0.00	0.00

₹ 50.55 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011—12 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2070—108—7714—राज्य मुख्यालय, अग्निशमन एवं

आपातकालीन सेवाएं—

मूल	260.71			
पुनर्वि.	(-)210.79	49.92	49.14	(-)0.78

अनुदान संख्या 04—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 210.79 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2070—108—7715—नियंत्रण कक्ष, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 86.61 पुनर्वि. (-)76.34	10.27	10.27	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.34 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं वाहन तथा अग्नि शामक यंत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2070—108—7716—क्षेत्र कार्यालय, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 2,829.45 पुनर्वि. (-)1,859.79	969.66	967.65	(-)2.01
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,859.79 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2070—108—7717—प्रशिक्षण केन्द्र, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 275.83 पुनर्वि. (-)224.55	51.28	52.06	+0.78
---	-------	-------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 224.55 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं शासन द्वारा मशीन और उपकरणों के क्रय किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2018—19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2070—108—7718—आपातकालीन सेवाएं— मूल 727.13 पुनर्वि. (-)204.03	523.10	529.18	+6.08
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 204.03 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं वाहनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2235—60—200—3700—राज्य सैनिक बोर्ड	171.10	89.48	(-)81.62
--	--------	-------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(9) 2235—60—200—6704—जनजागरण अभियान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नक्सल प्रभावित जिलों से नक्सल विरोधी जागरूकता के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(10) 2235—60—200—7495—अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)40.83	459.17	391.05	(-)68.12
---	--------	--------	----------

अनुदान संख्या 04—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि पीड़ितों को सहायता प्रदान करने एवं समर्पण द्वारा ₹ 140.83 लाख की कमी निधि का आहरण नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 40.83 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड	640.57	479.17	(-)161.40

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2235-60-200-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7934-केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)380.00	620.00	617.90
			(-)2.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 380.00 लाख की कमी जिलों से इस योजनान्तर्गत पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 3454-01-800-6399-जनगणना कार्य-			
मूल	3,597.41		
पुनर्वि.	3,388.05	209.36	173.43
			(-)35.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,388.05 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-200-2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायता अनुदान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)27.00	473.00	585.62
			+112.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27.00 लाख की कमी निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत :

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4070-800-7716-मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं-			
मूल	502.00		
पुनर्वि.	(-)502.00	0.00	0.00
(2) 4070-800-7718-आपातकालीन सेवाएं-			
मूल	1,634.21		
पुनर्वि.	(-)1,634.21	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 502.00 लाख एवं ₹ 1,634.21 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 05—जेल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2056—जेल			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	19,59,120	14,09,536	(-)5,49,584
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			5,49,473
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	7,964	5,488	(-)2,476
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			2,475
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 5,495.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 5,494.73 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2056-001-2272-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	427.80		
पुनर्वि.	(-)98.20	329.60	329.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.20 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			+0.15
(2) 2056-101-938-केन्द्रीय एवं जिला जेलें—			
मूल	18,067.40		
पुनर्वि.	(-)4,725.57	13,341.83	13,340.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,725.57 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निविदा निरस्त किए जाने, कोविड-19 महामारी के कारण कैदियों की संख्या में कमी होने तथा कैदियों को पैरोल पर रिहा किए जाने एवं आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			(-)1.27
(3) 2056-101-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (समान्य)- 938-केन्द्रीय एवं जिला जेलें—			
मूल	345.00		
पुनर्वि.	(-)166.01	178.99	178.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 166.01 लाख की कमी दरों में वृद्धि से निविदा निरस्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00

अनुदान संख्या 05—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2056-102-1524-जेल उत्पादन-			
मूल	750.00		
पुनर्वि.	(-503.94)	246.06	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 503.94 लाख की कमी कोविड-19 महामारी से जेल उद्योग बंद किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4070-800-938-केन्द्रीय एवं जिला जेलें-			
मूल	78.64		
पुनर्वि.	(-23.75)	54.89	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 23.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम			
2885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय			
7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	6,49,12,024		
पूरक	50,10,000	6,99,22,024	7,24,37,923
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+25,15,899 00
<i>प्रभारित</i>	<i>5,041</i>	<i>15,584</i>	<i>+10,543</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>00</i>

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	4,930		
पूरक	8,00,000	8,04,930	667
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)8,04,263 00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 2,51,58,98,638 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 7,24,379.23 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2020 (₹ 12,000.00 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 38,100.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 50,100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-090-6454-बुनीयादी सुविधाओं का विकास	12,000.00	0.00	(-)12,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(2) 2052-091-4295-संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	150.87	97.16	(-)53.71
(3) 2052-091-4296-संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था	240.25	133.86	(-)106.39
(4) 2052-091-7836-अल्प बचत	131.65	74.16	(-)57.49

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2052-095-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7919-छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	1,471.50	13.91	(-)1,457.59
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2052-003-3843-लेखा प्रशिक्षण शाला	112.42	51.18	(-)61.24
(7) 2054-095-2274-निर्देशन और प्रशासन	2,441.00	1,799.36	(-)641.64
(8) 2054-095-4307-संभागीय स्थापना	1,046.00	637.98	(-)408.02
(9) 2054-095-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7919-छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	150.00	0.00	(-)150.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2008-09 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (8) एवं 2011-12 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2054-097-1026-खजाना स्थापना-			
मूल	4,675.10		
पूरक	सांकेतिक	4,675.10	3,476.22
			(-)1,198.88
(11) 2054-098-4361-स्थानीय निधि लेखा	2,631.10	1,371.79	(-)1,259.31
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2054-098-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7919-छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	150.00	0.00	(-)150.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2071-01-117-6801-राज्य शासन का अंशदान-			
मूल	1,20,000.00		
पुनर्वि.	(-)350.00	1,19,650.00	1,12,899.72
			(-)6,750.28
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 350.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2435-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान	2,200.00	1,025.00	(-)1,175.00
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2885-60-190-4843-अधो संरचना विकास निगम	1,500.00	1,365.00	(-)135.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-101-2413-सेवानिवृत्त वेतन भोगियों को देय— मूल 3,46,800.00 पूरक 20,600.00	3,46,800.00	3,54,214.53	+7,414.53
(2) 2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	3,000.00	19,218.88	+16,218.88
(3) 2071-01-104-4590-सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार	63,000.00	63,469.16	+469.16
(4) 2071-01-105-2514-परिवार पेंशन— मूल 91,500.00 पूरक 17,500.00	1,09,000.00	1,26,999.76	+17,999.76
(5) 2071-01-111-4010-विधायकों को पेंशन	1,050.00	1,863.27	+813.27
(6) 2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	25,000.00	32,631.89	+7,631.89

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (3), 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (4), 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) एवं 2016-17 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था। 2013-14 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	0.10	260.36	+260.26
---	------	--------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(8) 2435-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8671-लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना— मूल 0.01 पुनर्वि. 350.00	350.01	348.23	(-)1.78
--	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 350.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—समाप्त

प्रभारित—

(v) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 1,05,43,231 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) विनियोग में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2071-01-106-600—उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देय	50.00	155.84	+105.84

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 8,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(viii) ₹ 8,042.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4070-095-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6454—बुनियादी सुविधाओं का विकास	8,000.00	0.00	(-)8,000.00

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	29,11,478		
पूरक	सांकेतिक	29,11,478	18,71,890
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)10,39,588 10,29,599
<i>प्रभारित</i>	<i>6,50,635</i>	<i>6,07,845</i>	<i>(-)42,790</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>42,790</i>
पूंजीगत			
दत्तमत	21,060	4,774	(-)16,286
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			16,295

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 10,395.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 10,295.99 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-001-6003-मुख्यालय स्थापना—			
मूल	258.55		
पुनर्वि.	(-)106.91	151.64	151.61
			(-)0.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, फर्नीचर क्रय नहीं किए जाने एवं यात्रा भत्तों के दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2030-02-102-2455-गैर न्यायिक स्टाम्प की

बिक्री पर व्यय—

मूल 300.00

पुनर्वि. (-)286.93

13.07

234.48

+221.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 286.93 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2030-02-797-7428—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण—			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)698.14	2,301.86	2,301.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 698.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			0.00
(4) 2030-03-001-1480—जिला प्रभार—			
मूल	2,487.50		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)986.89	1,500.61	1,499.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 986.89 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा भत्तों के दावे प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)1.48
(5) 2039-001-122—अधीक्षण—			
मूल	4,872.21		
पुनर्वि.	(-)1,554.79	3,317.42	2,321.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,554.79 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			(-)996.05
(6) 2039-001-1470—जिला कार्यपालिक स्थापना—			
मूल	6,703.01		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,104.63	4,598.38	4,660.77
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,104.63 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं कार्य भारित स्थापना में पदों का सृजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			(-)62.39
(7) 2039-102-8629—नये सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को प्रोत्साहन—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग में प्रस्ताव लम्बित रहने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(8) 2040-001-3569—मुख्यालय स्थापना व्यय—			
मूल	1,964.82		
पुनर्वि.	(-)764.41	1,200.41	1,191.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 764.41 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			(-)9.32
(9) 2040-001-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			0.00

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2040-101-1509—जिला स्थापना—			
मूल	7,877.47		
पुनर्वि.	(-)2,352.83	5,524.64	5,525.09
			+0.45

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,352.83 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-101-4612—स्टाम्पों की लागत—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)22.96	77.04	253.98
			+176.94

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 22.96 लाख की कमी स्टाम्पों के मुद्रण देयक प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(2) 2030-01-102-4611—स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय—			
मूल	35.00		
पुनर्वि.	(-)33.34	1.66	216.72
			+215.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 33.34 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2030-02-101-2456—गैर न्यायिक स्टॉम्प की लागत—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)12.77	37.23	254.53
			+217.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.77 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(iv) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-02-797-7429—छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण—			
मूल	6,500.00		
पुनर्वि.	(-)421.55	6,078.45	6,078.45
			0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 421.55 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 2039-001-1470—जिला कार्यपालिक स्थापना—			
मूल	5.00		
पुनर्वि.	(-)5.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 5.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 162.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 162.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेक पूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-80-052-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	65.00		
पुनर्वि.	(-)59.35	5.65	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 59.35 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(2) 4059-80-052-1509-जिला स्थापना-			
मूल	45.50		
पुनर्वि.	(-)45.50	0.00	0.00
₹ 45.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2029—भू—राजस्व			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2216—आवास			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़क तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत	93,71,118	62,03,804	(-)31,67,314
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			30,39,869

प्रभारित	1,526	576	(-)950
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			26

पूंजीगत:

दत्तमत	23,14,650	21,20,428	(-)1,94,222
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,42,456

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 31,673.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 30,398.69 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029—001—456—आयुक्त, भू—अभिलेख तथा बंदोबस्त का कार्यालय— मूल 621.90 पुनर्वि. (-)164.06	457.84	441.47	(-)16.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 164.06 लाख की कमी कर्मचारियों द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं प्रशिक्षण पर व्यय अद्योसंरचना आबंटन (₹ 1.60 लाख) में से किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 162.46 लाख की शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2029—101—5017—पटेली

मेहनताना—

मूल	400.00
पुनर्वि.	(-)198.86

201.14

170.96

(-)30.18

अनुदान संख्या 08—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 198.86 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2029-102-3132—भू सुधार कार्यालय—			
मूल	419.20		
पुनर्वि.	(-)-79.55	339.65	332.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 79.55 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			(-)-7.60

(4) 2029-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
7787—ई—धरती—

मूल	7,200.00		
पुनर्वि.	(-)-6,568.17	631.83	613.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,568.17 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)-17.97

(5) 2029-103-1472—जिला प्रभार—

मूल	32,843.80		
पुनर्वि.	(-)-3,781.92	29,061.88	28,628.92
समर्पण द्वारा ₹ 3,706.99 लाख की कमी मंहगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने, शासन से व्यय की अनुमति प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, परीक्षा के अनुसार व्यय किए जाने एवं प्रशिक्षुओं की संख्या में कमी होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 74.93 लाख की अन्य कमी कलेक्टरों के दिशा निर्देश अनुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,781.92 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)-432.96

(6) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—
908—कृषि संगणना—

मूल	249.40		
पुनर्वि.	(-)-187.40	62.00	22.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 187.40 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने एवं कर्मचारियों द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)-39.53

(7) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—
9981—लघु सिंचाई योजनाओं की

संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय—			
मूल	193.30		
पुनर्वि.	(-)-109.35	83.95	49.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से निधि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)-34.17

(8) 2029-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7635—राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकरण (एन. एल. आर. एम. पी.)—			
मूल	579.98		
पुनर्वि.	(-)-579.98	0.00	0.00
			0.00

अनुदान संख्या 08—जारी

₹ 579.98 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2029-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-			
मूल	335.50		
पुनर्वि.	(-)161.25	174.25	161.78
			(-)12.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 161.25 लाख की कमी शासन से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2029-797-6753-पर्यावरण निधि को अंतरण-			
मूल	5,782.00		
पुनर्वि.	(-)5,782.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 5,782.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2029-797-6754-अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण-			
मूल	7,540.00		
पुनर्वि.	(-)7,540.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 7,540.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2029-800-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि-			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,425.50	374.50	370.62
			(-)3.88

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,425.50 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड-			
मूल	656.90		
पुनर्वि.	(-)275.96	380.94	385.47
			+4.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 275.96 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा देयकों के साथ ही यात्रा भत्ते के देयक प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 2053-093-1510-जिला स्थापना-			
मूल	32,076.50		
पुनर्वि.	(-)3,132.67	28,943.83	28,376.87
			(-)566.96

समर्पण द्वारा ₹ 3,132.67 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलाधीशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2053-101-452—आयुक्त संभागीय कार्यालय—			
मूल	1,198.80		
पुनर्वि.	(-280.13	918.67	882.16
			(-36.51

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 280.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं आयुक्त संभागीय कार्यालय से निधि की मांग प्राप्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(16) 2053-800-7769—भूमि अधिग्रहण पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना प्राधिकार—			
मूल	120.40		
पुनर्वि.	(-60.94	59.46	41.13
			(-18.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.94 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कार्यालय प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053-093-1510—जिला स्थापना	15.00	5.76	(-9.24

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 1,942.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,424.56 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-80-052-1510—जिला स्थापना—			
मूल	207.00		
पुनर्वि.	(-135.50	71.50	71.50
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 135.50 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059-80-052-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
7787—ई-धरती—

मूल	125.50		
पुनर्वि.	(-125.50	0.00	0.00
			0.00

₹ 125.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 5054—05—337—0510—अधोसंरचना विकास निधि— 7860—अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)1,824.01	6,175.99	5,660.79	(-)515.20

समर्पण द्वारा ₹ 163.27 लाख की कमी योजना के लिए राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,660.74 लाख की अन्य कमी सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,824.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4059—80—051—0510—अधोसंरचना विकास निधि— 7860—अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि— मूल 14,750.00 पुनर्वि. 717.95	15,467.95	15,466.06	(-)1.89

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,660.74 लाख की वृद्धि रायपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा में संभागीय आयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु एवं समर्पण द्वारा ₹ 942.79 लाख की कमी शासन द्वारा जारी की गई स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 717.95 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	2,07,400	51,168	(-)1,56,232
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,56,081
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	5,000	00	(-)5,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			5,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,562.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,560.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2058-001-2286—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय—			
मूल	136.30		
पुनर्वि.	(-)75.48	60.82	60.91
			+0.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.48 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने, मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कर्मचारी/अधिकारियों से चिकित्सा दावे प्राप्त नहीं होने, कर्मचारी/अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वाहन की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2058-102-2820—फार्म का मुद्रण,

भण्डारण और वितरण—

मूल 1,133.10

पुनर्वि. (-)884.12

248.98

247.86

(-)1.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 884.12 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ता नहीं मिलने, मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, फर्नीचर और उपकरणों की आवश्यकता नहीं होने कार्यभारित स्थापना के पद स्वीकृत नहीं होने, मुद्रणालय में प्रशिक्षुओं की उपलब्धता नहीं होने, मशीन तथा उपकरणों की मरम्मत की आवश्यकता नहीं होने, मुद्रणालयों द्वारा कागज के लिए मांग प्राप्त नहीं होने, आवश्यकतानुसार मुद्रण सामग्री क्रय किए जाने एवं नवीन मशीन क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2058-102-5659-शासकीय प्रेस, रायपुर-			
मूल	495.80		
पुनर्वि.	(-)422.88	72.92	+0.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 422.88 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ता नहीं मिलने, मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कार्यालय का दूरभाष उचित तरीके से कार्य नहीं करने, फर्नीचर एवं कागज की आवश्यकता नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, कागज की मांग के लिए फर्म द्वारा तकनीकी शर्तों की पूर्ति नहीं किए जाने, मुद्रण सामग्री की आवश्यकता नहीं होने एवं मशीनों के क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2058-104-301-अशासकीय मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)140.21	9.79	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.21 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4058-103-3427-मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मशीन एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी			
4406—वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,76,09,165		
पूरक	21,38,000	1,97,47,195	1,51,62,783
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)45,84,412 37,26,410
प्रभारित—			
मूल	1,08,620		
पूरक	33,862	1,42,482	38,369
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)1,04,113 1,04,012
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	2,20,450		
पूरक	सांकेतिक	2,20,450	1,34,359
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)86,091 54,115

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 33,862 हजार सम्मिलित है जिसको 03.06.2020 को स्वीकृत एवं जुलाई 2020 में आहरित किया गया तथा मार्च 2021 में प्रतिपूरित किया गया।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 21,380.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 45,844.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 37,264.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय—			
मूल	3,614.58		
पुनर्वि.	(-)1,123.15	2,491.43	2,492.58
			+1.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,123.15 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2406-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

2723—प्रशासन का

सुदृढीकरण—

मूल
 111.87 | | |

पुनर्वि.
 (-)30.38 | 81.49 | 14.51 |

 (-)66.98 |

अनुदान संख्या 10—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30.38 लाख की कमी कोविड-19 महामारी मे बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2406-01-003-4462-वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन-			
मूल	465.30		
पुनर्वि.	(-)218.70	246.60	232.36
			(-)14.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 218.70 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1859-राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना-				
मूल	480.78			
पुनर्वि.	(-)25.17	455.61	269.49	(-)186.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 25.17 लाख की कमी कोरोना महामारी मे बजट प्रावधान में कटौती किए जानें के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 792-कर्मचारी कल्याण योजना-				
मूल	138.00			
पुनर्वि.	(-)0.20	137.80	55.00	(-)82.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.20 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जानें के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(6) 2406-01-070-4349-सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरुस्ती-				
मूल	1,007.00			
पुनर्वि.	(-)608.50	398.50	388.68	(-)9.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 608.50 लाख की कमी कोविड-19 महामारी मे बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2406-01-070-6218-भवनों की मरम्मत-				
मूल	1,111.60			
पुनर्वि.	(-)669.05	442.55	437.35	(-)5.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 669.05 लाख की कमी कोविड-19 महामारी मे बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(8) 2406-01-101-2786-प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)-				
मूल	1,649.10			
पुनर्वि.	(-)462.14	1,186.96	1,153.71	(-)33.25

अनुदान संख्या 10—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 462.14 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2406-01-101-3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)658.32	2,541.68	2,444.91	(-)96.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 658.32 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2406-01-101-3877—क्षेत्रीय वनमण्डल— मूल 45,971.80 पुनर्वि. (-)8,348.86	37,622.94	35,864.95	(-)1,757.99
---	-----------	-----------	-------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,348.86 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2406-01-101-7888—कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु विशेषज्ञ अमला— मूल 165.40 पुनर्वि. (-)164.40	1.00	0.00	(-)1.00
--	------	------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 164.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2406-01-101-812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना— मूल 1,251.50 पुनर्वि. (-)266.60	984.90	907.58	(-)77.32
---	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 266.60 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2406-01-101-813—कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य— मूल 527.70 पुनर्वि. (-)51.40	476.30	384.87	(-)91.43
--	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 51.40 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(14) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2536-पर्यावरण वानिकी— मूल 701.80 पुनर्वि. (—)1.05	700.75	251.31	(—)449.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.05 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(15) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965-बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित— मूल 3,850.00 पुनर्वि. (—)151.20	3,698.80	2,524.21	(—)1,174.59
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.20 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(16) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5089-राज्य में वानिकी अनुसंधान— मूल 177.21 पुनर्वि. (—)4.39	172.82	66.49	(—)106.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4.39 लाख की कमी अधिनस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(17) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6723-संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण एवं विकास— मूल 238.35 पुनर्वि. (—)37.00	201.35	63.01	(—)138.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 37.00 लाख की कमी अधिनस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(18) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6827-भूजल एवं जल संरक्षण कार्य— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (—)11.49	1,188.51	938.60	(—)249.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11.49 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(19) 2406-01-102-3531-प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण— मूल 20,000.00 पुनर्वि. (—)12,589.49	7,410.51	6,580.57	(—)829.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,589.49 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2406-01-102-4475-सामाजिक वानिकी-			
मूल	1,567.30		
पुनर्वि.	(-)356.16	1,211.14	1,058.30
			(-)152.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 356.16 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2406-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7732-छत्तीसगढ़ स्टेट एक्शन प्लान आन क्लाईमेट योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)10.00	90.00	0.00
			(-)90.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2406-01-102-0430-वन विकास निधि- 6699-वन विकास उपकर निधि से व्यय-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	300.00	0.00
			(-)300.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1004-नदीतट वृक्षारोपण योजना-			
मूल	340.00		
पुनर्वि.	(-)160.95	179.05	138.98
			(-)40.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.95 लाख की कमी अधिनस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1902-तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित-			
मूल	680.00		
पुनर्वि.	(-)8.01	671.99	362.00
			(-)309.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8.01 लाख की कमी अधिनस्थ वृत्तों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2533-हरियाली प्रसार योजना-			
मूल	195.60		
पुनर्वि.	(-)77.26	118.34	58.34
			(-)60.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.26 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5420—राज्य औषध वनस्पति मंडल की स्थापना— मूल 900.00 पुनर्वि. (-)270.00	630.00	630.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 270.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6724—बांस वनों का पुनरुद्धार— मूल 1,390.80 पुनर्वि. (-)79.97	1,310.83	1,071.84	(-)238.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 79.97 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7563—अतिक्रमण विस्थापन के बदले वृक्षारोपण— मूल 149.10 पुनर्वि. (-)1.17	147.93	48.82	(-)99.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.17 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(29) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7930—मुख्यमंत्री बांस विकास योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)11.59	588.41	38.39	(-)550.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11.59 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 2406-01-105-252—अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता— मूल 1,484.00 पुनर्वि. (-)1,484.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,484.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से व्यय के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 2406-01-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6792—लघु वनोपज संग्राहक सामूहिक बीमा योजना— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)550.00	0.00	0.00	0.00
₹ 550.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के बंद किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(32) 2406-01-203-535—इमारती लकड़ी—			
मूल	9,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,932.02	7,067.98	7,080.09
			+12.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,932.02 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(33) 2406-01-203-5641—वन प्रबंधन समितियां—			
मूल	3,594.20		
पुनर्वि.	(-)3,594.20	0.00	0.00
			0.00
₹ 3,594.20 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से व्यय के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2406-01-204-2901—बांस—			
मूल	1,600.00		
पुनर्वि.	(-)252.73	1,347.27	1,350.67
			+3.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 252.73 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(35) 2406-01-204-5641—वन प्रबंधन समितियां—			
मूल	805.80		
पुनर्वि.	(-)805.80	0.00	0.00
			0.00
₹ 805.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से व्यय के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2406-02-110-2899—राष्ट्रीय पार्क—			
मूल	1,390.24		
पुनर्वि.	(-)89.79	1,300.45	1,232.50
			(-)67.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.79 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(37) 2406-02-110-2900—अभ्यारण क्षेत्र—			
मूल	3,431.90		
पुनर्वि.	(-)193.26	3,238.64	3,070.81
			(-)167.83
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.26 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(38) 2406-02-110-3896—वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति—			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)321.07	2,178.93	1,979.17
			(-)199.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 321.07 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(39) 2406-02-110-6885—प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना— मूल 676.93 पुनर्वि. (-)77.52	599.41	306.26	(-)293.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.52 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(40) 2406-02-110-8644—वन्यप्राणी वन वृत्तों की स्थापना— मूल 433.30 पुनर्वि. (-)56.71	376.59	359.64	(-)16.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.71 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(41) 2406-02-110-8912—वन्यप्राणी बचाव, पुनर्वास एवं हेल्थ केयर प्रबंधन— मूल 155.00 पुनर्वि. (-)14.08	140.92	83.86	(-)57.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14.08 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(42) 2406-02-110-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5502—प्रोजेक्ट एलीफेन्ट— मूल 236.65 पुनर्वि. (-)76.65	160.00	0.00	(-)160.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.65 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(43) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 673.30 पुनर्वि. (-)200.63	472.67	94.67	(-)378.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.63 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(44) 2406-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7887—हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चलित हाथी सुरक्षा दस्ता का गठन— मूल 270.10 पुनर्वि. (-)34.63	235.47	60.48	(-)174.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 34.63 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(45) 2406-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6540-चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन-			
मूल	1,849.44		
पुनर्वि.	(-)110.32	1,739.12	1,458.40
			(-)280.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.32 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(46) 2406-04-101-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7857-परिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना	440.00	305.00	(-)135.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

(47) 2406-04-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-			
मूल	1,785.00		
पुनर्वि.	(-)887.82	897.18	897.18
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 887.82 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा शेष निधि विमुक्त नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(48) 2406-04-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7856-ग्रीन इंडिया मिशन-			
मूल	275.00		
पुनर्वि.	(-)60.12	214.88	96.89
			(-)117.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.12 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा शेष निधि विमुक्त नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-02-110-3531-प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण	95.50	797.11	+701.61

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 2406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2965-बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित-			
मूल	330.00		
पुनर्वि.	(-)0.37	329.63	399.66
			+70.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.37 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

प्रभारित-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 338.62 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 10—समाप्त

(vi) ₹ 1,041.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,040.12 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	85.20		
पुनर्वि.	(-)40.12	45.08	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 40.12 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2406-01-797-3885-वन विकास
निधि में अंतरण-

मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग राज्य सरकार द्वारा व्यय के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(viii) ₹ 860.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 541.15 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4342-सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)10.23	389.77	(-)299.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10.23 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित आयोजना (सामान्य)-
5538-एकीकृत वन सुरक्षा
(संरक्षण) योजना-

मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)197.32	302.68	+1.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 197.32 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 4406-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
6540-चिड़ियाघरों का
विकास एवं उन्नयन-

मूल	1,200.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)258.09	941.91	(-)0.16

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 258.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	21,60,813		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	21,60,813	16,52,006	(-)5,08,807 5,08,689
प्रभारित	785	00	(-)785 785
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			
पूंजीगत:			
दत्तमत	13,28,130	85,320	(-)12,42,810 12,42,210
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			
प्रभारित	500	00	(-)500 500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 5,088.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 5086.89 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2230-01-102-8034-स्टीम बाईलरों का निरीक्षण—			
मूल	196.50		
पुनर्वि.	(-)87.37	109.13	109.13
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.37 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों से मांग प्राप्त नहीं होने, दैनिक वेतन कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने, यात्रा, टेलीफोन, डाक, फर्नीचर, पुस्तकें, स्टेशनरी, गणवेश, भवन किराया, बिजली एवं मानदेय इत्यादि पर कम खर्च किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2851-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7825-स्टार्टअप छत्तीसगढ़- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)495.80	4.20	4.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 495.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2851-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1464-जिला उद्योग केन्द्र- मूल 2,790.70 पुनर्वि. (-)650.19	2,140.51	2,139.04	(-)1.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 650.19 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2852-80-001-3370-संचालनालय उद्योग- मूल 1,564.60 पुनर्वि. (-)579.92	984.68	985.07	+0.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 579.92 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2852-80-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7957-छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास संस्थान- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
(6) 2852-80-102-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7952-इंडिया एग्रो फूड प्रोसेसिंग एण्ड एडिशन प्रोग्राम- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
(7) 2852-80-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 7952-इंडिया एग्रो फूड प्रोसेसिंग एण्ड एडिशन प्रोग्राम- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 300.00 लाख, ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना- मूल 2,100.00 पुनर्वि. (-)1,649.43	450.57	450.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,649.43 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)26.84	123.16	123.16
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 26.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(10) 2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8237-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए अनुदान-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9283-प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)657.50	1,342.50	1,342.50
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 657.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(12) 3475-200-255-अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन-			
मूल	236.73		
पुनर्वि.	(-)51.57	185.16	185.06
			(-)0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 51.57 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

प्रभारित-

(iii) ₹ 7.85 लाख के सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया।

पूंजीगत :

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना-			
मूल	2,060.00		
पुनर्वि.	(-)2060.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 2,060.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 11—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6377-फूड पार्क की स्थापना- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)4,582.00	417.70	417.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,582.30 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(3) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6381-जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(4) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6742-औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
(5) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7480-जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
(6) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7909-26 औद्योगिक केन्द्रों का जीर्णोद्धार- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
(7) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9219-भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान- मूल 910.00 पुनर्वि. (-)910.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 500.00 लाख, ₹ 200.00 लाख, ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 910.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(8) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8983-औद्योगिक क्षेत्र अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य- मूल 3,986.00 पुनर्वि. (-)3,563.44	422.56	422.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,563.44 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

प्रभारित-

(v) ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अम्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2801—बिजली			
2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4810—ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,02,86,760		
पूरक	20,84,500	2,23,71,260	2,21,79,987
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-1,91,273 1,91,266
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	23,00,000	22,50,000	(-50,000 00

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	70,35,382		
पूरक	5,000	70,40,382	36,98,867
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-33,41,515 33,41,515

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,912.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 1,912.66 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2045—103—4281—संग्रह प्रभार— बिजली शुल्क—			
मूल	1,147.10		
पुनर्वि.	(-)296.16	850.94	850.87
			(-)0.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.16 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010—11 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2801—80—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8914—विद्युत कम्पनियों
को सहायता—

मूल 500.00
पुनर्वि. (-)500.00

0.00

0.00

0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7694-सौर उर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान-			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	(-)750.00	500.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 750.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2810-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6375-दिव्यांगजन हेतु सौर चलित ट्राईसायकल योजना-			
मूल	175.50		
पुनर्वि.	(-)175.50	0.00	0.00

₹ 175.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2810-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7697-बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	100.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iii) ₹ 500.00 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2045-797-3218-उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण	23,000.00	22,500.00	(-)500.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4801-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण-			
मूल	4,750.00		
पुनर्वि.	(-)4,750.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 12—जारी

₹ 4,750.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4801-05-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6378-स्काडा योजना-			
मूल	6,104.00		
पुनर्वि.	(-)6,104.00	0.00	0.00
₹ 6,104.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4801-06-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7655-एकीकृत विद्युत विकास योजना-			
मूल	1,291.00		
पुनर्वि.	(-)1,131.60	159.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,131.60 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा आई.पी.डी.एस. योजना में स्मार्ट मेटेरिंग परियोजना के निरस्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 4801-06-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8965-मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतिकरण योजना-			
मूल	449.72		
पुनर्वि.	(-)299.50	150.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 299.50 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 4801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8548-मुख्य मंत्री शहरी विद्युतिकरण योजना-			
मूल	11,000.00		
पुनर्वि.	(-)9,368.00	1,632.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,368.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6415-पी.एम. कुसुम योजना-			
मूल	975.00		
पुनर्वि.	(-)975.00	0.00	0.00
(7) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6417-मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास-			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	(-)1,250.00	0.00	0.00
(8) 4810-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 6415-पी.एम.कुसुम योजना-			
मूल	8,520.00		
पुनर्वि.	(-)8,520.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 12—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6416-सोलर पंप के माध्यम से नदी/ एनिकटों के जल से तालाबों को भरने की योजना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-1,000.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 975.00 लाख, ₹ 1,250.00 लाख, ₹ 8,520.00 लाख एवं ₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vii) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर पाँच पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर "राजस्व शीर्ष 0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क-800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के "मुख्य शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-797-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष ₹ 5,787.52 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 22,500.00 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2045-797 संचय तिथि से/में स्थानांतरण-3218 छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण" को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 22,500.00 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2021 को ₹ 5,787.52 लाख की शेष राशि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन-देन" मुख्य शीर्ष-8229-विकास एवं कल्याण निधि-110-ऊर्जा विकास निधि" में सम्मिलित है जिसका विस्तृत लेखा वित्त लेखे 2020-21 के विवरण क्रमांक-21 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	4,03,43,768		
पूरक	50,92,868	4,54,36,636	4,00,69,743
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)53,66,893 53,69,392
प्रभारित	1,750	167	(-)1,583
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,583
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,56,870	49,388	(-)1,07,482
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,07,780

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 (₹ 4,200.00 लाख) एवं दिसम्बर 2020 (₹ 46,728.68 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 50,928.68 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 53,668.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 53,693.92 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-001-119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द—(जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	34,224.80		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)7,123.06	27,101.74	27,084.87
(2) 2401-001-124-अधीक्षण (संभागीय स्तर का अमला)—			
मूल	781.40		
पुनर्वि.	(-)113.51	667.89	666.41

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 7,123.06 लाख एवं ₹ 113.51 लाख की कमी स्वीकृत अमले के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2016-17 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2401-001-4288—संचालनालय (मुख्यालय अमला)— मूल 1,248.10 पुनर्वि. (-)196.54	1,051.56	1,071.29	+19.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.54 लाख की कमी स्वीकृत अमले के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(4) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)3,034.63	2,965.37	2,965.37	0.00
(5) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एण्ड ऑईलपॉम— मूल 483.00 पुनर्वि. (-)182.53	300.47	300.47	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,034.63 लाख एवं ₹ 182.53 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2401-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6366—कृषक सहायता— पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(7) 2401-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8972—धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— मूल 2,39,700.00 पुनर्वि. (-)2,39,700.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 1,400.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,38,300.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,39,700.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2401-103-898—कृषि प्रदर्शन एवं बीज फार्म— मूल 862.85 पुनर्वि. (-)195.12	667.73	667.31	(-)0.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 195.12 लाख की कमी स्वीकृत अमले के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2401-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7264—एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)1,284.67	515.33	515.33	0.00

अनुदान संख्या 13-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,284.67 लाख की कमी वित्त विभाग के आदेशानुसार मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2401-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6820-कृषक समग्र विकास योजना-			
मूल	4,050.00		
पुनर्वि.	(-)137.96	3,912.04	3,912.04
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.96 लाख की कमी किसानों को बीज वितरण के व्यय में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2401-105-7283-छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6448-गोधन न्याय योजना-			
मूल	4,210.00		
पुनर्वि.	(-)3,087.40	1,122.60	1,122.60
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,087.40 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि विमुक्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8900-जैविक खेती मिशन-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)626.42	373.58	373.58
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 626.42 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(14) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	9,240.00		
पुनर्वि.	(-)5,959.77	3,280.23	2,588.40
			(-)691.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,959.77 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7266-एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम-			
मूल	1,230.00		
पुनर्वि.	(-)907.18	322.82	322.03
			(-)0.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 907.18 लाख की कमी वित्त विभाग के आदेशानुसार मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7267-एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना-			
मूल	904.00		
पुनर्वि.	(-)815.63	88.37	88.37
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 815.63 लाख की कमी वित्त विभाग के आदेशानुसार मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
मूल	3,360.00		
पुनर्वि.	(-)164.49	3,195.51	3,195.51
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 164.49 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7830-परम्परागत कृषि विकास योजना-			
मूल	1,509.00		
पुनर्वि.	(-)488.03	1,020.97	1,020.87
			(-)0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 488.03 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7832-टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)-			
मूल	5,128.00		
पुनर्वि.	(-)1,158.66	3,969.34	4,661.12
			+691.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,158.66 लाख की कमी वर्षान्त में राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7833-रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर.पी.एस.)-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)177.84	22.16	22.16
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 177.84 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधि की अपेक्षा कम निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7945-प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)3,842.55	4,157.45	4,157.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,842.55 लाख की कमी वित्त विभाग के आदेशानुसार मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2401-108-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5549—गन्ना कृषकों को बोनस— मूल 7,200.00 पुनर्वि. (-)200.20	6,999.80	6,999.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.20 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(24) 2401-108-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7946—सोयाबीन उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग के आदेशानुसार मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(25) 2401-109-867—कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना— मूल 316.90 पुनर्वि. (-)119.00	197.90	198.04	+0.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 119.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(26) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)264.16	1,735.84	1,735.84	0.00
(27) 2401-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 18,460.00 पूरक 16,525.00 पुनर्वि. (-)1,433.44	33,551.56	33,557.02	+5.46
उपरोक्त क्रम संख्या (26) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 264.16 लाख एवं ₹ 1,433.44 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2401-113-7017—कृषि यंत्रों कार्यालय— मूल 969.45 पुनर्वि. (-)213.05	738.40	741.01	+2.61

अनुदान संख्या 13—जारी

समर्पण द्वारा ₹ 169.05 लाख की कमी स्वीकृत अमले के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के अनुसार व्यय किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 231.05 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(29) 2401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 3,840.00 पुनर्वि. (-)247.97	3,592.03	3,592.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 247.97 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(30) 2401-113-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8539—कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(31) 2401-113-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8907—कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान— मूल 274.50 पुनर्वि. (-)269.77	4.73	4.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 269.77 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(32) 2401-119-2013—नए उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना— मूल 2,934.25 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)419.80	2,514.45	2,510.37	(-)4.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 419.80 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलों से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 2401-119-6788—संचालनालय उद्यानिकी— मूल 363.30 पुनर्वि. (-)115.52	247.78	247.77	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.52 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(34) 2401-119-9188—उद्यान विकास योजना— मूल 6,296.40 पुनर्वि. (-)483.25	5,813.15	5,809.82	(-)3.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 483.25 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 2,240.00 पुनर्वि. (-)1,075.58	1,164.42	1,164.42	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,075.58 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलों से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(36) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7258-नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम- मूल 784.00 पुनर्वि. (-)680.49	103.51	103.51	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 680.49 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(37) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- मूल 2,800.00 पुनर्वि. (-)291.92	2,508.08	2,508.08	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 291.92 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(38) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7874-एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री- मूल 600.00 पुनर्वि. (-)386.83	213.17	168.46	(-)44.71
---	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 386.83 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(39) 2401-119-0311-नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7854-नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना- मूल 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(40) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7837-उद्यानिकी फसलों का बेसलाईन सर्वे- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार से निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(41) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8638—राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)406.16	293.84	293.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 406.16 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 2401-800-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6353—चिराग योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)2,500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(43) 2401-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 7853—नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(44) 2402-101-8351—विस्तृत मृदा सर्वेक्षण— मूल 1,155.90 पुनर्वि. (-)174.23	981.67	981.96	+0.29
समर्पण द्वारा ₹ 189.73 लाख की कमी स्वीकृत अमले के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के अनुसार व्यय किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.50 लाख की वृद्धि लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 174.23 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(45) 2402-102-3143—भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधन की योजना— मूल 3,717.50 पुनर्वि. (-)752.59	2,964.91	2,963.65	(-)1.26
समर्पण द्वारा ₹ 737.09 लाख की कमी स्वीकृत अमले के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के अनुसार व्यय किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 752.59 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(46) 2402-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)8,932.93	1,067.07	1,067.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,932.93 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 13—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2401-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6438-राजीव गांधी किसान न्याय योजना-			
मूल	30,000.00		
पुनर्वि.	2,38,400.00	2,68,400.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,38,400.00 लाख आवर्धन राज्य के किसानों को उनके ऋण का लाभ देने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूजीगत:
दत्तमत-

(v) ₹ 1,074.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 1,077.80 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4401-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2981-बीज संवर्धन तथा वितरण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4401-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)253.95	46.05	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 253.95 लाख कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(3) 4401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	0.00	0.00

₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2403—पशुपालन			
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	49,90,900		
पूरक	1,17,812	51,08,712	37,44,004
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)13,64,708
प्रभारित	2,000	00	13,63,043
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)2,000
			2,000
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,05,400	51,349	(-)54,051
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			54,051
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 1,178.12 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 13,647.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 13,630.43 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2403-001-1468—जिला एवं संभागीय स्तर—			
मूल	4,304.60		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,283.74	3,020.86	3,016.28
(2) 2403-001-4297—संचालनालय स्तर—			
मूल	596.87		
पुनर्वि.	(-)182.41	414.46	413.63

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,283.74 लाख ₹ 182.41 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

3786—रोगानुज्ञ—

मूल 680.65

पुनर्वि. (-)680.65

0.00

0.00

0.00

₹ 680.65 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5620—पशुरोग नियंत्रण— मूल 1,315.00 पुनर्वि. (-)722.26	592.74	592.74	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 722.26 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने एवं भारत सरकार से स्वीकृति जारी नहीं किए के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7826—बकरी रोग नियंत्रण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(6) 2403-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 7471—नाबार्ड योजनान्तर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान— मूल 60.00 पुनर्वि. (-)60.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 60.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(7) 2403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय— मूल 23,273.20 पुनर्वि. (-)5,369.93	17,903.27	17,894.98	(-)8.29
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,369.93 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2403-102-1108—गहन पशु विकास परियोजना— मूल 6,332.74 पुनर्वि. (-)2,011.22	4,321.52	4,322.39	+0.87
(9) 2403-102-2567—पशु प्रजनन प्रक्षेत्र— मूल 1,169.54 पुनर्वि. (-)459.86	709.68	709.68	0.00
(10) 2403-102-5535—छत्तीसगढ़ गौ-सेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)600.00	100.00	100.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,011.22 लाख, ₹ 459.86 लाख एवं ₹ 600.00 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2403-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7257—राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंस वंशीय परियोजना तथा पशुधन बीमा योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2403-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7614—राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)66.00	34.00	34.00	0.00
(13) 2403-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 1,885.65 पुनर्वि. (-)443.41	1,442.24	1,440.75	(-)1.49
(14) 2403-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5027—बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण— मूल 421.17 पुनर्वि. (-)169.82	251.35	251.46	+0.11
(15) 2403-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6784—शूकर विकास प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण— मूल 480.42 पुनर्वि. (-)112.97	367.45	367.48	+0.03
उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (15) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 66.00 लाख, ₹ 443.41 लाख, ₹ 169.82 लाख एवं ₹ 112.97 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2403-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 2,032.22 पुनर्वि. (-)69.43	1,962.79	1,962.79	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 69.43 लाख की कमी देयक पारित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2403-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2569—पशु शिविरों का आयोजन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)93.80	6.20	6.20	0.00

अनुदान संख्या 14—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2403-113-3784—रोग अनुसंधान— मूल 1,079.00 पुनर्वि. (-)327.91	751.09	750.16	(-)0.93
(19) 2403-113-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5505—पशु संगणना कार्यक्रम— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)261.84	38.16	38.16	0.00
(20) 2403-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना— मूल 1,589.00 पुनर्वि. (-)194.87	1,394.40	1,393.40	(-)1.00

उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (20) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 93.80 लाख, ₹ 327.91 लाख ₹ 261.84 लाख एवं ₹ 194.87 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय— मूल 106.00 पुनर्वि. (-)58.51	47.49	47.49	0.00
(2) 4403-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
(3) 4403-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

		(सभी दत्तमत)	वास्तविक	आधिक्य+
		कुल	व्यय	बचत(-)
		अनुदान	(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—				
2202—सामान्य शिक्षा				
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
2405—मछली पालन				
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
2853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग				
राजस्व				
दत्तमत—				
मूल	20,03,874			
पूरक	संकेतिक	20,03,874	13,81,813	(-)6,22,061
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,00,248
(31 मार्च 2021)				
पूंजीगत		5,20,000	9,000	(-)4,30,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,30,000
(31 मार्च 2021)				
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व :

(i) ₹ 6,220.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 7,002.48 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2202-01-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये—			
मूल	3,525.00		
पुनर्वि.	(-)1,239.73	2,285.27	2,290.27
			+5.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,239.73 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं शिक्षकों के पंचायत में संविलियन होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2202-02-789-196-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये—

मूल
 3,098.00 | | |

पुनर्वि.
 (-)1,303.94 | 1,794.06 | 1,797.96 |

 | | | +3.90 |

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,303.94 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं शिक्षकों के पंचायत में संविलियन होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2405-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7814—नीलकान्ति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 660.00 पुनर्वि. (-)203.88	456.12	0.00	(-)456.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 203.88 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा योजना बन्द किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(4) 2515-789-196-1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7788—जिला पंचायत विकास निधि— मूल 440.00 पुनर्वि. (-)40.00	400.00	400.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 40.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(5) 2515-789-197-1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7848—जनपद पंचायत के लिए विकास निधि— मूल 1,022.00 पुनर्वि. (-)105.00	917.00	917.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(6) 2515-789-198-1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7687—मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना— मूल 48.50 पुनर्वि. (-)48.50	0.00	0.00	0.00
₹ 48.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2515-789-198-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)399.21	80.79	80.79	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 399.21 लाख की कमी भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार निधि का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(8) 2853-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण- मूल 6,507.50 पुनर्वि. (-)3,806.87	2,700.63	2,700.63	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,806.87 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	2,724.00	3,292.00	+568.00
(2) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	774.00	954.10	+180.10
(3) 2235-60-789-198-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7340-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	198.00	227.38	+29.38

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(4) 2405-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6449-प्रधान मंत्री मत्स्य योजना- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 203.88	203.88	655.49	+451.61
---	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 203.88 लाख का आवर्धन योजना अंतर्गत केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4515-789-198-1103-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8986-मुख्य मंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)4,200.00	800.00	800.00	0.00

अनुदान संख्या 15—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,200.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 4515-789-198-1103-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8991-गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)100.00	100.00	100.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	6,93,098		
पूरक	सांकेतिक	6,93,098	5,48,046
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)1,45,052 1,44,083
प्रभारित	20	00	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			20
पूंजीगत :			
दत्तमत	7,500	6,509	(-)991
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			991
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) ₹ 1,450.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 1,440.83 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405-001-2280-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	414.94		
पुनर्वि.	(-)96.94	318.00	317.69
			(-)0.31
(2) 2405-101-162-अंतर्देशीय मतस्य पालन के लिए जिला स्तर कर्मचारी—			
मूल	3,859.30		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)917.41	2,941.89	2,932.60
			(-)9.29

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 96.94 लाख एवं ₹ 917.41 लाख की कमी के कारणों के साथ क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7814-नीलक्रांति अंतर्गत मतस्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम—			
मूल	1,050.00		
पुनर्वि.	(-)199.49	850.51	160.76
			(-)689.75

अनुदान संख्या 16—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 199.49 लाख की कमी भारत सरकार के द्वारा योजना बंद किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2405-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7434-मतस्य महाविद्यालय, कवर्धा को अनुदान-			
मूल	400.10		
पुनर्वि.	(-160.10)	240.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2405-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 5625-मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं इनफारमेशन नेट वर्किंग का सुदृढ़ीकरण-			
मूल	84.00		
पुनर्वि.	(-64.52)	19.48	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 64.52 लाख की कमी भारत सरकार से व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6449-प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	199.49	199.49	+689.52

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 199.49 लाख का आवर्धन इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3308-मत्स्य बीज उत्पादन-			
मूल	75.00		
पुनर्वि.	(-9.91)	65.09	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.91 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2425—सहकारिता			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425—सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	23,22,574		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	23,22,574	12,59,648	(-)10,62,926
			10,63,677
<i>प्रभारित</i>	<i>15</i>	<i>00</i>	<i>(-)15</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>15</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	2,40,002	1,30,000	(-)1,10,002
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,10,002
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 10,629.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 10,636.77 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2425-001-123-अधीक्षण—			
मूल	5,224.73		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,421.86	3,802.87	3,804.85
			+1.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,434.03 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.17 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹1,421.86 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2425-001-2282-निर्देशन—

मूल	816.79		
पुनर्वि.	(-)205.99	610.80	610.34
			(-)0.46

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 205.99 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 2425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण
हेतु ब्याज अनुदान—

मूल	10,650.00		
पुनर्वि.	(-)5,650.00	5,000.00	5,000.00
			0.00

अनुदान संख्या 17—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,650.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7889-प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रस्ताव की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8654-राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का सहकारी बैंकों में विलय-			
मूल	5,766.00		
पुनर्वि.	(-)2,836.00	2,930.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,836.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4425-108-0101-राज्य आयोजना(सामान्य)- 7678-सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूँजी-			
मूल	1,050.00		
पुनर्वि.	(-)1,050.00	0.00	0.00

₹ 1,050.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 6425-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8970-विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
राजस्व :			
दत्तमत	21,58,485	15,09,502	(-)6,48,983
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			6,54,572
प्रभारित	20	00	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			20

राजस्व :
दत्तमत—

(i) ₹ 6,489.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 6,545.72 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-01-102-2714-प्रशासन—			
मूल	169.10		
पुनर्वि.	(-)67.94	101.16	(-)0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.94 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(2) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3676-राज्य बीमा			
अस्पताल—			
मूल	5,591.70		
पुनर्वि.	(-)872.54	4,719.16	+20.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 872.54 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी नहीं किए जाने एवं नई डिसपेंसरी नहीं खोले जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
791-कर्मचारी राज्य बीमा			
चिकित्सालय—			
मूल	4,957.20		
पुनर्वि.	(-)1,722.33	3,234.87	+32.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,722.33 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी नहीं किए जाने एवं दावे विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2008-09 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2230-01-001-4268-श्रम			
आयुक्त—			
मूल	642.20		
पुनर्वि.	(-)215.35	426.85	(-)0.71

अनुदान संख्या 18—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2230-01-101-4271—श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला— मूल 1,575.60 पुनर्वि. (-)409.24	1,166.36	1,165.72	(-)0.64
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 215.35 लाख तथा ₹ 409.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2013-14 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2230-01-101-4272—श्रम न्यायालय— मूल 687.50 पुनर्वि. (-)149.63	537.87	542.10	+4.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 149.63 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2230-01-101-712—औद्योगिक न्यायालय— मूल 292.30 पुनर्वि. (-)155.74	136.56	136.51	(-)0.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 155.74 लाख की कमी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किए जाने (₹ 25.00 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 130.74 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2008-09 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2230-01-102-5810—औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा— मूल 541.90 पुनर्वि. (-)203.66	338.24	338.37	+0.13
(9) 2230-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5648—आद्यौगिक हाइजिन प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 182.80 पुनर्वि. (-)139.06	43.74	43.74	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 203.66 लाख तथा ₹ 139.06 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(10) 2230-01-103-4270—श्रम कल्याण निधि की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)268.13	231.87	231.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 268.13 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल— मूल 3,850.00 पुनर्वि. (-)544.97	3,305.03	3,305.03	0.00

अनुदान संख्या 18—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 544.97 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8977-असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)692.50	107.50	107.50
			0.00
(13) 2230-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8989-टेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हारपाल कल्याण मण्डल-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,063.83	436.17	436.17
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 692.50 लाख तथा ₹ 1,063.83 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित:

(iii) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,23,35,559		
पूरक	38,73,068	2,62,08,627	2,41,24,424
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)20,84,203 00
<i>प्रभारित—</i>			
मूल	2,460		
पूरक	7,784	10,244	2,765
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)7,479 00
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	9,54,838		
पूरक	9,32,800	18,87,638	16,88,107
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,99,531 00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 38,730.68 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
(ii) ₹ 20,842.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2210-01-001-2283-निर्देशन एवं प्रशासन- (राजीव गांधी मिशन) मूलभूत सेवाएं)-			
मूल	4,709.55		
पुनर्वि.	(-)100.00	4,609.55	2,509.56
			(-)2,099.99
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2210-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7476-संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय			
	180.55	123.39	(-)57.16
(3) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6095-पोस्टमार्टम के लिये चिकित्सकों को मानदेय			
	88.00	25.53	(-)62.47

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7327—मानसिक चिकित्सालय	956.48	798.66	(-)157.82
(5) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7397—छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पोंस सर्विसेस योजना	1,250.00	750.00	(-)500.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(6) 2210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 24,812.20 पुनर्वि. (-)75.00	24,737.20	21,210.36	(-)3,526.84
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 75.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(7) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8631—शव वाहिका योजना	1,200.00	946.73	(-)253.27
(8) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8649—मुख्य मंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	336.00	132.45	(-)203.55
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2210-03-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 748—दवाखाना— मूल 447.50 पुनर्वि. (-)20.00	427.50	116.88	(-)310.62
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 20.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 33,065.35 पुनर्वि. (-)400.00	32,665.35	27,547.92	(-)5,117.43
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7799—सी.पी.एस. योजना	100.00	0.00	(-)100.00
(12) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6811—राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान	220.85	159.33	(-)61.62
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) तथा 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(13) 2210-06-101-4244—शीत ज्वर— मूल 2,508.05 पुनर्वि. (-)290.00	2,218.05	1,893.37	(-)324.68
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 290.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2210-06-101-6390—मुख्य मंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना	650.00	0.00	(-)650.00
सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(15) 2210-06-101-6441—कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार— पूरक 15,325.00	15,325.00	14,140.49	(-)1,184.51
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(16) 2210-06-101-858—कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 3,726.15 पुनर्वि. (-)300.00	3,426.15	2,955.08	(-)471.07
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7679—टी.बी रोकथाम के लिए पोषित खाद्य	500.00	0.00	(-)500.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2210-06-102-1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)	1,652.60	701.59	(-)951.01
(19) 2210-06-104-750—औषधि नियंत्रण	1,546.59	703.87	(-)842.72
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(20) 2210-06-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6362—डॉ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना— मूल 27,500.00 पुनर्वि. (-)5,000.00	22,500.00	22,000.00	(-)500.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 5,000.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(21) 2210—06—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6363—मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना— मूल 2,500.00 पूरक 1,000.00	3,500.00	1,000.00	(-)2,500.00
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(22) 2211—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1508—जिला स्तरीय अमला	556.30	337.13	(-)219.17
(23) 2211—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3704—राज्य स्तरीय परिवार कल्याण	771.60	520.59	(-)251.01
(24) 2211—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1007—क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	235.10	78.39	(-)156.71
उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (24) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017—18 से 2019—20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) एवं 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(25) 2211—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र	14,490.10	10,278.67	(-)4,211.43
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013—14 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(26) 2211—200—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6791—शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	453.35	319.40	(-)133.95
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2071—01—800—5499—सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	230.00	561.86	+331.86
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2009—10 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।			
(2) 2210—01—200—77—अंध रोग उपचार की रोकथाम की इकाइयां स्थापित करना मूल 2,127.60 पुनर्वि. (-)15.00	2,112.60	2,186.17	+73.57

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 15.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण
सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2210—03—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 14,339.00 पुनर्वि. 1,200.00	15,539.00	17,184.67	+1,645.67

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,200.00 लाख की वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

(4) 2210—03—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 7,863.75 पूरक 5.68	7,869.43	10,617.25	+2,747.82
--	----------	-----------	-----------

अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 77.84 लाख का अनुपूरक विनियोग आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 74.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2210—01—001—2283—निर्देशन एवं प्रशासन— (राजीव गांधी मिशन) मूलभूत सेवाएं— मूल 20.10 पूरक 77.84	97.94	27.65	(—)70.29

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(viii) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2020 (₹ 8,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2020 (₹ 1,328.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ix) ₹ 1,995.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 19—समाप्त

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2283-निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवाएं)- मूल 530.00 पुनर्वि. (-)530.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 4210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 541.10 पुनर्वि. (-)256.00	285.10	0.00	(-)285.10
(3) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2777-उप स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 1,050.88 पुनर्वि. (-)200.00	850.88	638.61	(-)212.27
(4) 4210-02-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 2,866.00 पुनर्वि. 50.00	2,916.00	2,382.42	(-)533.58

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 256.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख की कमी एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत ₹ 50.00 लाख के आवर्धन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(5) 4210-04-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 750-औषधि नियंत्रण	530.00	5.90	(-)524.10
---	--------	------	-----------

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
4210-01-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1473-जिला चिकित्सालय- मूल 3,796.40 पुनर्वि. 986.00	4,782.40	4,383.83	(-)398.47

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 986.00 लाख का आवर्धन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	33,73,889		
पूरक	सांकेतिक	33,73,889	21,90,650
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)11,83,239 11,69,388
प्रभारित—			
मूल	1,600		
पूरक	3,500	5,100	2,025
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)3,075 800
पूंजीगत:			
दत्तमत:			
मूल	30,19,040		
पूरक	22,50,052	52,69,092	42,19,043
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)10,50,049 10,80,141
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) ₹ 11,832.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 11,693.88 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-001-2294-निर्देशन—			
मूल	2,250.55		
पुनर्वि.	(-)787.76	1,462.79	1,460.86
(2) 2215-01-001-2715-प्रशासन—			
मूल	13,156.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)4,106.87	9,049.13	9,061.34
(3) 2215-01-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
693-औजार और संयंत्र—			
मूल	144.00		
पुनर्वि.	(-)49.68	94.32	94.32
(4) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की			
जल प्रदाय योजनाओं का संधारण—			
मूल	1,423.50		
पुनर्वि.	(-)483.10	940.40	929.19
			(-)11.21

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2215-01-102-1202-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण— मूल 719.95 पुनर्वि. (-)211.09	508.86	505.57	(-)3.29
(6) 2215-01-102-1854-ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन— मूल 1,838.63 पुनर्वि. (-)556.01	1,282.62	1,282.41	(-)0.21
(7) 2215-01-102-2219-नलकूपों का अनुरक्षण— मूल 7,238.20 पुनर्वि. (-)2,715.67	4,522.53	4,514.25	(-)8.28
(8) 2215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5403-पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 925.00 पुनर्वि. (-)307.07	617.93	617.93	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 787.76 लाख, ₹ 4,106.87 लाख, ₹ 49.68 लाख, ₹ 483.10 लाख, ₹ 211.09 लाख, ₹ 556.01 लाख, ₹ 2,715.67 लाख एवं ₹ 307.07 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी होने एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य एवं क्रम संख्या (4) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2008-09 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (1), 2012-13 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (2), 2013-14 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (4), 2009-10 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5), 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (6) एवं 2010-11 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7964-राजीव गांधी सर्व जल योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2215-01-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7869-कोटा नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)243.00	357.00	357.00	0.00
(11) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8617-टुण्ड्रा जल प्रदाय योजना— मूल 268.80 पुनर्वि. (-)180.48	88.32	88.32	0.00

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8618-भटगॉव जल प्रदाय योजना-			
मूल	201.67		
पुनर्वि.	(-105.52)	96.15	96.15
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 243.00 लाख, ₹ 180.48 लाख एवं ₹ 105.52 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) तथा 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(13) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8908-नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना-			
मूल	1,926.00		
पुनर्वि.	(-737.01)	1,188.99	1,188.99
			0.00

समर्पण द्वारा ₹ 668.49 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 68.52 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 737.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(14) 2215-01-799-4058-विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-			
मूल	2,000.10		
पुनर्वि.	(-806.03)	1,194.07	1,084.38
			(-109.69)

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 806.03 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7509-अभनपुर जल प्रदाय योजना-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	68.52	68.52	68.52
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.52 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(iv) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के व्यय में "2215-जल प्रदाय और सफाई-01-जल प्रदाय-799-उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 1,084.38 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थायी प्रकृति के लेन-देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है।

अनुदान संख्या 20—जारी

“उचंत” शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :-

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन-देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई है :-

(1) क्रय— राज्य में 1983-84 से नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2020-21 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत “उचंत” लेन-देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2020 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2021 को नामे + जमा (-)
2215—जल आपूर्ति तथा सफाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)1,600.70	0.00	0.00	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	0.00	0.00	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+11,065.67	1,084.38	(-)48.04	+12,102.01
योग	+11,015.20	1,084.38	(-)48.04	+12,051.54

प्रभारित—

(v) ₹ 30.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 8.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 10,500.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 10,801.41 लाख का समर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2294—निर्देशन— मूल 288.90 पुनर्वि. (-)288.90	0.00	0.00	0.00

₹ 288.90 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4215-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2715—प्रशासन— मूल 250.50 पुनर्वि. (-)236.98	13.52	13.52	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 236.98 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4215-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6434—भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई हेतु जल प्रदाय योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 99.00 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 201.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(4) 4215-01-102-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 5,550.00 पुनर्वि. (-)2,780.45	2,769.55	1,686.41	(-)1,083.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,780.45 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4215-01-102-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 7858—सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
(6) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6384—एफ.आर.पी. संयंत्र एवं आई.आर.पी संयंत्र की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(7) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 693—औजार और संयंत्र— मूल 231.00 पुनर्वि. (-)231.00	0.00	0.00	0.00
(8) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7963—मुख्य मंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 20—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7990-चंदखुरी कोलिहापुरी समूह नल जल प्रदाय योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 600.00 लाख, ₹ 100.00 लाख, ₹ 231.00 लाख, ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण व्यय में कमी किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(10) 6215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,000.00	0.00	0.00

₹ 5,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान ऋण जारी किए जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6898-बटालियन हेतु ओव्हरहेड टैंक निर्माण-			
मूल	1.00		
पुनर्वि.	200.99	201.99	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 201.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 200.99 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7962-मिनि माता अमृत धारा नल योजना-			
मूल	550.00		
पुनर्वि.	(-)118.73	431.27	1,514.10
			+1,082.83

समर्पण द्वारा ₹ 118.73 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज भुगतान			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास ऋण			

राजस्व:

मूल	23,34,835		
पूरक	20,000	23,54,835	14,77,148
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)8,77,687 8,77,622

पूंजीगत:

मूल	38,14,300		
पूरक	सांकेतिक	38,14,300	8,31,023
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)29,83,277 29,83,277

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 200.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 8,776.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 8,776.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-60-701-7552-कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	9,000.00		
पुनर्वि.	(-)493.00	8,507.00	8,507.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 493.00 लाख की कमी शासन द्वारा मांग के अनुरूप निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7444-विकास नगर

योजना-

मूल 500.00

पुनर्वि. (-)500.00

0.00

0.00

0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7670-मुख्य मंत्री आवासीय योजना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-1,000.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा मांग के अनुरूप निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	3,750.00		
पुनर्वि.	(-2,379.00	1,371.00	1,371.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,379.00 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण अधिकारियों को निर्धारित समय में प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजे जाने एवं समय पर निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ. सहायता प्राप्त एस.यू.टी.पी. योजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-300.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2217-01-053-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-1,800.00	200.00	200.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,800.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-01-053-8635-नया मंत्रालय का अनुरक्षण-			
मूल	3,900.00		
पुनर्वि.	(-730.00	3,170.00	3,170.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 730.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2217-05-001-2020-नगर और ग्राम निवेश-			
मूल	2,123.81		
पुनर्वि.	(-1,099.70	1,024.11	1,092.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,099.70 लाख की कमी, अमलों की नियुक्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ता की राशि में कमी किए जाने, मकान किराया निधि में कम आबंटन किए जाने, रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग के लिए शहर प्रतिपूर्ति भत्ता प्रावधान किए जाने एवं वाहनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2217-05-001-8892-छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अभिकरण—			
मूल	216.02		
पुनर्वि.	(-)64.81	151.21	151.21
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 64.81 लाख की कमी अध्यक्ष की नियुक्ति वर्षान्त में किए जाने एवं दो सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2217-05-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2621-विकास योजना बनाना, पुनर्विलोकन एवं उपउत्तरण करना—			
मूल	453.52		
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-)304.71	348.81	279.83
			(-)68.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 304.71 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण अधिकारियों को निर्धारित समय में प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजे जाने एवं देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(11) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7411-विकास प्राधिकरणों को अनुदान—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7552-कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण—			
मूल	4,300.00		
पुनर्वि.	(-)1,564.00	2,736.00	2,736.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,564.00 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण—			
मूल	3,400.00		
पुनर्वि.	(-)3,400.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 3,400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 21—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ. सहायता प्राप्त एस. यू.टी.पी. योजना- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण- मूल 22,569.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)17,044.77	5,524.23	5,524.23	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17,044.77 लाख की कमी शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने, कार्य की धीमी प्रगति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7416-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान- मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00	0.00	0.00	0.00
₹ 800.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 6217-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7669-रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)5,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 5,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 6217-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7883-जल प्रदाय योजना- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व :			
दत्तमत	2,34,612	56,642	(-)1,77,970
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,78,010
<i>प्रभारित</i>	<i>5</i>	<i>00</i>	<i>(-)5</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>5</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 1,779.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 1,780.10 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217—80—001—2122—नगर पालिका कर्मचारियों की पेंशन योजना का क्रियान्वयन—			
मूल	71.29		
पुनर्वि.	(-)37.10	34.19	(-)0.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 37.10 लाख की कमी आवश्यकतानुसार निधि का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2217—80—001—6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—			
मूल	379.65		
पुनर्वि.	(-)142.44	237.21	(-)0.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 142.44 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि एवं फर्नीचर की आवश्यकता नहीं होने के साथ विद्युत व्यवस्था एन.आर.डी.ए. द्वारा किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2217—80—001—7442—संभागीय कार्यालय की स्थापना—			
मूल	470.18		
पुनर्वि.	(-)175.56	294.62	+0.74
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015—16 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2217—80—001—7761—शिक्षकों का वेतन—			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)1,100.00	0.00	0.00
₹ 1,100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 22—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2217—80—001—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना— मूल 325.00 पुनर्वि. (-)325.00	0.00	0.00	0.00

₹ 325.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2019—20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2700—वृहद सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	63,15,758	46,04,802	(-)17,10,956
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			17,17,008
<i>प्रभारित</i>	<i>110</i>	<i>00</i>	<i>(-)110</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>110</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	43,01,095		
पूरक	80,000	43,81,095	29,14,066
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)14,67,029
			14,66,610
<i>प्रभारित</i>	<i>85,500</i>	<i>0.00</i>	<i>(-)85,500</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>85,500</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) ₹ 17,109.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 17,170.08 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-01-101-2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	3,886.60		
पुनर्वि.	(-)342.58	3,544.02	3,555.13
(2) 2700-02-101-2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	2,643.60		
पुनर्वि.	(-)108.92	2,534.68	2,535.70
(3) 2700-04-101-2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	339.00		
पुनर्वि.	(-)148.91	190.09	190.41
(4) 2700-05-101-2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	779.20		
पुनर्वि.	(-)100.16	679.04	682.41

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2700-06-101-2894-बांध तथा नहरें— मूल 688.70 पुनर्वि. (-)46.89	641.81	606.40	(-)35.41
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 342.58 लाख, ₹ 108.92 लाख, ₹ 148.91 लाख एवं ₹ 46.89 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(6) 2700-10-101-2894-बांध तथा नहरें— मूल 672.20 पुनर्वि. (-)177.93	494.27	457.04	(-)37.23
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी अनुसूचना कार्य की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 77.93 लाख की अन्य कमी कार्यभारित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 177.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2701-04-101-2250-नहरें तथा तालाब— मूल 124.30 पुनर्वि. (-)79.57	44.73	44.90	+0.17
(8) 2701-80-001-275-आबियाना स्थापना— मूल 2,642.90 पुनर्वि. (-)795.67	1,847.23	1,841.03	(-)6.20
(9) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3264-मंडल स्थापना— मूल 2,612.42 पुनर्वि. (-)897.66	1,714.76	1,711.01	(-)3.75
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 79.57 लाख, ₹ 795.67 लाख एवं ₹ 897.66 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2010-11 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3302-मंडल स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)— मूल 205.65 पुनर्वि. (-)63.91	141.74	141.74	(-)0.28
(11) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट-I— मूल 4,078.45 पुनर्वि. (-)1,281.47	2,796.98	2,794.34	(-)2.64

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 814-मुख्यालय स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)- मूल 1,051.95 पुनर्वि. (-)212.14	839.81	834.42	(-)5.39

उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 63.91 लाख, ₹ 1,281.47 लाख एवं ₹ 212.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 एवं 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 815-कार्यपालिक स्थापना- मूल 38,917.10 पुनर्वि. (-)12,548.70	26,368.40	26,362.86	(-)5.54
--	-----------	-----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले में शासकीय वकील एवं तकनीकी सलाहकार को भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 12,648.70 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 12,548.70 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में "उचंत" शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 2.67 लाख सम्मिलित है। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित "उचंत" लेन देन का विश्लेषण विभिन्न "उचंत उपशीर्षों" के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारम्भिक शेष 01 अप्रैल 2020 को नामे + /जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2021 को नामे + /जमा (-)
2701-मध्यम सिंचाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)841.87	0.00	0.00	(-)841.87
(ii) भण्डार	+681.50	0.00	2.67	+678.83
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+2,425.83	0.00	0.00	+2,425.83
(iv) कार्यशाला उचंत	+147.09	0.00	0.00	+147.09
कुल	+2,412.55	0.00	2.67	+2,409.88

प्रभारित-

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 800.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 14,670.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 14,666.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 23—जारी

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-कार्यकारी स्थापना (यूनिट 1 एवं 2)- मूल 4,196.40 पुनर्वि. (-)1,202.68	2,993.72	2,980.37	(-)13.35
समर्पण द्वारा ₹ 1,202.68 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4700-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)- मूल 817.00 पुनर्वि. (-)235.23	581.77	582.44	+0.67
समर्पण द्वारा ₹ 235.23 लाख की कमी कार्यभारित स्थापना के अन्तर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4700-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)1,061.47	2,938.53	2,938.67	+0.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,061.47 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4700-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निपटान नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-कार्यपालन स्थापना (यूनिट-1 एवं 2)- मूल 9,372.30 पुनर्वि. (-)2,449.79	6,922.51	6,929.23	+6.72
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,449.79 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट-1 मूल 988.85 पुनर्वि. (-)270.32	718.53	718.18	(-)0.35

अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा ₹ 270.32 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	3,110.00		
पुनर्वि.	(-)1,789.73	1,320.27	1,320.27
			0.00

समर्पण द्वारा ₹ 1,589.73 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की अन्य कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,789.73 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण-			
मूल	980.00		
पुनर्वि.	(-)550.92	429.08	429.06
			(-)0.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 550.92 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नही होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 4700-08-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,079.02	420.98	420.98
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,079.02 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 4700-09-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	3,010.00		
पुनर्वि.	(-)145.58	2,864.42	2,864.42
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 145.58 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नही होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 4700-10-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निपटान नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4700-11-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)603.26	196.74	196.74
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 603.26 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 4700-12-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य- मूल 701.00 पुनर्वि. (-)503.90	197.10	197.10	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 503.90 लाख की कमी भू-अर्जन प्रकरणों का निपटान नहीं किए जाने एवं वन विभाग द्वारा निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4700-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4416-सर्वेक्षण- मूल 375.00 पुनर्वि. (-)360.84	14.16	14.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 360.84 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4700-80-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6354-बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-II- पूरक 550.00 पुनर्वि. (-)550.00	0.00	0.00	0.00
₹ 550.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4701-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)126.89	73.11	72.54	(-)0.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.89 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4701-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4701-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्तावित कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 4701-10-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्तावित कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(20) 4701-13-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्तावित कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4701-14-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 500.10 पुनर्वि. (-)74.43	425.67	425.74	+0.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.43 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4701-28-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 4701-30-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 4701-32-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 740.00 पुनर्वि. (-)303.08	436.92	437.02	+0.10

अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 303.08 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भू अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 4701-37-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 2,010.00 पुनर्वि. (-)470.37	1,539.63	1,539.65	+0.02

समर्पण द्वारा ₹ 100.37 लाख की कमी भू अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 370.00 लाख की अन्य कमी प्रस्तावित कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 470.37 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(26) 4701-38-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 240.00 पुनर्वि. (-)239.90	0.10	0.10	0.00
---	------	------	------

समर्पण द्वारा ₹ 139.90 लाख की कमी भू अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी प्रस्तावित कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संयुक्त प्रभाव से ₹ 239.90 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 4701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट-1 मूल 127.50 पुनर्वि. (-)97.59	29.91	29.91	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.59 लाख की कमी वित्त मंत्रालय द्वारा नवीन वाहन क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(28) 4701-80-002-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4793—जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना— मूल 1,893.90 पुनर्वि. (-)620.61	1,273.29	1,272.80	(-)0.49
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 620.61 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(29) 4701-80-005-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3363—मध्यम परियोजना का सर्वे— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)134.09	65.91	65.91	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.09 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 4701—80—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6354—बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस—II पूरक 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00

₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700—06—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 1,000.00 पुनर्वि. 196.45	1,196.45	1,196.45	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि चालू कार्य के वर्तमान दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.55 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 196.45 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4700—06—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. 1,269.96	2,269.96	2,269.96	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,270.00 लाख की वृद्धि चालू कार्यों के वर्तमान दायित्वों का भुगतान किए जाने हेतु एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.04 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,269.96 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(ix) उचंत लेन देन—

“उचंत” के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iv) पर की गई है।

वर्ष 2020—21 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उचंत उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारम्भिक शेष 1 अप्रैल 2020 को नामे + / जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2021 को नामे + / जमा (-)
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—		(₹ लाख में)		
(i) क्रय	(-)830.51	0.00	0.00	(-)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	0.00	0.00	+346.16
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+1,590.21	0.00	0.00	+1,590.21
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)76.61	0.00	0.00	(-)76.61
कुल	+1,029.25	0.00	0.00	+1,029.25

अनुदान संख्या 23—समाप्त

प्रभारित—

(x) ₹ 855.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया

(xi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4948-डिक्री धन का भुगतान (भारित)- मूल 5.00 पुनर्वि. (-)5.00	0.00	0.00	0.00
₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4700-80-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6354-बांध पुर्नवास एवं सुधार प्रोजेक्ट- मूल 550.00 पुनर्वि. (-)550.00	0.00	0.00	0.00
₹ 550.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(3) 4701-80-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6354-बांध पुर्नवास एवं सुधार प्रोजेक्ट- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4948-डिक्री धन का भुगतान (भारित)- मूल 50.00 पुनर्वि. 50.00	0.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3053—नागर विमानन्			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,19,09,915		
पूरक	10,000	1,19,19,915	78,61,398
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)40,58,517 74,82,399
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	1,48,49,405		
पूरक	501	1,48,49,906	1,04,08,167
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)44,41,739 48,01,965
प्रभारित	3,10,130	1,85,033	(-)1,25,097
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,25,097
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 40,585.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 74,823.99 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3054-03-337-2227-नवीनीकरण-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,783.83	4,216.17	4,203.54
			(-)12.63
समर्पण द्वारा ₹ 898.83 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,885.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,783.83 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(2) 3054-03-337-4090-विशेष मरम्मत-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)783.21	716.79	716.79
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 783.21 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 3054-03-797-8716—केन्द्रीय सड़क निधि—			
मूल	36,000.00		
पुनर्वि.	(-)36,000.00	0.00	29,654.00
			+29,654.00

₹ 36,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 3054-04-337-134—अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत—			
मूल	12,040.00		
पुनर्वि.	(-)59.95	11,980.05	11,945.69
			(-)34.36

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 596.95 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(5) 3054-04-337-2227—नवीनीकरण—			
मूल	19,172.00		
पुनर्वि.	(-)11,353.26	7,818.74	7,764.20
			(-)54.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,353.26 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 3054-04-337-4090—विशेष मरम्मत—			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)551.29	648.71	648.71
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 551.29 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण सूचित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 3054-04-337-4557—सुदृढीकरण—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)754.07	745.93	745.93
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 754.07 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 3054-04-337-7984—ग्रामीण मार्गों की विशेष मरम्मत—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)227.62	272.38	272.39
			+0.01

समर्पण द्वारा ₹ 127.62 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 227.62 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 3054-04-337-7986—ग्रामीण मार्गों का डामरीकरण—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)322.14	177.86	177.86
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.14 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 3054-04-337-7987-ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण-			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,702.40	797.60	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,702.40 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 3054-80-001-2301-निर्देशन एवं प्रशासन- (मांग सं. 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)-			
मूल	13,213.50		
पुनर्वि.	(-)13,213.50	0.00	4,707.44

₹ 13,213.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 3054-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7609-ए.डी.बी.सहायित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना का स्थापना व्यय-			
मूल	1,419.85		
पुनर्वि.	(-)1,108.15	311.70	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,108.15 लाख की कमी छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय एवं वाणिज्यिक भुगतान ए.डी.बी. प्रोजेक्ट द्वारा किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 3054-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार- (मांग सं. 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)-			
मूल	5,318.30		
पुनर्वि.	(-)5,318.30	0.00	37.95

₹ 5,318.30 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3054-01-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत-			
मूल	3,305.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	390.28	3,795.28	(-)99.24

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,885.00 लाख की वृद्धि दायित्वों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,494.72 लाख की कमी प्रतिपूर्ति किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 390.28 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 3054-04-337-7985—ग्रामीण मार्गों का सुदृढीकरण—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	98.96	598.96	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि दायित्वों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.04 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 98.96 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(v) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054—सड़कें तथा पुल—800—अन्य व्यय" जिसके लिए अनुदान संख्या 24—"लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल" में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अन्तरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अन्तरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2021 को केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता के जमा लेखे में ₹ 3,025.79 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 5.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 44,417.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 48,019.65 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4727—हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार—			
मूल	515.00		
पुनर्वि.	(-)493.25	21.75	(-)21.75

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 493.25 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 5054-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3775—रेल्वे ओव्हर ब्रिज

का निर्माण—

मूल 9,560.00

पुनर्वि. (-)6,018.14

3,541.86

3,664.05

+122.19

समर्पण द्वारा ₹ 4,018.14 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,018.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4151-वृहद पुलों का निर्माण-			
मूल	10,050.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,973.39	8,076.61	8,354.87
			+278.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,973.39 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(4) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7996-जवाहर सेतु योजना-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,280.39	719.61	744.44
			+24.83
समर्पण द्वारा ₹ 3,480.39 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,280.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(5) 5054-03-337-0520-केन्द्रीय सड़क निधि- 8716-केन्द्रीय सड़क निधि-			
मूल	36,000.00		
पुनर्वि.	(-)10,508.45	25,491.55	26,628.35
			+1,136.80
समर्पण द्वारा ₹ 5,308.45 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,200.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 10,508.45 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(6) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 1826-डामरीकरण-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 4336-राज्यों में सड़कों का निर्माण राज्य मार्ग-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,182.92	4,817.08	4,983.27
			+166.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,182.92 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 5054-03-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8716-केन्द्रीय सड़क निधि-			
मूल	3,050.00		
पुनर्वि.	(-)2,530.31	519.69	519.69
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,530.31 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 5054-04-337-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)5,095.32	1,904.68	1,970.39	+65.71

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,095.32 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(10) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण— मूल 20,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)7,963.78	12,036.22	12,451.47	+415.25
---	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 6,963.78 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,963.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम— मूल 22,000.00 पुनर्वि. (-)7,126.19	14,873.81	15,386.96	+513.15
---	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 6,626.19 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,126.19 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5041—वृहद सड़कों का सर्वेक्षण— मूल 180.00 पुनर्वि. (-)136.16	43.84	43.84	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.16 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7977—शहरी क्षेत्र के मार्ग— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)1,086.44	2,113.56	2,183.17	+69.61
--	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,086.44 लाख की कमी विभागीय कार्य की प्रक्रिया में भी विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 5054-05-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7818-ई.पी.सी. (इंजीरियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)- मूल 7,929.00 पुनर्वि. (-)7,929.00	0.00	0.00	0.00

₹ 7,929.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1513-जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण- मूल 14,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 7,221.30	21,221.30	21,953.43	+732.13

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,000.00 लाख की वृद्धि दायित्वों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 778.70 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,221.30 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6450-मुख्य मंत्री सुगम सड़क योजना- मूल 5.00 पुनर्वि. 1,497.00	1,502.00	1,502.00	0.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.00 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,497.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण दोनों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

प्रभारित-

(x) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा- मूल 3,100.00 पूरक (-)1,249.67	1,850.33	1,850.33	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 1,249.67 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6853—अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत	37,46,746	9,98,607	(-)27,48,139
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			27,48,789
प्रभारित	500	00	(-)500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			500
पूंजीगत :			
दत्तमत	12,66,403	8,85,661	(-)3,80,742
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			3,80,765

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 27,481.39 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 27,487.89 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2853-02-001-4639—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	1,165.00		
पुनर्वि.	(-)382.30	782.70	781.74
			(-)0.96
(2) 2853-02-001-4640—जिला स्थापना—			
मूल	2,229.86		
पूरक	15.00		
पुनर्वि.	(-)445.29	1,799.57	1,809.04
			+9.47
(3) 2853-02-001-4643—क्षेत्रीय स्थापना—			
मूल	1,383.60		
पुनर्वि.	(-)509.20	874.40	872.39
			(-)2.01

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 382.30 लाख, ₹ 445.29 लाख एवं ₹ 509.20 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2008-09 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2012-13 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (2) तथा 2011-12 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2853-02-004-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7792—संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप— मूल 174.00 पुनर्वि. (-)151.10	22.90	22.90	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.10 लाख की कमी जिला कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर नहीं लिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

(5) 2853-02-797-5390—खनिज निधि
में अंतरण—

मूल 32,500.00 पुनर्वि. (-)26,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 26,000.00 लाख की कमी खनिज विकास निधि में केवल 65 करोड़ की राशि अंतरण किए जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

प्रभारित—

(iii) ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4853-01-004-4639—मुख्यालय स्थापना— मूल 337.00 पुनर्वि. (-)329.24	7.76	7.76	0.00
(2) 4853-01-004-4639—क्षेत्रीय स्थापना— मूल 94.00 पुनर्वि. (-)77.82	16.18	16.41	+0.23

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 329.24 लाख एवं ₹ 77.82 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4853-01-004-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि—
7792—संचालनालय, भौमिकी
तथा खनिकर्म सम्बन्धी
कार्य/क्रियाकलाप—

मूल 3,012.00 पुनर्वि. (-)381.75	2,630.25	2,630.25	0.00
------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा ₹ 915.29 लाख की कमी शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 533.54 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 381.75 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 6853-01-190-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि—
7796—छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम
सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप—

मूल 9,200.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00
--------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,000.00 लाख की कमी मांग के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	4,49,477		
पूरक	500	4,49,977	2,94,876
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)1,55,101 1,55,257
पूंजीगत	7,500	16	(-)7,484 7,484
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,551.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 1,552.57 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-05-102-444—आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन—			
मूल	120.29		
पुनर्वि.	(-)59.42	60.87	61.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 59.42 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+0.75
(2) 2205-102-7929—फिल्म विकास निगम—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2205-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) 5753—समारोह हेतु अनुदान—			
मूल	1,650.00		
पूरक	5.00		
पुनर्वि.	(-)375.10	1,279.90	1,279.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 375.10 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण शिविर, मेला, उत्सवों एवं प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00

अनुदान संख्या 26—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2205-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) 6361—स्वामी विवेकानन्द स्मृति संस्थान की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(5) 2205-103-2318—निर्देशन एवं प्रशासन— मूल 528.41 पुनर्वि. (-)111.70	416.71	416.74	+0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.70 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2205-103-758—कन्जरवेशन सेल— मूल 224.58 पुनर्वि. (-)89.14	135.44	135.39	(-)0.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.14 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2205-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 598—उत्खनन तथा सर्वेक्षण— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)100.43	19.57	19.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.43 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2205-104-3675—राज्य पुरालेख संचालनालय— मूल 99.84 पुनर्वि. (-)67.26	32.58	32.55	(-)0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.26 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2205-107-4283—संग्रहालय— मूल 468.78 पुनर्वि. (-)126.35	342.43	342.54	+0.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.35 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 3454-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) 6041—जिला विचारणियका पुनरीक्षण— मूल 89.67 पुनर्वि. (-)47.12	42.55	42.55	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.12 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं राजपत्र का प्रकाशन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 26—समाप्त

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-04-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7760-सिरपुर का सांस्कृतिक विकास-			
मूल	25.00		
पुनर्वि.	(-)24.84	0.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 24.84 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4202-04-106-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7981-संग्रहालय भवन निर्माण-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	5,14,98,073		
पूरक	2,58,900	5,17,56,973	4,10,65,648
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-1,06,91,325 1,07,50,380
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	5,000	00	(-5,000 5,000
पूंजीगत :			
दत्तमत	3,83,590	2,53,613	(-1,29,977
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,29,977

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 2,589.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,06,913.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 1,07,503.80 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	9,913.30		
पूरक	4.00		
पुनर्वि.	(-4,352.61	5,564.69	5,565.12
			+0.43

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,352.61 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयक प्राप्त नहीं होने, परीक्षाएं संचालित नहीं होने, स्कूल नहीं खुलने तथा उत्सव आयोजित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-001-3930—खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 4,309.80 पुनर्वि. (-)531.40	3,778.40	3,778.48	+0.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 531.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने एवं जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2202-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,07,988.74 पुनर्वि. (-)15,193.56	92,795.18	92,795.22	(-)0.04
समर्पण द्वारा ₹ 13,673.56 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने, जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के साथ मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,520.00 लाख की अन्य कमी नवीन आदर्श विद्यालय के अमले के प्रतिनियुक्ति पर होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 15,193.56 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,20,457.88 पुनर्वि. (-)9,626.35	1,10,831.53	1,10,815.01	(-)16.52
समर्पण द्वारा ₹ 8,600.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने, जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के साथ मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,026.00 लाख की अन्य कमी नवीन आदर्श विद्यालय के अमले के प्रतिनियुक्ति पर होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 9,626.35 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-01-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6956—प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा— मूल 82.00 पुनर्वि. (-)70.42	11.58	11.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.42 लाख की कमी देयकों के कम प्राप्त होने एवं प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-01-107-3024—बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएं—(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 321.80 पुनर्वि. (-)117.18	204.62	205.19	+0.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 117.18 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं देयकों के कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-01-108-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5904—पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय— मूल 1,313.00 पुनर्वि. (-)1,313.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,313.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-01-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1394—छात्राओं का गणवेश— (मूलभूत न्यूनतम— सेवाओं के लिए)— मूल 2,067.00 पुनर्वि. (-)2,067.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,067.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202-01-111-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 65,000.00 पुनर्वि. (-)46,644.17	18,355.83	18,355.83	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 46,644.17 लाख की कमी केन्द्रांश के प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 2,653.65 पुनर्वि. (-)265.01	2,388.64	2,384.09	(-)4.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 265.01 लाख की कमी कम्प्यूटर आपरेटरों के मानदेय में वृद्धि नहीं होने एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6933—माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 2,300.00 पुनर्वि. (-)156.86	2,143.14	2,139.92	(-)3.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.86 लाख की कमी कम्प्यूटर आपरेटरों के मानदेय में वृद्धि नहीं होने एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 23,220.00 पूरक 1,473.00 पुनर्वि. (-)2,119.79	22,573.21	22,541.20	(-)32.01

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(13) 2202-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-				
मूल	15,891.37			
पूरक	1,112.00			
पुनर्वि.	(-)1,070.74	15,932.63	15,928.82	(-)3.81

उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,119.79 लाख एवं ₹ 1,070.74 लाख की कमी मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप रसोईयों के मानदेय दर में वृद्धि नहीं होने, कोषालयों द्वारा देयक पारित नहीं किए जाने एवं माह मार्च से संबंधित देयक पारित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 2202-01-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना-				
मूल	300.00			
पुनर्वि.	(-)282.46	17.54	17.54	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 282.46 लाख की कमी विद्यालयों के नहीं खुलने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2202-02-105-4402-शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय-				
मूल	948.50			
पुनर्वि.	(-)266.98	681.52	680.52	(-)1.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 266.98 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं दावे कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(16) 2202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3694-राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस. सी. ई. आर. टी.) का पुनर्गठन-				
मूल	754.20			
पुनर्वि.	(-)282.59	471.61	469.94	(-)1.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 282.59 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, दावे कम प्राप्त होने एवं प्रशिक्षण संचालित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5569-सीमेट का गठन-				
मूल	265.20			
पुनर्वि.	(-)116.98	148.22	148.63	+0.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.98 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, दावे कम प्राप्त होने एवं प्रशिक्षण संचालित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6400-ई-लर्निंग स्कीम-				
मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)485.28	14.72	14.72	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 485.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2202-02-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5904—निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 1,283.00 पुनर्वि. (-)1,283.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,283.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)6,361.11	8,638.89	8,638.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,361.11 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(21) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 1,11,281.89 पुनर्वि. (-)9,665.37	1,01,616.52	1,01,581.43	(-)35.09
समर्पण द्वारा ₹ 9,665.37 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के साथ मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(22) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7367—आदर्श विद्यालय योजना— मूल 2,076.00 पुनर्वि. (-)1,042.22	1,033.78	1,033.78	0.00
(23) 2202-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5646—सैनिक विद्यालय की स्थापना— मूल 365.00 पुनर्वि. (-)273.00	92.00	92.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,042.22 लाख एवं ₹ 273.00 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(24) 2202-80-001-3858—लोक शिक्षण संचालनालय— मूल 1,060.62 पुनर्वि. (-)252.75	807.87	807.66	(-)0.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 252.75 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने, स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं उत्सव आयोजित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 2202-80-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)140.95	209.05	209.05	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.95 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(26) 2202-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन— मूल 285.00 पुनर्वि. (-)171.00	114.00	114.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 171.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(27) 2202-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5527—सैनिक बोर्ड का गठन— मूल 358.30 पुनर्वि. (-)274.30	84.00	84.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 274.30 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2202-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7840—विभागीय कार्यालय— मूल 900.88 पुनर्वि. (-)342.03	558.85	555.54	(-)3.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 342.03 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2202-80-800-7761—शिक्षकों का वेतन— मूल 2,438.50 पुनर्वि. (-)250.25	2,188.25	2,188.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.25 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 2204-102-3755—राष्ट्रीय सैन्य दल— मूल 2,620.60 पुनर्वि. (-)1,382.98	1,237.62	1,236.21	(-)1.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,382.98 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 2204-104-1084—खेलकूद एवं गतिविधियों पर व्यय— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)602.03	497.97	497.97	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 602.03 लाख की कमी खेलकूद गतिविधियां संचालित नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 2205-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4395—सरकारी पुस्तकालय— मूल 357.80 पुनर्वि. (-)143.20	214.60	214.32	(-)0.28
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.20 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 110—अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 3,220.00 पुनर्वि. (-)1,032.69	2,187.31	4,096.33	+1,909.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,032.69 लाख की कमी जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2021)।

प्रभारित—

(v) ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-201-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)97.47	202.53	202.53	0.00
(2) 4202-01-201-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4396—राजकीय प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 480.40 पुनर्वि. (-)142.00	338.40	338.40	0.00

अनुदान संख्या 27—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9005- इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत-			
मूल	1,820.00		
पुनर्वि.	(-)621.19	1,198.81	1,198.81
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 97.47 लाख, ₹ 142.00 लाख एवं ₹ 621.19 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(4) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3858-लोक शिक्षण विभाग-			
मूल	52.00		
पुनर्वि.	(-)52.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 52.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)88.96	61.04	61.04
			0.00
(6) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9005-इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत-			
मूल	675.00		
पुनर्वि.	(-)240.65	434.35	434.35
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 88.96 लाख एवं ₹ 240.65 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	6,21,163		
पूरक	2,000	6,23,163	4,13,868
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)2,09,295 59,116
प्रभारित	6,700	1,511	(-)5,189
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 2,092.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 591.16 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2011-02-101-4007—विधान सभा—			
मूल	3,593.60		
पूरक	20.00	3,613.60	2,451.30
			(-)1,162.30
(2) 2011-02-103-4009—विधानसभा सचिवालय	1,939.03	1,627.14	(-)311.89

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2004-05 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2006-07 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2011-02-103-4312—संसदीय
कार्य विभाग—

मूल	639.00		
पुनर्वि.	(-)591.16	47.84	47.51
			(-)0.33

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 591.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने एवं कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने के कारण निधि का उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2011-02-103-6582—भारतीय संसदीय
संघ को सहायक अनुदान

	40.00	12.72	(-)27.28
--	-------	-------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 51.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2011-02-101-125-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का भत्ता	67.00	15.11	(-)51.89

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2004-05 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2015—निर्वाचन			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	44,57,002		
पूरक	1,13,500	45,70,502	30,96,209
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)14,74,293 00
प्रभारित—			
मूल	9,53,580		
पूरक	सांकेतिक	9,53,580	6,03,593
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)3,49,987 00
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,29,050	6,134	(-)1,22,916
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
प्रभारित	3,800	2,627	(-)1,173
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में, प्राप्त किया गया ₹ 1,135.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 14,742.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-5421-छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी	412.70	201.63	(-)211.07
(2) 2014-105-2410-निर्वाह पत्र तामिल स्थापना	2,192.10	1,509.16	(-)682.94
(3) 2014-105-4497-सामान्य स्थापना—			
मूल	22,778.90		
पूरक	सांकेतिक	22,778.90	16,481.79
			(-)6,297.11
(4) 2014-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6356-फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो	877.00	413.11	(-)463.89

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2014-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7798-कॉमर्शियल कोर्ट	199.06	88.28	(-)110.78
(6) 2014-108-1912-अपराधिक न्यायालय	73.00	3.90	(-)69.10
(7) 2014-114-3428-महाधिवक्ता	1,199.60	929.03	(-)270.57
(8) 2014-114-3572-मुफस्सिल स्थापना	1,071.80	617.55	(-)454.25
(9) 2014-117-5416-परिवार न्यायालय की स्थापना	3,493.30	1,686.17	(-)1,807.13
(10) 2014-118-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7256-न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	824.00	469.25	(-)354.75
(11) 2014-800-2918-बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता	155.00	9.02	(-)145.98
(12) 2014-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5464-हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	886.86	286.86	(-)600.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4), 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) एवं (12), 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (6), तथा 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2013-14 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (1) एवं (11), 2006-07 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (2), 2005-06 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं (8) एवं 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (7) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2015-102-2409-निर्वाचन अधिकारी-			
मूल	2,105.90		
पुनर्वि.	(-)23.00	2,082.90	1,545.88
			(-)537.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 23.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 2015-103-3307-मतदाता सूचियों की छपाई एवं तैयारी	2,924.40	2,142.75	(-)781.65
(15) 2052-090-9057-विधि एवं विधायी कार्य	985.40	728.79	(-)256.61
(16) 2235-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3255-विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान-			
मूल	2,502.70		
पूरक	635.00	3,137.70	1,381.72
			(-)1,755.98

उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार—			
मूल	1,010.60		
पुनर्वि.	23.00	1,033.60	1,121.60
			+88.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23.00 लाख का आवर्धन निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार—			
मूल	511.00		
पूरक	500.00	1,011.00	1,088.07
			+77.07

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(v) ₹ 3,499.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-573-उच्च न्यायालय—			
मूल	9,305.60		
पूरक	सांकेतिक	9,305.60	5,875.53
			(-)3,430.07
(2) 2052-091-9056-माध्यस्थम अधिकरण	230.20	160.40	(-)69.80

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2005-06 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूजीगत:

दत्तमत—

(vii) ₹ 1,229.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2450-न्याय प्रशासन	400.00	0.00	(-)400.00
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5421-छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी	500.00	0.00	(-)500.00

अनुदान संख्या 29—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5464-हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	300.00	0.00	(-)300.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(ix) ₹ 11.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(x) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4070-800-573-उच्च न्यायालय	38.00	26.27	(-)11.73

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्राम रोजगार			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054—सड़कें तथा सेतु			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,05,67,309		
पूरक	16,27,400	3,21,94,709	1,48,65,256
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-),1,73,29,453
			1,74,24,688
प्रभारित	1,900	00	(-),1,900
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,900
पूंजीगत :			
दत्तमत	86,85,900	76,51,241	(-),10,34,659
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			10,27,031

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 (₹ 16,200.00 लाख) एवं दिसम्बर 2020 (₹ 74.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 16,274.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,73,294.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 1,74,246.88 का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-02-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-			
7610- स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	22,500.00		
पुनर्वि.	(-),18,376.23	4,123.77	4,123.77
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18,376.23 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2216-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- मूल 80,000.00 पुनर्वि. (-)62,057.81	17,942.19	17,942.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62,057.81 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7974-अभिसारी आम आदमी बीमा योजना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान एल.आई.सी. बीमा प्रीमियम नवीनीकरण के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7975-अभिसारीत प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना	100.00	0.00	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2501-06-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन- मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)6,242.20	13,757.80	13,757.80	0.00
(6) 2501-06-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8775-प्रशासनिक योजनाएं जिला स्तर- मूल 876.58 पुनर्वि. (-)198.60	677.98	677.98	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 6,242.20 लाख एवं ₹ 198.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(7) 2505-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मूल 272.55 पुनर्वि. (-)161.26	111.29	110.58	(-)0.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 161.26 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2505—60—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 80,000.00 पुनर्वि. (-)30,312.26	49,687.74	47,191.65	(-)2,496.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30,312.26 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017—18 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2515—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1033—विकासखण्ड कार्यालय— मूल 7,341.68 पुनर्वि. (-)1,921.47	5,420.21	5,414.21	(-)6.00
(10) 2515—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3926—विकास आयुक्त— मूल 484.72 पूरक 74.00 पुनर्वि. (-)109.14	449.58	449.11	(-)0.47
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,921.47 लाख एवं ₹ 109.14 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(11) 2515—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5063—ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान— मूल 575.43 पुनर्वि. (-)230.38	345.05	345.05	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 230.38 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2515—101—2474—पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार— मूल 16,179.80 पुनर्वि. (-)8,452.59	7,727.21	7,708.31	(-)18.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,452.59 लाख की कमी प्राप्त यात्रा दावे एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012—13 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2515—101—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7687-मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना- मूल 1,210.70 पुनर्वि. (-)412.72	797.98	797.98	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 412.72 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा- मूल 6,437.54 पुनर्वि. (-)1,032.12	5,405.42	5,403.11	(-)2.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,032.12 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 6,029.70 पुनर्वि. (-)1,227.91	4,801.79	4,792.08	(-)9.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,227.91 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(17) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6439-गोठानों का संचालन- मूल 16,200.00 पुनर्वि. (-)13,145.29	3,054.71	6,471.51	+3,416.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,145.29 लाख की कमी निधियों के कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(18) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना- मूल 1,937.99 पुनर्वि. (-)882.28	1,055.71	1,207.14	+151.43
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 882.28 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(19) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7644-ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र- मूल 345.74 पुनर्वि. (-)150.23	195.51	195.62	+0.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.23 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2515-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7645—ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई— मूल 580.00 पुनर्वि. (-)412.54	167.46	166.53	(-)0.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 412.54 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 3054-04-105-4855—प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 60,000.00 पुनर्वि. (-)28,426.60	31,573.40	31,586.75	+13.35
--	-----------	-----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 28,426.60 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 19.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 10,346.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 10,270.31 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7644—ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4515-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन— मूल 5,500.00 पुनर्वि. (-)2,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,500.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4515-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6437—ग्रामीण क्षेत्रों में गोठान निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष	अनुदान संख्या 30—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(4) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7658-सांसद आदर्श ग्राम योजना-				
मूल	400.00			
पुनर्वि.	(-)120.00	280.00	280.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।				
(5) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7659- विधायक आदर्श ग्राम योजना-				
मूल	400.00			
पुनर्वि.	(-)120.00	280.00	280.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।				
(6) 5054-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-				
मूल	2,000.00			
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(7) 5054-04-337-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-				
मूल	67,500.00			
पुनर्वि.	(-)3,692.10	63,807.90	63,807.90	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,692.10 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(8) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना-				
मूल	2,600.00			
पुनर्वि.	(-)383.46	2,216.54	2,175.00	(-)41.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 383.46 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।				
(9) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-				
मूल	3,000.00			
पुनर्वि.	(-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1000.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 3,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				

अनुदान संख्या 30—समाप्त

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-337-0311-नाबार्ड सहायित योजना (सामान्य)- 7475-मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	1,784.03	6,784.03	6,749.29
			(-)34.74

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 215.97 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,784.03 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। इस शीर्षान्तर्गत समर्पण के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	5,20,020		
पूरक.	1,500	5,21,520	2,85,149
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)2,36,371 2,36,621
प्रभारित	40	00	(-)40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			40
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 2,363.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 2,366.21 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3451—101—3686—राज्य योजना आयोग—			
मूल	565.40		
पुनर्वि.	(-)225.34	340.06	340.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 225.34 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			0.00
(2) 3451—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7639—राज्य योजना का सुदृढीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान—			
मूल	1,037.00		
पुनर्वि.	(-)979.21	57.79	57.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 979.21 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है (जुलाई 2021)। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(3) 3454—02—111—1430—महत्वपूर्ण आंकड़ों का संकलन—			
मूल	374.70		
पुनर्वि.	(-)168.49	206.21	203.08
			(-)3.13

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 3454-02-201-512—नमूना सर्वेक्षण—			
मूल	198.90		
पुनर्वि.	(-)66.91	131.99	132.64
(5) 3454-02-205-8048—आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय—			
मूल	2,989.90		
पूरक	15.00		
पुनर्वि.	(-)898.50	2,106.40	2,111.28

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 168.49 लाख, ₹ 66.91 लाख एवं ₹ 898.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3), (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—		
2015—निर्वाचन		
2029—भू—राजस्व		
2039—राज्य उत्पाद शुल्क		
2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		
2051—लोक सेवा आयोग		
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं		
2053—जिला प्रशासन		
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2055—पुलिस		
2056—जेल		
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण		
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2075—विविध सामान्य सेवाएं		
2202—सामान्य शिक्षा		
2203—तकनीकी शिक्षा		
2204—खेल और युवा सेवाएं		
2205—कला एवं संस्कृति		
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2215—जलापूर्ति तथा सफाई		
2217—शहरी विकास		
2220—सूचना तथा प्रचार		
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास		
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं		
2401—फसल कृषि—कर्म		
2403—पशुपालन		
2405—मछली पालन		
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी		
2425—सहकारिता		
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2701—मध्यम सिंचाई		
2702—लघु सिंचाई		
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग		
2852—उद्योग		
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग		
3054—सड़क तथा सेतु		
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		
4220—सूचना तथा प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय		

अनुदान संख्या 32—जारी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	23,29,620	17,61,349
		(-)5,68,271
		5,68,711
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		(-)10
		10
पूंजीगत :		
दत्तमत	500	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		(-)500
		500
टीका एवं टिप्पणियां		
राजस्व :		
दत्तमत—		

(i) ₹ 5,682.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 5,687.11 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-800-3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल	210.00		
पुनर्वि.	(-)58.99	151.01	0.00
		151.01	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 58.99 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(2) 2220-01-001-2320—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	9,131.05		
पुनर्वि.	(-)2,384.00	6,747.05	+3.22
		6,750.27	
(3) 2220-01-001-8688—छत्तीसगढ़ सूचना केन्द्र नई दिल्ली—			
मूल	195.90		
पुनर्वि.	(-)59.37	136.53	+0.06
		136.59	
(4) 2220-60-106-1479—जिला प्रचार एवं मोबाइल यूनिट की स्थापना—			
मूल	5,735.25		
पुनर्वि.	(-)1,865.95	3,869.30	0.00
		3,869.30	
(5) 2220-60-106-4065—विशेष अवसरों पर प्रचार—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)146.21	53.79	0.00
		53.79	

अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2220—60—106—5376—इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रचार प्रसार—			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,139.46	4,860.54	4,860.54
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,384.00 लाख, ₹ 59.37 लाख, ₹ 1,865.95 लाख, ₹ 146.21 लाख एवं ₹ 1,139.46 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है (जुलाई 2021)। 2015—16 से 2019—20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2008—09 से 2019—20 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2014—15 से 2019—20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	4,85,87,347		
पूरक	80,200	4,86,67,547	4,21,75,655
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)64,91,892 65,87,967
प्रभारित		1,000	0.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)1,000 1,000

पूंजीगत:

दत्तमत	3,450	1,227	(-)2,223
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			2,223

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 4,21,756.55 लाख के वास्तविक व्यय के विरुद्ध दिसम्बर 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 802.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 64,918.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 65,879.67 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-2721-प्रशासन का सुदृढीकरण विकास खण्ड स्तर—			
मूल	4,204.12		
पुनर्वि.	(-)471.32	3,732.80	3,747.39
			+14.59

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 471.32 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-101-2772—प्राथमिक शालायें—			
मूल	1,81,758.51		
पूरक	550.00		
पुनर्वि.	(-)-16,511.55	1,65,796.96	1,65,523.53
			(-)-273.43

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 816.00 लाख की कमी कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 15,695.55 लाख की अन्य कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने, जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने एवं मित्तव्ययी उपायों को अपनाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 16,511.55 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(3) 2202-02-109-1117—गुरुकुल विद्यालय—			
मूल	377.98		
पुनर्वि.	(-)-136.14	241.84	272.86
			+31.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.14 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने, (₹ 68.92 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 67.22 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(4) 2202-02-109-3492—माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	1,76,235.44		
पूरक	170.00		
पुनर्वि.	(-)-23,238.49	1,53,166.95	1,53,119.52
			(-)-47.43

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 23,238.49 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-02-109-363—आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	1,523.20		
पूरक	1.00		
पुनर्वि.	(-)-506.82	1,017.38	1,071.02
			+53.64

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 506.82 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने एवं मित्तव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 227.77 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 279.05 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2202-02-109-583—उच्चतर माध्यमिक शालाएं—			
मूल	1,02,154.42		
पूरक	80.00		
पुनर्वि.	(-)-19,952.63	82,281.79	82,302.81
			+21.02

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 918.00 लाख की कमी कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 19,034.63 लाख की अन्य कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने एवं मित्तव्ययी उपायों को अपनाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 19,952.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-02-109-761-कन्या शिक्षा परिसर-			
मूल	1,006.95		
पूरक	1.00		
पुनर्वि.	(-)167.47	840.48	838.92
			(-)1.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 167.47 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-02-109-979-क्रीड़ा परिसर-			
मूल	1,652.50		
पुनर्वि.	(-)697.81	954.69	954.02
			(-)0.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 697.81 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2202-02-110-307-अशासकीय संस्थाओं को अंशदान-			
मूल	4,531.00		
पुनर्वि.	(-)1,344.10	3,186.90	4,262.41
			+1,075.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,344.10 लाख की कमी जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2225-02-001-1483-जिला प्रशासन-			
मूल	6,641.00		
पुनर्वि.	(-)2,160.77	4,480.23	4,485.10
			+4.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,160.77 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2225-02-001-3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास-			
मूल	1,030.85		
पुनर्वि.	(-)496.17	534.68	533.77
			(-)0.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 496.17 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2225-02-001-6130-संचालनालय-			
मूल	1,978.60		
पुनर्वि.	(-)766.29	1,212.31	1,208.08
			(-)4.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 766.29 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2515-101-5495-मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का वेतन-			
मूल	2,570.50		
पुनर्वि.	(-)362.00	2,208.50	2,210.36
			+1.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 362.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 33—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-02-110-6440-उत्कृष्ट शालायें संचालन-			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 982.92	982.92	1,069.34	+86.42

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,734.00 लाख की वृद्धि नये आदर्श विधालय की स्थापना किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 751.08 लाख की कमी जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 982.92 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	9,40,095		
पूरक	1,98,924	11,39,019	7,97,182
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)3,41,837 3,51,798
प्रभारित	40	00	(-)40 40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,000	962	(-)38 38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			

टीका एवं टिप्पणी:

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 1,989.24 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 3,418.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 3,517.98 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-2322-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	2,456.68		
पुनर्वि.	(-)1,115.02	1,341.66	1,342.63
			+0.97
(2) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2969-बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना—			
मूल	240.05		
पुनर्वि.	(-)85.34	154.71	154.55
			(-)0.16
(3) 2235-02-101-79-दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं—			
मूल	1,618.20		
पुनर्वि.	(-)694.78	923.42	923.33
			(-)0.09

अनुदान संख्या 34—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-02-101-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7491—निःशक्त जनों को बाधा रहित सुविधाओं का विकास— मूल 150.00 पूरक 1,988.22 पुनर्वि. (-)150.00	1,988.22	1,988.22	0.00
(5) 2235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7738—निःशक्त जनों का सर्वेक्षण एवं आनलाईन पंजीयन— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
(6) 2235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7740—निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)145.50	254.50	254.50	0.00
(7) 2235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8664—फिजिकल रिफरल रिहबिलिटेशन सेंटर की माना में स्थापना— मूल 142.15 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)68.21	73.95	73.95	0.00
(8) 2235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8990—निःशक्तता स्वाभिमान एवं संबल योजना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)94.22	25.78	26.41	+0.63
(9) 2235-02-104-8980—घरौंदा योजना— मूल 313.73 पुनर्वि. (-)70.49	243.24	243.24	0.00
(10) 2235-02-105-2245—कलषेध कार्यक्रम— मूल 184.66 पुनर्वि. (-)110.49	74.17	74.17	0.00
(11) 2235-02-106-2517—परीवीक्षा इकाई— मूल 305.35 पुनर्वि. (-)119.85	185.50	185.28	(-)0.22

अनुदान संख्या 34—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2235-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5490-राष्ट्रीय पुर्नवास कार्यक्रम निःशक्तजन-			
मूल	231.60		
पुनर्वि.	(-88.46	143.14	143.14
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,115.02 लाख, ₹ 85.34 लाख, ₹ 694.78 लाख, ₹ 150.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख, ₹ 145.50 लाख, ₹ 68.21 लाख, ₹ 94.22 लाख, ₹ 70.49 लाख, ₹ 110.49 लाख ₹ 119.85 लाख एवं ₹ 88.46 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2), (7) एवं (9), 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (4), 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) एवं (8) एवं 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009-10 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (1) एवं 2012-13 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 35—पुनर्वास

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व	22,192	16,452	(-)5,740
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			5,951

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

(i) ₹ 57.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 59.51 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-01-200-4625—स्थाई दायित्व गृह, माना जिला रायपुर का संचालन—			
मूल	164.82		
पुनर्वि.	(-)49.17	115.65	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 49.17 लाख की कमी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने एवं विस्थापितों को स्थायी पुनर्वास के कारण उल्लिखित की गई है। 2003-04 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद			
2041—वाहन कर			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	8,81,142		
पूरक	5,010	8,86,152	4,59,313
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)4,26,839 2,75,189
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	2,050	00	(-)2,050 00
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,27,600	39,687	(-)87,913
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			86,255

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 (₹ 0.10 लाख) एवं दिसम्बर 2020 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 50.10 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 4,268.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 2,751.89 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2041-001-3565—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	833.71		
पुनर्वि.	(-)407.52	426.20	426.40
(2) 2041-001-5379—राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण			
मूल	143.02		
पुनर्वि.	(-)69.42	73.60	73.89
(3) 2041-001-8333—सड़क सुरक्षा कोष से व्यय			
मूल	262.16		
पुनर्वि.	(-)180.16	82.00	78.10

अनुदान संख्या 36—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 407.52 लाख, ₹ 69.42 लाख एवं ₹ 180.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2041-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6370-व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म	1,540.00	279.46	(-)1,260.54

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(5) 2041-101-4280-संग्रह प्रभार— मूल 2,911.74 पुनर्वि. (-)1,602.11	1,309.23	1,308.17	(-)1.06
(6) 2041-102-679-एन्फोर्समेंट— मूल 1,295.73 पूरक 0.10 पुनर्वि. (-)492.68	803.15	799.37	(-)3.78

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,602.11 लाख एवं ₹ 492.68 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007-08 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2070-114-3598-मोटर गैरेज	1,259.06	1,011.38	(-)247.68
------------------------------	----------	----------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 20.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2070-114-3598-मोटर गैरेज	20.00	0.00	(-)20.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 879.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 862.55 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 36—समाप्त

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5055-800-4280-संग्रह प्रभार— मूल 79.00 पुनर्वि. (-)26.65	52.35	52.35	0.00
(2) 5055-800-679-एन्फोर्समेंट— मूल 866.00 पुनर्वि. (-)817.82	48.18	48.18	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 26.65 लाख एवं ₹ 817.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

	(सभी दत्तमत) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष- 3452-पर्यटन 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	4,55,000	2,18,100	(-)2,36,900
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			2,36,900
पूंजीगत	5,80,000	1,09,000	(-)4,71,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			4,71,000
टीका एवं टिप्पणियां राजस्व:			

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3239-छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान-			
मूल	4,300.00		
पुनर्वि.	(-)2,220.00	2,080.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,220.00 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5753-समारोह हेतु अनुदान-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मांग होने पर भी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7323-भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)49.00	101.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 49.00 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7009-पर्यटन केन्द्रों का विकास-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,650.00	350.00	0.00

अनुदान संख्या 37—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6360—राम वन गमन पथ निर्माण एवं उन्नयन— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)900.00	100.00	100.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,650.00 लाख एवं ₹ 900.00 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6380—सिरपुर एकीकृत विकास योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(4) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6396—कुदरगढ़ में रोपवे निर्माण— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
(5) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6397—दामाखेड़ा के अधोसंरचनात्मक विकास— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
(6) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6398—पर्यटन प्रोत्साहन योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)60.00	40.00	40.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 300.00 लाख, ₹ 300.00 लाख, एवं ₹ 60.00 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7771—पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)900.00	600.00	600.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 900.00 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 5452-80-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7323—भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मांग होने पर भी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2408—खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवार्यें			
4408—खाद्य, भंडारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य भंडारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,41,63,020		
पूरक सांकेतिक	2,41,63,020	2,18,20,009	(-)23,43,011
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			23,40,217
प्रभारित	50	00	(-)50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			50
पूंजीगत:			
दत्तमत	7,93,760	00	(-)7,93,760
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			7,93,760

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 23,430.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 23,402.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय—			
मूल	3,095.20		
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. (-)643.82	2,451.39	2,446.16	(-)5.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 643.82 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने, कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा अग्रिम का लाभ न लेने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2408-01-001-629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ—			
मूल	1,532.25		
पुनर्वि. (-)498.90	1,033.35	1,024.93	(-)8.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 498.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2408-01-001-7810—छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग— मूल 117.50 पुनर्वि. (-)57.79	59.71	59.54	(-)0.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.79 लाख की कमी कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2408-01-001-7944—एकीकृत प्रबंधन—सार्वजनिक वितरण प्रणाली— मूल 141.60 पुनर्वि. (-)141.60	0.00	0.00	0.00
₹ 141.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2408-01-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8919—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण— मूल 1,490.00 पुनर्वि. (-)1,490.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,490.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष के दौरान योजना की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2408-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 580.00 पुनर्वि. (-)580.00	0.00	0.00	0.00
₹ 580.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 2408-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7801—मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3229—राज्य सहकारिता विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति— मूल 650.00 पुनर्वि. (-)650.00	0.00	0.00	0.00
₹ 650.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6839—मुख्य मंत्री खाद्य सहायता योजना— मूल 1,70,491.50 पुनर्वि. (-)13,863.56	1,56,627.94	1,56,627.94	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,863.56 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7894—सहकारी दुकानों को वित्तीय पोषण— मूल 4,250.00 पुनर्वि. (-)4,250.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 4,250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8933—शक्कर वितरण— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)953.23	4,046.77	4,046.77	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 953.23 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(12) 3475-106-6112—मुख्यालय एवं मंडल कार्यालय— मूल 733.95 पुनर्वि. (-)159.47	574.48	573.60	(-)0.88
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 159.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.50 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4408-01-800-1471—जिला कार्यालय— मूल 54.00 पुनर्वि. (-)54.00	0.00	0.00	0.00

₹ 54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 6408-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6914—पहुँच विहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान्न भंडारण हेतु सहायता— मूल 125.00 पुनर्वि. (-)125.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 125.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 6408-02-190-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण-			
मूल	7,700.00		
पूनुर्वि.	(-)7,700.00	0.00	0.00

₹ 7,700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

	(सभी दत्तमत)		आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2705—कमान क्षेत्र विकास			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	33,255	17,758	(-)15,497
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			15,347
पूंजीगत	11,75,200	13,831	(-)11,61,369
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			11,55,244
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) ₹ 154.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 153.47 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3436—महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण— मूल 192.60 पुनर्वि. (-)63.47	129.13	127.83	(-)1.30
(2) 2705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5593—हसदेव विकास प्राधिकरण— मूल 139.95 पुनर्वि. (-)90.00	49.95	49.76	(-)0.19

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 63.47 लाख एवं ₹ 90.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019—20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2017—18 से 2019—20 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(iii) ₹ 11,613.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 11,552.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7907—कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति मूल 11,552.00 पुनर्वि. (-)11,552.00	0.00	0.00	0.00

₹ 11,552.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4705—210—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2823—फील्ड चेनल्स का निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)0.01	99.99	38.74	(-)61.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.01 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(v) उचंत लेन देन:-

‘उचंत’ लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेख के नीचे टिप्पणी (v) में दी गई है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत 2020—21 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारम्भिक शेष 1 अप्रैल 2020 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंतशेष 31 मार्च 2021 को नामे+ जमा (-)
-------	---	--------------------------	-------------------------	--

4701—मध्यम सिंचाई पर
पूंजीगत परिव्यय—

(₹ लाख में)

(1) क्रय	(-)4.74	0.00	0.00	(-)4.74
(2) भण्डार	(-)0.03	0.00	0.00	(-)0.03
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+15.07	0.00	0.00	+15.07
योग	+10.30	0.00	0.00	+10.30

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जलापूर्ति तथा सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2220—सूचना तथा प्रचार
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्राम रोजगार
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलापूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4401—फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4405—मतस्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय
 4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 41—जारी

4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4810—गैर—पारम्पारिक उर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 5275—संचार/अन्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज
 6425—सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	15,74,17,528		
पूरक	90,11,920	16,64,29,448	(-)4,15,62,541
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			3,83,89,407
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			10
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	3,17,29,825		
पूरक	30,19,018	3,47,48,843	(-)1,24,20,934
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,04,35,623
प्रभारित	21,500	00	(-)21,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			21,500

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 (₹ 59,064.80 लाख), दिसम्बर 2020 (₹ 29,884.40 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 1,170.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 90,119.20 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 4,15,625.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 3,83,894.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3491—माध्यमिक शालाएं—(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	75,754.93		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)7,278.08	68,576.85	(-)10.40

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,278.08 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 90,612.61 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)10,786.02	80,026.59	80,028.48	+1.89

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,786.02 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 495-आश्रम और शालाएं- मूल 30,727.62 पूरक 31.00 पुनर्वि. (-)9,058.63	21,699.99	22,832.21	+1,183.22
--	-----------	-----------	-----------

समर्पण द्वारा ₹ 9,053.04 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.59 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 9,058.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5092-जवाहर उत्कर्ष योजना- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)586.23	413.77	442.27	+28.50
--	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 586.23 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2202-01-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय- मूल 2,100.00 पुनर्वि. (-)2,100.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 2,100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-01-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना- मूल 12,479.97 पुनर्वि. (-)4,528.81	7,951.16	7,945.57	(-)5.59
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 4,534.39 लाख की कमी भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.59 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,528.81 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1394-छात्राओं का गणवेश- (मूलभूत न्यूनतम- सेवाओं के लिए)- मूल 4,300.00 पुनर्वि. (-)4,300.00	0.00	0.00	0.00

₹ 4,300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(8) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना- मूल 3,428.80 पुनर्वि. (-)1,512.48	1,916.32	1,916.35	+0.03
--	----------	----------	-------

समर्पण द्वारा ₹ 1,522.48 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,512.48 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 2202-01-796-111-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7979-समग्र शिक्षा- मूल 49,000.00 पुनर्वि. (-)35,049.55	13,950.45	13,950.45	0.00
--	-----------	-----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 35,049.55 लाख की कमी भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 5,850.00 पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,176.79	6,673.21	6,648.90	(-)24.31
---	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,176.79 लाख की कमी मुख्यमंत्री के घोषणा अनुसार रसॉइयों के मानदेय में वृद्धि नहीं किए जाने एवं माह मार्च के देयकों की स्वीकृती तथा भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 4,750.00 पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (-)638.70	6,111.30	6,087.62	(-)23.68
--	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 638.70 लाख की कमी मुख्य मंत्री की घोषणा अनुसार रसॉइयों के मानदेय में वृद्धि नहीं किए जाने एवं माह मार्च के देयकों की स्वीकृती तथा भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2202-02-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7765-मुख्य मंत्री अमृत योजना- मूल 271.00 पुनर्वि. (-)271.00	0.00	0.00	0.00
₹ 271.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यालयों का संचालन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(13) 2202-02-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय- मूल 1,780.00 पुनर्वि. (-)1,780.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,780.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2202-02-796-109-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, {अनुच्छेद-275(i)}- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,752.40	3,247.60	3,247.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,752.40 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7979-समग्र शिक्षा- मूल 11,400.00 पुनर्वि. (-)4,834.44	6,565.56	6,565.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,834.44 लाख की कमी भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1395-छात्रावास- मूल 27,094.50 पुनर्वि. (-)6,713.21	20,381.29	20,386.84	+5.55
समर्पण द्वारा ₹ 6,703.21 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,713.21 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण एवं पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2194-विशेष कोचिंग केन्द्र योजना- मूल 130.00 पुनर्वि. (-)130.00	0.00	0.00	0.00
₹ 130.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5216-हाई स्कूल-			
मूल	29,604.60		
पूरक	90.00		
पुनर्वि.	(-)726.87	28,967.73	29,489.33
			+521.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 726.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	8,6409.72		
पूरक	90.00		
पुनर्वि.	(-)14,289.78	72,209.94	72,171.00
			(-)38.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14,289.78 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6140-छात्र भोजन सहायता योजना-			
मूल	1,291.00		
पुनर्वि.	(-)1,031.71	259.29	259.29
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,031.71 लाख की कमी निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(21) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7363-युवा कैरियर निर्माण योजना-			
मूल	748.00		
पुनर्वि.	(-)685.79	62.21	165.33
			+103.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 685.79 लाख की कमी निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7367-मॉडल स्कूल योजना-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)334.17	265.83	265.83
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 334.17 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(23) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न-			
मूल	2,400.00		
पुनर्वि.	(-)1,718.54	681.46	681.46
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,718.54 लाख की कमी निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 761-कन्या शिक्षा परिसर- मूल 1,377.30 पुनर्वि. (-)666.56	710.74	709.37	(-)1.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 666.56 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(25) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8549-विज्ञान वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना- मूल 317.50 पुनर्वि. (-)224.78	92.72	93.66	+0.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 224.78 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2202-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 307-अशासकीय संस्थाओं को अंशदान- मूल 6,131.00 पुनर्वि. (-)2,053.53	4,077.47	4,938.22	+860.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,053.53 लाख की कमी निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने, जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2202-03-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,851.25	148.75	148.75	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,851.25 लाख की कमी भारत सरकार से कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(28) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7289-सरगुजा विश्वविद्यालय- मूल 210.00 पुनर्वि. (-)168.00	42.00	42.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(29) 2202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7290-बस्तर विश्वविद्यालय- मूल 450.00 पुनर्वि. (-)270.00	180.00	180.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 270.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(30) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7445-सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कालेज- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना को तकनीकी शिक्षा में सम्मिलित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 2202—03—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7751—स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना— मूल 182.00 पुनर्वि. (-)121.44	60.56	56.56	(-)4.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.44 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने एवं निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 2202—03—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 11,240.30 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)4,539.89	6,700.41	6,695.34	(-)5.07
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,539.89 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने, मांग प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(33) 2203—796—105—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2668—पॉलिटैक्निक संस्थाएं— मूल 333.04 पुनर्वि. (-)228.20	104.84	104.84	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.20 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(34) 2203—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2668—पॉलिटैक्निक संस्थाएं— मूल 3,550.74 पूरक 1,020.00 पुनर्वि. (-)297.04	4,273.70	4,298.73	+25.03
---	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 297.04 लाख की कमी संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(35) 2203—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 502—इंजीनियरिंग कालेज— मूल 1,104.70 पूरक 150.00 पुनर्वि. (-)199.53	1,055.17	1,152.69	+97.52
--	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 199.53 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(36) 2204-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6407-राज्य युवा महोत्सव-			
मूल	190.00		
पुनर्वि.	(-)190.00	0.00	0.00
₹ 190.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी में महोत्सव का आयोजन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(37) 2204-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6408-राज्य युवा मितान क्लब-			
मूल	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)1,900.00	0.00	0.00
₹ 1,900.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के दिशा-निर्देश तैयार नहीं होने से क्लब का गठन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(38) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण-			
मूल	152.00		
पुनर्वि.	(-)110.64	41.36	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.64 लाख की कमी ज़िम के लिए कम आबंटन किए जाने एवं कोविड-19 महामारी में खेलकूद गतिविधियां के साथ ही प्रशिक्षण स्थगित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1190-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता-			
मूल	190.00		
पुनर्वि.	(-)185.00	5.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 185.00 लाख की कमी खेलों का आयोजन नहीं किए जाने एवं कोरोना महामारी में खेलकूद गतिविधियां के साथ ही प्रशिक्षण स्थगित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(40) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-			
मूल	104.00		
पुनर्वि.	(-)104.00	0.00	0.00
₹ 104.08 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान खेलों का आयोजन नहीं किए जाने एवं कोविड-19 महामारी में खेलकूद गतिविधियां के साथ ही प्रशिक्षण स्थगित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(41) 2204-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7819-युवा शक्ति योजना-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)380.00	0.00	0.00
₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(42) 2205-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5377-मुक्ताकाश संग्रहालय- मूल 750.00 पूरक 500.00	1,250.00	209.51	(-)1,040.49
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(43) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6389-सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय	4,800.00	3,789.00	(-)1,011.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(44) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6385-चिकित्सा विद्यालय संबद्ध अस्पताल- मूल 7,812.70 पूरक 162.35	7,975.05	5,465.40	(-)2,509.65
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(45) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7397-छत्तीसगढ़ आकस्मिक चिकित्सा समाधान सेवा योजना	950.00	570.00	(-)380.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(46) 2210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय- मूल 11,627.63 पूरक 500.00	12,127.63	9,819.46	(-)2,308.17
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई हैं।			
(47) 2210-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7730-राष्ट्रीय आयुष मिशन	1,000.00	395.50	(-)604.50
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(48) 2210-02-769-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	649.80	490.38	(-)159.42
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(49) 2210-03-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6884-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- मूल 45,600.00 पूरक 15,200.00	60,800.00	57,035.39	(-)3,764.61
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(50) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	13,032.20	11,304.56	(-)1,727.64
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(51) 2210-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	3,649.90	2,570.99	(-)1,078.91
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई हैं।			
(52) 2210-04-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	521.40	313.17	(-)208.23
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(53) 2210-04-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना	181.00	45.53	(-)135.47
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(54) 2210-05-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6389-सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय मूल 7,815.45 पूरक 426.73	8,242.18	6,593.50	(-)1,648.68
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(55) 2210-06-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6388-चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र	1,330.90	502.81	(-)828.09
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(56) 2210-06-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	768.85	428.49	(-)340.36
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(57) 2210-06-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6388-चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र	382.70	204.68	(-)178.02
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(58) 2210-06-796-101-6390-मुख्य मंत्री हाट बाजार क्लिनिक	494.00	0.00	(-)494.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(59) 2210-06-796-003-6441-कोविड-19 के संक्रमण का रोकथाम एवं उपचार पूरक	11,130.00	10,364.31	(-)765.69
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(60) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4244-मलेरिया	1,942.94	1,431.12	(-)511.82
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(61) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7679-टी.बी. के रोकथाम हेतु पोषण आहार	500.00	0.00	(-)500.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(62) 2210-06-796-200-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6362-डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना	20,900.00	16,720.00	(-)4,180.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(63) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6363-मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	मूल 1,900.00 पूरक 760.00	2,660.00	760.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(64) 2211-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 1508-जिला स्तरीय अमला	334.93	146.18	(-)188.75
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(65) 2211-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	13,157.56	11,157.53	(-)2,000.03
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(66) 2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8908-नवीन नगरीय आर्बधन जल प्रदाय योजना-	मूल 2,594.00 पुनर्वि. (-)772.01	1,821.99	1,821.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 772.01 लाख की कमी कोरोना महामारी में वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(67) 2215-02-796-107-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	17,100.00		
पुनर्वि.	(-)15,351.77	1,748.23	1,748.23
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15,351.77 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(68) 2216-03-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7807-प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-			
मूल	60,800.00		
पुनर्वि.	(-)60,800.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 60,800.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(69) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान-			
मूल	102.60		
पुनर्वि.	(-)102.60	0.00	0.00
			0.00
₹ 102.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सम्बद्ध निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(70) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सभी के लिए आवास योजना-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,345.36	2,654.64	2,654.64
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,346.36 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है।			
(71) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-			
मूल	335.00		
पुनर्वि.	(-)269.65	65.85	65.85
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 269.65 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है।			
(72) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सभी के लिए आवास योजना-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,862.30	1,137.70	1,137.70
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,862.30 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(73) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सभी के लिए आवास योजना- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,551.92	948.08	948.08	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,551.92 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(74) 2220-60-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9797-आदिवासी क्षेत्रों में सूचना केम्प का आयोजन- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)125.33	374.67	374.67	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(75) 2225-02-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास- मूल 244.00 पुनर्वि. (-)173.48	70.52	70.52	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 173.48 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(76) 2225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग- मूल 1,750.00 पुनर्वि. (-)1,008.51	741.49	741.49	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,008.51 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(77) 2225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)4,675.70	3,324.30	3,324.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,675.70 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(78) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5601-बस्तर विकास प्राधिकरण- मूल 2,350.00 पुनर्वि. (-)715.00	1,635.00	1,635.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 715.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(79) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5602- सरगुजा/जशपुर विकास प्राधिकरण- मूल 350.00 पुनर्वि. (-)107.00	243.00	245.00	+2.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(80) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6870-अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध बाबत- मूल 350.00 पुनर्वि. (-)233.02	116.98	66.98	(-)50.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 233.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(81) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7995-मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)108.87	91.13	91.13	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(82) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9853-आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास- मूल 809.00 पुनर्वि. (-)416.54	347.46	347.46	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 416.54 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(83) 2225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं- मूल 678.00 पुनर्वि. (-)436.96	241.04	241.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 436.96 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(84) 2230-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7632-युवा क्षमता विकास योजना	200.00	0.00	(-)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(85) 2230-03-796-003-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7867-प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(86) 2230-03-796-003-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7955—जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)10.00	290.00	0.00	(-)290.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(87) 2230-03-796-003-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 3,563.24 पुनर्वि. (-)549.26	3,013.98	2,788.46	(-)225.52
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 549.26 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई हैं।			
(88) 2230-03-796-003-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8935—लाइवलीहुड कालेज— मूल 676.00 पुनर्वि. (-)204.00	472.00	228.00	(-)244.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 204.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(89) 2230-03-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 3,385.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	1,885.00	0.00	(-)1,885.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,500.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(90) 2230-03-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7914—कौशल स्व-रोजगार योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)10.00	90.00	0.00	(-)90.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(91) 2235-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 79—दृष्टि एवं श्रवण बधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं— मूल 593.15 पुनर्वि. (-)279.33	313.82	314.14	+0.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 279.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(92) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना)- मूल 9,106.50 पुनर्वि. (-)8,582.81	523.69	523.69	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,582.81 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने से रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कोविड-19 में प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित किए जाने, आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने, सितम्बर 2020 से केश सर्वर का संचालन नहीं होने एवं मोबाइल फोन की खरीदी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(93) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7884-प्रधान मंत्री मातृ वंदना- मूल 1,396.40 पुनर्वि. (-)586.04	810.36	810.08	(-)0.28
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 586.04 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(94) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना- मूल 37,079.00 पूरक 970.45 पुनर्वि. (-)7,624.23	30,425.22	30,398.13	(-)27.09
---	-----------	-----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,624.23 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(95) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण- मूल 605.90 पुनर्वि. (-)256.91	348.99	347.87	(-)1.12
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 256.91 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(96) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय- मूल 8,537.10 पुनर्वि. (-)1,996.95	6,540.15	6,563.34	+23.19
---	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,996.95 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(97) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7680-आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई घटक— मूल 821.00 पुनर्वि. (-)655.94	165.06	165.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 655.94 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(98) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना— मूल 722.00 पुनर्वि. (-)130.87	591.13	591.13	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.87 लाख की कमी कम व्यय होने एवं विगत वर्षों में क्रय की गई विवाह उत्सव से संबंधित सामाग्रीयों का इस वित्तीय वर्ष में इस्तेमाल किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(99) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7875-सूचिता योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00
₹ 400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(100) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 28,523.00 पुनर्वि. (-)9,135.38	19,387.62	19,261.05	(-)126.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,135.38 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में राज्य शासन द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को बंद किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(101) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6359-मुख्य मंत्री सुपोषण अभियान— मूल 2,300.00 पुनर्वि. (-)2,300.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(102) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7747-महतारी जतन योजना— मूल 1,234.05 पुनर्वि. (-)642.33	591.72	575.40	(-)16.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 642.33 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(103) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 1,989.00 पुनर्वि. (-)1,910.58	78.42	82.55	+4.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,910.58 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(104) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- मूल 4,560.00 पुनर्वि. (-)3,917.00	643.00	643.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,917.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(105) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7258-राष्ट्रीय मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम- मूल 346.35 पुनर्वि. (-)228.02	118.33	118.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.02 लाख की कमी वित्त विभाग के आदेशानुसार बजट में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(106) 2401-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6366-किसान सहायता- पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(107) 2401-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8972-धान उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना- मूल 1,93,800.00 पुनर्वि. (-)79,800.00	1,14,000.00	0.00	(-)1,14,000.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 79,800.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(108) 2401-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7264—एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)162.31	237.69	237.69	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.31 लाख की कमी वित्त विभाग के आदेशानुसार बजट में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(109) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 3,078.00 पुनर्वि. (-)226.47	2,851.53	2,851.56	+0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.47 लाख की कमी किसानों द्वारा बीजों का उत्पादन, वितरण एवं सग्रहण कम किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(110) 2401-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6448—गोधन न्याय योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,074.00	926.00	926.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,074.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(111) 2401-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8900—जैविक खेती मिशन— मूल 760.00 पुनर्वि. (-)469.60	290.40	287.64	(-)2.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 469.60 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(112) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 5,880.00 पुनर्वि. (-)4,652.91	1,227.09	1,227.08	(-)0.01
(113) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7266—एन.एम.एस.ए. रेन फेड ऐरिया डेवलपमेंट योजना— मूल 704.00 पुनर्वि. (-)531.93	172.07	172.07	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(114) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मनेजमेंट स्कीम— मूल 711.00 पुनर्वि. (-)645.06	65.94	65.94	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (112) से (114) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 4,652.91 लाख, ₹ 531.93 लाख एवं ₹ 645.06 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (112), 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (113) एवं 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (114) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(115) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,920.00 पुनर्वि. (-)903.00	1,017.00	1,017.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 903.00 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(116) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 1,718.00 पुनर्वि. (-)455.03	1,262.97	1,262.97	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 455.03 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(117) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)— मूल 3,732.00 पुनर्वि. (-)900.35	2,831.65	2,831.65	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 900.35 लाख की कमी स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(118) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7833—रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर.पी.एस.)— मूल 152.00 पुनर्वि. (-)139.28	12.72	12.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(119) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7945—प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00	0.00	0.00	0.00
₹ 190.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(120) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 6,080.00 पुनर्वि. (-)2,964.07	3,115.93	3,115.93	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,964.07 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(121) 2401-796-108-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7946—सोयाबीन उत्पादनों पर प्रोत्साहन योजना— मूल 380.00 पुनर्वि. (-)380.00	0.00	0.00	0.00
₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(122) 2401-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 1,520.00 पुनर्वि. (-)764.73	755.27	755.27	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 764.73 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(123) 2401-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7797—प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना— मूल 13,780.00 पूरक 5,000.00 पुनर्वि. (-)324.83	18,455.17	18,455.17	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 324.83 लाख की कमी बीमा कम्पनी से बीमा दावों के देयक प्राप्त नहीं होने एवं शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(124) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान-			
मूल	2,850.00		
पुनर्वि.	(-)1,843.24	1,006.07	1,006.07
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,843.24 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(125) 2401-796-113-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8539-कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)380.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(126) 2401-796-113-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8907-कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान-			
मूल	210.00		
पुनर्वि.	(-)199.41	10.59	10.59
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 199.41 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(127) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	1,280.00		
पुनर्वि.	(-)793.08	486.92	486.92
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 793.08 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(128) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7258-नेशनल मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम-			
मूल	448.00		
पुनर्वि.	(-)372.01	75.99	75.99
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 372.01 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(129) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)955.43	644.57	644.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 955.43 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(130) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— पूरक 7,790.00 पुनर्वि. (-)2,702.87	5,087.13	5,086.83	(-)0.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,702.87 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(131) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7874—नेशनल मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (एन.एम.एस.ए.)— पूरक 456.00 पुनर्वि. (-)366.59	89.41	79.95	(-)9.46
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 366.59 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(132) 2401-796-119-0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7854—नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना— मूल 532.00 पुनर्वि. (-)532.00	0.00	0.00	0.00
₹ 532.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(133) 2401-796-800-1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6353—चिराग योजना— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)1,900.00	0.00	0.00	0.00
(134) 2401-796-800-0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7853—नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (133) एवं (134) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,900.00 लाख एवं ₹ 190.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। उपरोक्त क्रम संख्या (134) के शीर्षान्तर्गत 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(135) 2402-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7350-एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम-			
मूल	7,600.00		
पुनर्वि.	(-)7,600.00	0.00	0.00

₹ 7,600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(136) 2403-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5620-पशु रोग नियंत्रण-			
मूल	280.00		
पुनर्वि.	(-)200.52	79.48	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.52 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(137) 2403-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7826-बकरी रोग नियंत्रण (पीपीआर सीपी)-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(138) 2403-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8898-राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना-			
मूल	418.00		
पुनर्वि.	(-)122.23	295.77	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 122.23 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(139) 2403-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7257-राष्ट्रीय गौवंशीय भैंस वंशीय परियोजना एवं पशुधन बीमा योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(140) 2403-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 1,615.00 पुनर्वि. (-)306.51	1,308.49	1,308.49	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 306.51 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(141) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 700.00 पुनर्वि. (-)291.45	408.55	408.55	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 291.45 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(142) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7814-नीलक्रान्ति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम- मूल 1,205.00 पुनर्वि. (-)230.16	974.84	638.81	(-)336.03
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 228.12 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा योजना को बंद किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.04 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 230.16 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(143) 2406-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6886-वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण- मूल 1,050.00 पुनर्वि. (-)0.70	1,049.30	300.71	(-)748.59
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.70 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(144) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2536-पर्यावरण वानिकी- मूल 880.00 पूरक (-)15.28	864.72	314.72	(-)550.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15.28 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(145) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2962-बिगड़े वनों का सुधार- मूल 9,000.00 पुनर्वि. (-)17.03	8,982.97	8,395.08	(-)587.89
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17.03 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(146) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6516-ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/ औषधि रोपण— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)5.46	444.54	177.05	(-)267.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5.46 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(147) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6723-संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण एवं विकास— मूल 297.00 पुनर्वि. (-)18.55	278.45	116.36	(-)162.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18.55 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(148) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6827-भूजल एवं जल संरक्षण कार्य— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)0.64	299.36	149.38	(-)149.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.64 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(149) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1902-तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित— मूल 270.00 पुनर्वि. (-)4.03	625.97	95.99	(-)169.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4.03 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(150) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2533- हरियाली प्रसार— मूल 882.00 पुनर्वि. (-)88.94	793.06	653.06	(-)140.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.94 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(151) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4475-हरियाली प्रसार योजना— मूल 375.00 पुनर्वि. (-)2.96	372.04	97.04	(-)275.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2.96 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(152) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5091-लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)151.00	149.00	153.56	+4.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.00 लाख की कमी शासन से सहायता अनुदान की राशि के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(153) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6724-बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 2,150.00 पुनर्वि. (-)176.93	1,973.07	1,658.70	(-)314.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.93 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(154) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6854-लाख विकास योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(155) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7563-अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण— मूल 150.90 पुनर्वि. (-)0.33	150.57	49.70	(-)100.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.33 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(156) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7930-मुख्यमंत्री बांस विकास योजना— मूल 456.00 पुनर्वि. (-)6.91	449.09	42.48	(-)406.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.91 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(157) 2406-01-796-105-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)4,968.00	32.00	32.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,968.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(158) 2406-01-796-105-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6373—लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)5,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 5,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(159) 2406-01-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6792—लघु वनोपज संग्राहक सामूहिक बीमा योजना— मूल 780.00 पुनर्वि. (-)1.00	779.00	0.00	(-)779.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.00 लाख की कमी शासन द्वारा निधि के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(160) 2406-02-796-110-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6771—अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व का विकास— मूल 334.40 पुनर्वि. (-)134.40	200.00	0.00	(-)200.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.40 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(161) 2406-02-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3730—प्रोजेक्ट टाईगर— मूल 3,056.10 पुनर्वि. (-)543.99	2,512.11	692.11	(-)1,820.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 534.99 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2009-10 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(162) 2406-02-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 534.40 पुनर्वि. (-)139.88	394.52	95.42	(-)299.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.88 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(163) 2406-04-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7261—राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम— मूल 945.00 पुनर्वि. (-)195.00	750.00	750.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 195.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी नहीं किए जाने के उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई दृष्टिगत हुई है।			
(164) 2406-04-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7856—ग्रीन इंडिया मिशन— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)86.16	113.84	13.84	(-)100.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.16 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी नहीं किए जाने के उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(165) 2408-01-796-003-0102— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8919—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण— मूल 1,132.40 पुनर्वि. (-)1,132.40	0.00	0.00	0.00
₹ 1,132.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष के दौरान योजना का निष्पादन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(166) 2408-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3229—नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति— मूल 494.00 पुनर्वि. (-)494.00	0.00	0.00	0.00
₹ 494.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(167) 2408-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6839—मुख्य मंत्री खाद्ययान्न सहायता योजना— मूल 1,29,573.58 पुनर्वि. (-)10,536.34	1,19,037.24	1,19,037.24	0.0
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,536.34 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(168) 2408-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7436—अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय— मूल 17,100.00 पुनर्वि. (-)13,680.00	3,420.00	3,420.00	0.0
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,680.00 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(169) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7894-उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण-			
मूल	3,230.00		
पुनर्वि.	(-)3,230.00	0.00	0.00
₹ 3,230.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(170) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7994-गुड़ वितरण योजना-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,355.47	3,644.53	3,644.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,355.47 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(171) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8933-शक्कर वितरण योजना-			
मूल	3,800.00		
पुनर्वि.	(-)724.46	3,075.54	3,075.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 724.46 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(172) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान-			
मूल	8,094.00		
पुनर्वि.	(-)4,294.00	3,800.00	3,800.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,294.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(173) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7889-प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)380.00	0.00	0.00
₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(174) 2501-06-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-			
मूल	15,200.00		
पुनर्वि.	(-)9,671.30	5,528.70	5,528.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,671.30 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(175) 2501-06-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8775-प्रशासन योजना जिला स्तर-			
मूल	634.24		
पुनर्वि.	(-)118.97	515.27	515.27
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.97 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(176) 2505-60-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	60,800.00		
पुनर्वि.	(-)22,885.35	37,914.65	37,914.65
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 22,885.35 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(177) 2515-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	4,034.48		
पुनर्वि.	(-)1,360.63	2,673.85	2,675.51
			+1.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,360.63 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(178) 2702-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5707-शाकम्बरी योजना-			
मूल	760.00		
पुनर्वि.	(-)295.16	464.84	464.84
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 295.16 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(179) 2702-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5709-किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)194.93	185.07	185.07
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 194.93 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(180) 2801-80-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)380.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्षान्त तक निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(181) 2810-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7694—सौर उर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)569.80	380.20	380.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 569.80 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(182) 2810-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6375—दिव्यांगजन हेतु सौर चलित ट्राईसायकल योजना— मूल 133.38 पुनर्वि. (-)133.38	0.00	0.00	0.00
₹ 133.38 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(183) 2810-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7697—बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)114.00	760.00	76.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(184) 2851-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7910—हथकरघा वस्त्र बुनाई रोजगार सृजन— मूल 298.00 पुनर्वि. (-)298.00	0.00	0.00	0.00
₹ 298.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(185) 2851-796-107-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 164—नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन विकास योजना— मूल 872.75 पुनर्वि. (-)627.44	245.31	245.31	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 627.44 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा बजट में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(186) 2851-796-107-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5662—पालित प्रजाति के कृमि पालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह— मूल 1,161.80 पुनर्वि. (-)290.20	871.30	871.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 290.20 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा बजट में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(187) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5385-नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना—			
मूल	1,560.00		
पुनर्वि.	(-756.00)	804.00	804.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 756.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-03-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल	8,262.05		
पुनर्वि.	(-500.00)	7,762.05	10,623.69
			+2,861.64

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(2) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)— 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	4,268.60	6,295.38	+2,026.78
---	----------	----------	-----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(3) 2401-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)— 6438-राजीव गांधी किसान न्याय योजना—			
पूरक	22,800.00		
पुनर्वि.	79,799.56	1,02,599.56	2,16,599.56
			+1,14,000.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 79,800.00 लाख की वृद्धि राज्य अन्नदाता के श्रम का उचित मूल्य एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.44 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा व्यय के अनुसार निधि जारी किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 79,799.56 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(4) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6449-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना—			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	227.97	227.97	564.00
			+336.03

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 228.12 लाख की वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि की पूर्ति किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.15 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 227.97 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। समर्पण के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 41-जारी

प्रभारित-

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 30,190.18 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 1,24,209.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,04,356.23 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-201-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 2772-प्राथमिक शालाएं- मूल 345.00 पुनर्वि. (-)104.07	240.93	240.93	0.00
(2) 4202-01-796-201-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 3492-माध्यमिक शालाएं- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)118.12	131.88	131.88	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 104.07 लाख एवं ₹ 118.12 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4202-01-796-201-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 7657-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 4202-01-796-201-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 9005-इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत- मूल 1,350.00 पुनर्वि. (-)405.03	944.97	944.97	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 405.03 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 4202-01-796-202-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना- मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)1,600.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4202-01-796-202-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 1400—विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना— मूल 5,500.00 पुनर्वि. (-)5,500.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,600.00 लाख एवं ₹ 5,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2019-20 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2010-11 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 4202-01-796-202-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 1400—विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना— मूल 3,300.00 पुनर्वि. (-)357.13	2,942.87	2,942.87	0.00
(8) 4202-01-796-202-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1400—विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना— मूल 17,111.25 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,451.33	14,659.92	14,659.92	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 357.13 लाख एवं ₹ 2,451.33 लाख की कमी निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 4202-01-796-202-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9005—इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)455.00	1,045.00	1,045.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 455.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 4202-01-796-202-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9840—शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)473.53	526.47	526.47	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 473.53 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7289—सरगुजा विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7290—बस्तर विश्वविद्यालय— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
(13) 4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7445—सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कालेज— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (13) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(14) 4202-02-796-103-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— 8935—लाइवलीहुड कालेज— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)70.00	30.00	0.00	(-)30.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(15) 4202-02-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7438—स्टेट स्किल डेव्लपमेंट मिशन— मूल 184.00 पुनर्वि. (-)179.26	4.74	4.74	0.00
(16) 4202-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 2,671.00 पुनर्वि. (-)988.97	1,682.03	306.18	(-)1,375.85
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 179.26 लाख एवं ₹ 988.97 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम (16) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं 2013-14 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 4202-02-796-104-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2668—पॉलिटैक्निक संस्थाएं— मूल 2,655.22 पुनर्वि. (-)1,571.97	1,083.25	62.59	(-)1,020.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,571.97 लाख की कमी क्रय प्रक्रिया शुरू नहीं होने, भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा वाहनों की खरीद पर रोक लगाये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 4210-01-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6358—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 1,090.00 पूरक 670.00	1,760.00	924.43	(-)835.57
(19) 4210-01-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7668—बर्न एवं ट्रामा सेंटर	238.00	100.50	(-)137.50
(20) 4210-01-796-196-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला चिकित्सालय	3,279.70	1,932.20	(-)1,347.50
(21) 4210-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र	567.60	0.00	(-)567.60
(22) 4210-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,143.50	692.81	(-)450.69
(23) 4210-02-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,456.97	613.15	(-)1,843.82
(24) 4210-03-796-105-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6386—चिकित्सा,दंत,फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 2,876.00 पूरक 1,500.00	4,376.00	4,087.60	(-)288.40
(25) 4210-03-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6386—चिकित्सा,दंत,फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 12,550.00 पूरक 54.00	12,604.00	3,253.05	(-)9,350.95
(26) 4210-04-796-101-0312— नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)— 6441—कोविड-19 के संक्रमण का रोकथाम एवं उपचार	9,165.00	7,616.80	(-)1,548.20
(27) 4210-04-796-112-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6388—नर्सिंग कार्यक्रम का प्रशिक्षण केन्द्र	1,097.83	920.36	(-)177.47
उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (27) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(28) 4215-01-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6383—जल जीवन मिशन योजना— मूल 6,560.00 पूरक 17,101.17 पुनर्वि. (-)7,081.63	16,579.54	16,588.07	+8.53

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,081.63 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(29) 4215-01-796-102-0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5403— पाइप द्वारा जल प्रदाय योजना— मूल 4,500.00 पुनर्वि. (-)2,349.30	2,150.70	1,393.97	(-)756.73
(30) 4215-01-796-102-0312—नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)— 7858—सौर उर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना— मूल 880.00 पुनर्वि. (-)529.48	350.52	350.52	0.00
(31) 4215-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2715—प्रशासन— मूल 742.45 पुनर्वि. (-)436.01	306.44	306.44	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (29) से (31) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,349.30 लाख, ₹ 529.48 लाख एवं ₹ 436.01 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (29), 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (30) एवं 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (31) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(32) 4215-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5403—पाइप द्वारा जल प्रदाय योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)975.13	1,524.87	1,580.08	+55.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 975.13 लाख की कमी निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 4215-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7965—सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)296.95	103.05	103.05	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.95 लाख की कमी निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(34) 4225-02-796-102-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार {अनुच्छेद 275(1)}— मूल 12,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)4,100.00	7,900.00	7,900.00	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 4225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम-			
मूल	15,000.00		
पुनर्वि.	(-)8,873.54	6,126.46	(-)19.82
(36) 4225-02-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5601-बस्तर विकास प्राधिकरण-			
मूल	3,200.00		
पुनर्वि.	(-)960.07	2,239.93	0.00
(37) 4225-02-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5602- सरगुजा / जशपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	3,200.00		
पुनर्वि.	(-)960.00	2,240.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (34) से (37) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 4,100.00 लाख, ₹ 8,873.54 लाख, ₹ 960.07 लाख एवं ₹ 960.00 लाख की कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (35) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (34) एवं (35) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(38) 4225-02-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7995-मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण-			
मूल	3,200.00		
पुनर्वि.	(-)998.30	2,201.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 998.30 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(39) 4225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7844-शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	0.00	0.00
₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(40) 4235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5564-परियोजना कार्यालय सह संसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण-			
मूल	225.00		
पुनर्वि.	(-)225.00	0.00	0.00
₹ 225.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप योजना के तहत व्यय नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(41) 4235-02-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7971—कामगार महिलाओं हेतु हास्टल का निर्माण— मूल 265.00 पुनर्वि. (-)265.00	0.00	0.00	0.00
₹ 265.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(42) 4235-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8680—अनुसूचित जनजाति उपयोजना बागवानी विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(43) 4401-796-119-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7970—प्लग टाइप यूनिट की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(44) 4402-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3478—माइक्रो माईनर सिंचाई योजनाएं— मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)574.47	675.53	675.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 574.47 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(45) 4406-01-796-070-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4342—सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)6.11	793.89	349.00	(-)444.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.11 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(46) 4406-01-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5538—एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना— मूल 380.00 पुनर्वि. (-)353.44	26.56	26.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 353.44 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(47) 4425-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7678-सहकारी संस्थाओं के लिए अंश पूंजी-			
मूल	2,938.00		
पुनर्वि.	(-)2,938.00	0.00	0.00

₹ 2,938.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(48) 4425-796-200-0312-नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(49) 4515-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन-			
मूल	4,180.00		
पुनर्वि.	(-)1,900.00	2,280.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,900.00 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश का आहरण किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(50) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल	2,001.10		
पुनर्वि.	(-)1,357.90	643.20	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 1,357.90 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं वृक्षारोपण मुआवजा हेतु राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(51) 4700-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण-			
मूल	500.00		
पूरक	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)354.48	1,645.52	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,050.00 लाख की वृद्धि सर्वेक्षण कार्यों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,404.00 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्यों की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 354.48 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(52) 4701-08-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	720.00		
पुनर्वि.	(-)702.52	17.48	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 702.52 लाख की कमी शासन से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन मुआवजे का निर्धारण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(53) 4701-22-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(54) 4701-24-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	2,100.00		
पुनर्वि.	(-)801.46	1,298.54	(-)1.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 801.46 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।			
(55) 4701-25-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(56) 4701-26-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00
₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(57) 4701-31-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	396.00		
पुनर्वि.	(-)396.00	0.00	0.00
₹ 396.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भू-अर्जन पारितोषिक पारित नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(58) 4701-33-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	510.00		
पुनर्वि.	(-)426.59	83.41	83.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 426.59 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं वन भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों का मुआवजों भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(59) 4701-34-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल	710.00		
पुनर्वि.	(-)656.28	53.72	53.72
			0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 656.28 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(60) 4701-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)115.56	84.44	84.44
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.56 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(61) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3828-लघु सिंचाई योजना-			
मूल	33,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)11,134.17	21,865.83	21,875.67
			+9.84

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,134.17 लाख की कमी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने, निविदा एवं निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(62) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5059-एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण-			
मूल	6,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,664.39	3,835.61	3,822.23
			(-)13.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,664.39 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण निविदा कार्य में विलम्ब होने एवं कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(63) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण-			
मूल	75,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,437.02	1,062.98	1,058.31
			(-)4.67

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,050.00 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,387.02 लाख की अन्य कमी कोविड-19 महामारी के कारण निविदा कार्य में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,437.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(64) 4702-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6354-बांध पुर्नवास एवं सुधार प्रोजेक्ट-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(65) 4801-02-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/ वितरण कम्पनी-			
मूल	3,610.00		
पुनर्वि.	(-)3,610.00	0.00	0.00
₹ 3,625.20 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा योजना का अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(66) 4801-80-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8548-मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना-			
मूल	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)1,618.00	282.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,618.00 लाख की कमी वर्षान्त तक निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(67) 4801-80-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6415-पी.एम. कुसुम योजना-			
मूल	741.00		
पुनर्वि.	(-)741.00	0.00	0.00
(68) 4801-80-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6417-मुख्य मंत्री विद्युत अद्योसंरचना विकास-			
मूल	950.00		
पुनर्वि.	(-)950.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (67) एवं (68) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 741.00 लाख एवं ₹ 950.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(69) 4810-796-101-0312-नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)- 6415-प्रधान मंत्री कुसुम योजना-			
मूल	6,475.00		
पुनर्वि.	(-)6,475.00	0.00	0.00
(70) 4810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6416-सोलर पंप के माध्यम से नदी/एनिकटों के जल से तालाबों को भरने की योजना-			
मूल	760.00		
पुनर्वि.	(-)760.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (69) एवं (70) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 6,475.00 लाख एवं ₹ 760.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधियों के कम जारी किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(71) 4851-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(72) 5054-04-796-0101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4871-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,289.56 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 710.44 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। समर्पण एवं पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(73) 5054-04-796-337-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 51,300.00 पुनर्वि. (-)2,806.00	48,494.00	48,494.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,806.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(74) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से ₹ 3,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के अंतर्गत व्यय नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(75) 5275-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7861-संचार क्रांति योजना 3,800		2,660.00	(-)1,140.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(76) 6215-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान ऋण जारी करने के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं कोविड-19 महामारी के कारण बजट में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(77) 6408-02-796-190-0312-नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण- मूल 5,772.00 पुनर्वि. (-)5,772.00	0.00	0.00	0.00
₹ 5,772.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 41—समाप्त

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 121.98 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)121.97	0.01	1,020.66	+1,020.65

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.97 लाख की कमी खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं होने, संस्थानों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा वाहनों की खरीद प्रतिबंध लगाये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7962-मिनीमाता अमृत धारा नल योजना— मूल 418.00 पुनर्वि. (-)332.22	85.78	750.10	+664.32
---	-------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 332.22 लाख की कमी निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(3) 5054-04-796-101-0312-नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)— 7475-मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 3,800.00 पुनर्वि. 2,000.00	5,800.00	4,692.30	(-)1,107.70
--	----------	----------	-------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,000.00 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(4) 5054-04-796-101-0312-नाबार्ड सहायता योजना (टी.ए.एस.पी.)— 8650-मुख्य मंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 1,400.00 पुनर्वि. 1289.56	2,689.56	3,719.25	(-)1,029.74
--	----------	----------	-------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,289.56 लाख का आवर्धन मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि के कारण उल्लिखित किया गया है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

प्रभारित—

(x) ₹ 215.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कें एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	94,72,300		
पूरक	380	94,72,680	(-)47,27,203
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			48,47,795
प्रभारित	1,32,500	2,546	(-)1,29,954
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,29,954

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 3.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि दिसम्बर 2020 में सांकेतिक प्रावधान किया गया था।

(ii) ₹ 47,272.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 48,477.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार—			
मूल	310.00		
पुनर्वि.	(-)203.46	106.54	110.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 203.46 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+3.67
(2) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7976-जवाहर सेतु योजना			
मूल	4,000.00		
पूरक	संकेतिक		
पुनर्वि.	(-)3,559.21	440.79	456.00
समर्पण द्वारा ₹ 3,389.21 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 170.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,559.21 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+15.21

अनुदान संख्या 42-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3710-राज्यों के राजमार्ग- मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)6,050.95	949.05	981.79	+32.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,050.95 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 5054-04-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7842-आर. आर. पी. फेस-II- मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)6,000.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 6,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(5) 5054-04-796-337-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7842-आर. आर. पी. फेस-II- मूल 27,000.00 पुनर्वि. (-)16,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
--	-----------	-----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 16,000.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण- मूल 2,805.00 पुनर्वि. (-)658.32	2,146.68	2,220.74	+74.06
---	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 658.32 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(7) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम- मूल 14,000.00 पुनर्वि. (-)969.35	13,030.65	13,480.21	+449.56
---	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा ₹ 469.35 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 969.35 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3539-मुख्य जिला सड़कें- मूल 13,000.00 पुनर्वि. (-)8,232.64	4,767.36	4,931.83	+164.47
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,232.4 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 42—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण-			
मूल	270.00		
पुनर्वि.	(-)233.73	36.27	+1.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 233.73 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 5054-05-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7818-ई.पी.सी.(इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)-			
मूल	6,268.00		
पुनर्वि.	(-)6,268.00	0.00	0.00

₹ 6,268.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	165.23	215.23	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 170.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.72 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 165.23 लाख आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6450-मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना-			
मूल	3.80		
पुनर्वि.	75.44	79.24	(-)0.01

समर्पण द्वारा ₹ 424.56 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि भुगतान में विलम्ब किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 75.44 लाख आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

प्रभारित-

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा-			
मूल	1,325.00		
पुनर्वि.	(-)1,299.54	25.46	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 1,299.54 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	8,17,036		
पूरक	सांकेतिक		
	8,17,036	1,08,024	(-)7,09,012
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			7,08,954
<i>प्रभारित</i>	<i>30</i>	<i>00</i>	<i>(-)30</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>30</i>

पूँजीगत:

दत्तमत	26,950	3,116	(-)23,834
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			23,834

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 7,090.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 7,089.54 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2204-103-2323-निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	986.40		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)476.81	509.59	509.02
			(-)0.57

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 476.81 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने, मांग प्राप्त नहीं होने, वित्तीय स्थिति के कारण धन का सीमित आवंटन, बिल तैयार नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं कोविड-19 महामारी के कारण खेल गतिविधियों को स्थगित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

5429-युवक कल्याण

गतिविधियाँ—

मूल	300.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)192.57	107.43	107.43
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 192.57 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण खेल गतिविधियों को स्थगित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 43—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5430-युवा आयोग को अनुदान-			
मूल 150.00			
पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आयोग के कार्य संचालित नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6407-राज्य युवा महोत्सव-			
मूल 250.00			
पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी से त्यौहार का आयोजन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6408-राज्य युवा मितान क्लब-			
मूल 2,500.00			
पुनर्वि. (-)2,500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के दिशा-निर्देशों की प्रक्रिया पूरी न होने पर क्लब की स्थापना नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7819-युवा शक्ति योजना-			
मूल 500.00			
पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना प्रारंभ नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण-			
मूल 200.00			
पुनर्वि. (-)149.21	50.79	50.79	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 149.21 लाख की कमी जिम स्थापना के लिए निधियों का कम आवंटन एवं कोविड-19 महामारी के कारण खेल गतिविधियों को स्थगित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1190-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता-			
मूल 250.00			
पुनर्वि. (-)215.09	34.91	34.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 215.09 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण खेल गतिविधियों को स्थगित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3459-महिला खेलकूद प्रतियोगिता-			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 43—समाप्त

₹ 100.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण खेल गतिविधियां आयोजित नहीं किए जाने एवं स्थगित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-			
मूल	413.00		
पुनर्वि.	(-370.27	42.73	42.73
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 370.27 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण खेल गतिविधियों को स्थगित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7296-खेल अकादमी-			
मूल	413.77		
पुनर्वि.	(-278.09	135.68	135.68
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 278.09 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने, मांग प्राप्त नहीं होने, वित्तीय स्थिति के कारण धन का सीमित आवंटन, बिल तैयार नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7473-37 ^{वें} राष्ट्रीय खेल-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-1,500.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7777-खेल प्रशिक्षण अकादमी-			
मूल	195.08		
पुनर्वि.	(-137.82	57.26	57.26
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.82 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने, मांग प्राप्त नहीं होने, वित्तीय स्थिति के कारण धन का सीमित आवंटन, बिल तैयार नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण एवं कोविड-19 महामारी के कारण खेल गतिविधियों को स्थगित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) ₹ 0.30 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-218.84	31.16	31.16
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 218.84 लाख की कमी अनुदान अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष —			
2202—सामान्य शिक्षा			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	76,73,576		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	76,73,576	59,49,695	(-)17,23,881
			17,72,868
<i>प्रभारित</i>	<i>70</i>	<i>00</i>	<i>(-)70</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			<i>70</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,20,950	646	(-)1,20,304
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,20,304
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 17,238.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 17,728.68 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-03-001-3443-महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय—			
मूल	1,372.30		
पुनर्वि.	(-)794.93	577.37	(-)1.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 794.93 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-03-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान—			
मूल	8,150.70		
पुनर्वि.	(-)7,002.92	1,147.78	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,002.92 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5205-रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर-			
मूल	3,604.00		
पुनर्वि.	(-184.00)	3,420.00	3,420.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			0.00
(4) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5531-पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना-			
मूल	106.00		
पुनर्वि.	(-63.60)	42.40	42.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.60 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(5) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5639-स्व. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना-			
मूल	454.00		
पुनर्वि.	(-136.20)	317.80	317.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			0.00
(6) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7238-इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़-			
मूल	1,696.00		
पुनर्वि.	(-196.00)	1,500.00	1,500.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			0.00
(7) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7656-दुर्ग विश्वविद्यालय-			
मूल	530.00		
पुनर्वि.	(-330.00)	200.00	200.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			0.00
(8) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7751-स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना-			
मूल	455.00		
पुनर्वि.	(-164.05)	209.95	282.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 164.05 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)8.70

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 51,940.55 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)6,872.38	45,068.17	45,054.29	(-)13.88

समर्पण द्वारा ₹ 6,870.48 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने, निधि की मांग नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,872.38 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(10) 2202-03-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान— मूल 4,700.00 पुनर्वि. (-)1,275.18	3,424.82	3,894.82	+470.00
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,275.18 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि के आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(11) 2202-03-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7364—अनुदान प्राप्त महाविद्यालय पेंशन योजना— मूल 1,134.50 पुनर्वि. (-)555.60	578.90	578.90	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 555.60 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.70 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूजीगत :
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-203-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205—रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5531-पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना-			
मूल	49.00		
पुनर्वि.	(-) 49.00	0.00	0.00
(3) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7238-इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
(4) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7484-बिलासपुर विश्वविद्यालय-			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	(-)80.00	0.00	0.00
(5) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7656-दुर्ग विश्वविद्यालय-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 300.00 लाख, ₹ 80.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7751-स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2702—लघु सिंचाई			
4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	8,60,880	7,20,483	(-)1,40,397
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,44,408
पूंजीगत	36,25,100	31,76,428	(-)4,48,672
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			4,47,262
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 1,403.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 1,444.08 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2702-03-101-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	4,479.50		
पुनर्वि.	(-)661.92	3,817.58	3,846.80
			+29.22

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 661.92 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य की आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2702-03-103-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	1,517.70		
पुनर्वि.	(-)237.13	1,280.57	1,282.68
			+2.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 237.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य की आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2702-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5707-शाकम्बरी योजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)215.90	784.10	784.10
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 215.90 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2702-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5709—किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)263.16	236.84	236.80	(-)0.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 263.16 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iii) ₹ 4,486.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 4,472.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4702-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3803—लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं— मूल 19,000.00 पुनर्वि. (-)2,959.73	16,040.27	16,021.98	(-)18.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,959.73 लाख की कमी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4416—सर्वेक्षण—

मूल 600.00

पुनर्वि. (-)183.31

416.69

423.89

+7.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 183.31 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7953—जलवायु संवेदनशील

योजना—

मूल 500.00

पुनर्वि. (-)500.00

0.00

0.00

0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्र जल आयोग की योजना से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4702-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7422—औद्योगिक जल

संरचना निर्माण—

मूल 7,000.00

पुनर्वि. (-)381.22

6,618.78

6,618.93

+0.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 381.22 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 45—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 5054-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7820-सड़क एवं पुल निर्माण-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)214.76	785.24	785.24
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.76 लाख की कमी कार्य प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054-05-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7820-सड़क एवं पुल निर्माण-				
मूल	2,000.00			
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00	0.00

₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान ऐजेन्सी का चयन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(v) उचंत लेन देन:-

उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में दर्शाई गई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न "उचंत उपशीर्षों" के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2020 को नामें +/जमा(-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष नामें +/जमा(-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)47.83	0.00	0.00	(-)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	0.00	0.00	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	0.00	0.00	+42.24
(iv) कार्यशाला उचन्त	+0.04	0.00	0.00	+0.04
योग	+180.85	0.00	0.00	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	2,35,000	87,648	(-)1,47,352
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,47,352
पूंजीगत	20,000	00	(-)20,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			20,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5433-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)702.02	497.98	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 702.02 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5632-साईन्स सिटी की स्थापना-			
मूल	875.00		
पुनर्वि.	(-)525.00	350.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 525.00 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6736-केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-			
मूल	275.00		
पुनर्वि.	(-)246.50	28.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 246.50 लाख की कमी निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 46—समाप्त

पूँजीगत:

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5425-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6736-केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	35,46,268		
पूरक	1,13,000	36,59,268	21,87,310
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)14,71,958 9,18,668
प्रभारित	20	00	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			20

पूंजीगत

दत्तमत—			
मूल	3,74,576		
पूरक	सांकेतिक	3,74,576	70,098
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)3,04,478 2,36,391
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,130.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 14,719.58 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 9,186.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2203-001-1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—			
मूल	489.30		
पुनर्वि.	(-)98.89	390.41	390.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+0.14
(2) 2203-105-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं—			
मूल	137.80		
पुनर्वि.	(-)133.77	4.03	4.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.77 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			0.00

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2203-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	6,059.17		
पूरक	1,080.00		
पुनर्वि.	(-)-578.24	6,560.93	6,511.94
			(-)-48.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 578.24 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण संस्थानों द्वारा कक्षाओं का संचालन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय-			
मूल	2,549.30		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)-361.67	2,237.63	2,237.23
			(-)-0.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 361.67 लाख की कमी संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6425-मुख्य मंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)-200.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7341-आई.आई.आई.टी. की स्थापना-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)-1,700.00	800.00	800.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,700.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(7) 2203-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8643-मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)-362.65	37.35	37.35
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 362.65 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2230-02-001-3795-रोजगार संचालनालय-			
मूल	242.60		
पुनर्वि.	(-)-63.08	179.52	146.00
			(-)-33.52
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.08 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2230-02-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 9147-रोजगार कार्यालय- मूल 263.64 पुनर्वि. (-)222.02	41.62	41.62	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 222.02 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2230-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7632-युवा क्षमता विकास योजना- मूल 600.00 पुनर्वि. (-)79.17	520.83	20.83	(-)500.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 79.17 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2230-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9147-रोजगार कार्यालय- मूल 1,491.60 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)252.69	1,238.91	1,077.59	(-)161.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 252.69 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2230-03-001-9148-प्रशिक्षण संचालनालय- मूल 368.30 पुनर्वि. (-)50.78	317.52	312.66	(-)4.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.78 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(13) 2230-03-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7867-प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना- मूल 1000.00 पुनर्वि. (-)1000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(14) 2230-03-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7960-औद्योगिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण- मूल 1,300.00 पुनर्वि. (-)0.27	1,299.73	599.73	(-)700.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.27 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 1,718.10 पुनर्वि. (-)651.95	1,066.15	448.57	(-)617.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 651.95 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(16) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7955—जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(17) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 10,289.67 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,093.64	9,196.03	8,591.65	(-)604.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,093.64 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7438—स्टेट स्किल डेवेलपमेंट मिशन— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)120.00	280.00	280.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7683—मुख्य मंत्री कौशल विकास योजना— मूल 4,100.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	2,600.00	0.00	(-)2,600.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,500.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक राशि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8935—लाइवलीहुड कॉलेज— मूल 765.00 पुनर्वि. (-)247.53	517.47	290.47	(-)227.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 247.53 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

प्रभारित—

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 3,044.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 2,363.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-02-103-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 8935-लाईवलीहुड कॉलेज-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)140.00	60.00	(-)60.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4202-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	1,778.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)629.83	1,148.18	(-)620.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 629.83 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011—12 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 4202-02-104-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 2668-पॉलिटैक्निक संस्थाएं-			
मूल	946.25		
पुनर्वि.	(-)785.21	161.04	(-)111.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 785.21 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6436-मुख्य मंत्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन एवं विकास योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 4202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 502-अभियांत्रिकी महाविद्यालय-			
मूल	128.80		
पुनर्वि.	(-)128.80	0.00	0.00

अनुदान संख्या 47—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7700-सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सिपेट)- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
(7) 4202-02-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6425-मुख्य मंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 128.80 लाख, ₹ 250.00 लाख एवं ₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2668-पॉलिटैक्निक संस्थाएं- मूल 76.21 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)63.57	12.64	124.07	+111.43

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.57 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण			
राजस्व	48,070	33,256	(-)14,814
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			21,280
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 148.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 212.80 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-110-307—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान—			
मूल	262.00		
पुनर्वि.	(-)114.21	147.79	212.53
			+64.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.21 लाख की कमी जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 2225-01-102-6800—अनुसूचित जाति
आयोग का गठन—

मूल	218.70			
पुनर्वि.	(-)98.60	120.10	120.04	(-)0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053-जिला प्रशासन			
राजस्व	34,675	23,590	(-)11,085
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			11,087

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 110.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 110.87 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053-093-2987-20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन-			
मूल	346.75		
पुनर्वि.	(-)110.87	235.88	+0.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2250—अन्य सामाजिक सेवायें			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	1,32,650	60,787	(-)71,863
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			71,107
पूंजीगत	45,000	44,494	(-)506
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			5

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 718.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 711.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2250-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5455-राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर मेले आदि में जनसुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)355.00	345.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 355.00 लाख की कमी वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2250-800-2003-सिंधु दर्शन/कैलाश मानसरोवर यात्रा-			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)97.50	32.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.50 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2250-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6292-शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2250-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6394-संचालनालय धर्मस्थ तथा अधीनस्थ कार्यालय-			
मूल	202.00		
पुनर्वि.	(-)202.00	0.00	0.00
₹ 202.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कार्यालय की स्थापना नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2217-शहरी विकास			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2853-लौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	2,19,735	2,12,417	(-)7,318
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			15,479
पूंजीगत	6,39,013	6,39,013	00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) ₹ 73.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 154.79 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-789-192-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	(-)24.40	45.60	45.60
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 24.40 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी के चलते कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2853-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-
7611-गौण खनिज से प्राप्त
राजस्व का नगरीय निकायों
के लिए अंतरण-

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(-)116.99	83.01	83.01	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.99 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-789-193-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	169.00	213.47	+44.47

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	18,63,000		
पूरक	01	18,63,001	14,98,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)3,64,501 3,01,500
पूंजीगत	5,22,000	3,04,800	(-)2,17,200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			2,17,200

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 3,645.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 3,015.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9182-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय-			
मूल	15,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,590.00	12,410.00	12,410.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,590.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2415-01-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7988-उद्यानिकी विश्वविद्यालय-			
मूल	150.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(3) 2415-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7403-कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय-			
मूल	3,290.00		
पुनर्वि.	(-)107.50	3,182.50	2,552.50
			(-)630.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 54—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2415-04-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(5) 2415-05-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 40.00 पुनर्वि. (-)40.00	0.00	0.00	0.00
₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

पूजीगत :

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4415-01-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7988—उद्यानिकी विश्वविद्यालय— मूल 160.00 पुनर्वि. (-)160.00	0.00	0.00	0.00
₹ 160.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(2) 4415-01-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9182—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)52.00	2,948.00	2,948.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 52.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4415-03-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)1,800.00	100.00	100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,800.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(4) 4415-04-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 54—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4415-05-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403— कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 60.00 पुनर्वि. (-)60.00	0.00	0.00	0.00
₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2236—पोषण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,08,37,488		
पूरक	94,663	1,09,32,151	65,09,229
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)44,22,922 44,31,586
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत	3,34,150	1,65,635	(-)1,68,515
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,68,515

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 946.63 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 44,229.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 44,315.86 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-9041—महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय—			
मूल	1,486.73		
पुनर्वि.	(-)604.87	881.86	878.50
			(-)3.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 604.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)—			
मूल	6,032.50		
पुनर्वि.	(-)5,512.86	519.64	519.64
			0.00

अनुदान संख्या 55—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,512.86 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार वेतन, यात्रा आदि पर खर्च किए जाने, कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने एवं मोबाईल फोन की खरीदारी हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7361-सबला योजना-			
मूल	241.00		
पुनर्वि.	(-)241.00	0.00	0.00
₹ 241.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(4) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7507-राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला केन्द्र की स्थापना-			
मूल	1,798.40		
पुनर्वि.	(-)1,648.72	149.68	(-)0.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,648.72 लाख की कमी कॉलेजों के बंद होने के कारण वालंटियर का चयन नहीं किए जाने एवं कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(5) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7884-प्रधान मंत्री मातृ वंदना-			
मूल	1,851.50		
पुनर्वि.	(-)700.53	1,150.97	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 700.53 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(6) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9042-एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत बाल गृह-			
मूल	2,023.07		
पुनर्वि.	(-)1,197.84	825.23	+0.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,197.84 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(7) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-			
मूल	29,162.70		
पूरक	946.63		
पुनर्वि.	(-)10,404.21	19,705.12	(-)4.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,404.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण-			
मूल	844.22		
पुनर्वि.	(-)361.42	482.80	482.22
			(-)0.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 361.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2003-04 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)700.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना-			
मूल	7,190.72		
पुनर्वि.	(-)4,008.61	3,182.11	3,182.11
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,008.61 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय-			
मूल	7,600.00		
पुनर्वि.	(-)30.06	7,569.94	7,269.94
			(-)300.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30.06 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2008-09 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7680-आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक-			
मूल	991.00		
पुनर्वि.	(-)885.92	105.08	105.08
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 885.92 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8958-आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युत व्यय			
मूल	222.60		
पुनर्वि.	(-)120.72	101.88	101.88
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.72 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 55—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(14) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 175.00 पुनर्वि. (-)175.00		0.00	0.00	0.00
₹ 175.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(15) 2235-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7754—स्वाधर योजना— मूल 80.30 पुनर्वि. (-)58.46		21.84	21.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 58.46 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(16) 2235-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7824—राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर— मूल 650.00 पुनर्वि. (-)650.00		0.00	0.00	0.00
₹ 650.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(17) 2235-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7879—महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)165.40		434.60	434.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 165.40 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(18) 2235-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5373—महिला कोष का गठन— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)96.00		104.00	104.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि की स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(19) 2235-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5563—क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्था— मूल 159.10 पुनर्वि. (-)54.22		104.88	104.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 54.22 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

शीर्ष	अनुदान संख्या 55—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(20) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5645-मुख्य मंत्री कन्यादान योजना-				
मूल	950.00			
पुनर्वि.	(-)215.54	734.46	734.46	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 215.54 लाख की कमी विवाह समारोह का आयोजन नहीं किए जाने एवं कोविड-19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(21) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7875-सुचिता योजना-				
मूल	400.00			
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00	0.00
₹ 400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(22) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8665-मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र (पारिजात)-				
मूल	131.10			
पुनर्वि.	(-)99.18	31.92	31.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.18 लाख की कमी संबंधित संस्थानों और जिलों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(23) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8681-राज्य महिला आयोग-				
मूल	308.16			
पुनर्वि.	(-)168.72	139.44	139.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.72 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(24) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8976-कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यक्रम-				
मूल	60.07			
पुनर्वि.	(-)56.83	3.24	3.24	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.83 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(25) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9369-महिला जागृति शिविर-				
मूल	145.00			
पुनर्वि.	(-)64.30	80.70	81.06	+0.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 64.30 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण लम्बित देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2235-02-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5491—समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)70.55	29.45	29.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.55 लाख की कमी समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2235-02-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7815—उज्जवला परियोजना— मूल 90.11 पुनर्वि. (-)72.31	17.80	17.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.31 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(28) 2236-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7361—सबला योजना— मूल 301.90 पुनर्वि. (-)146.26	155.64	152.60	(-)3.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 146.26 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2021)। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(29) 2236-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 36,979.25 पुनर्वि. (-)10,622.99	26,356.26	26,396.01	+39.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,622.99 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण आगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2007-08 से 2018-19 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(30) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6359—मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान— पूरक 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2021)।			
(31) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7747—महतारी जतन योजना— मूल 1,475.30 पुनर्वि. (-)822.41	652.89	643.92	(-)8.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 822.41 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(32) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 883.00 पुनर्वि. (-)768.54	114.46	168.93	+54.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 768.54 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7915—आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं को हितलाभ— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)52.10	47.90	347.90	+300.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 52.10 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अम्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 2,284.00 पुनर्वि. (-)708.20	1,575.80	1,575.80	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 708.20 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5564—परियोजना कार्यालय
सह संसाधन केन्द्र हेतु
भवन निर्माण—

मूल 75.00
पुनर्वि. (-)75.00

0.00

0.00

0.00

₹ 75.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार से निधि जारी किए जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7764-किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत भवन निर्माण-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)219.45	80.55	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 219.45 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना-			
मूल	116.60		
पुनर्वि.	(-)116.60	0.00	0.00
₹ 116.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7971-कामकाजी महिला हॉस्टल भवन निर्माण-			
मूल	375.00		
पुनर्वि.	(-)375.00	0.00	0.00
₹ 375.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4235-02-800-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय-			
मूल	190.80		
पुनर्वि.	(-)190.80	0.00	0.00
₹ 190.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	12,48,754	8,77,379	(-)3,71,375
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			3,71,427
पूंजीगत	93,020	40,465	(-)52,555
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			52,555
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) ₹ 3,713.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 3,714.27 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-103-931—केन्द्रीय कार्यालय—			
मूल	709.39		
पुनर्वि.	(-)269.10	440.29	(-)0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 269.10 लाख की कमी स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कम अमला होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2851-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7625—हथकरघा सी.एफ.सी. की स्थापना—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के चलते वित्त विभाग के आदेशानुसार बजट में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2851-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4748—हस्तशिल्प निगम को विकास योजनाओं हेतु अनुदान—			
मूल	252.80		
पुनर्वि.	(-)75.84	176.96	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.84 लाख की कमी निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5020-विकास केन्द्रों के संचालन हेतु हस्तशिल्प विकास निगम/बोर्ड को अनुदान-			
मूल	281.23		
पुनर्वि.	(-)88.75	192.48	192.48
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.75 लाख की कमी निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5458-हस्तशिल्प विकास बोर्ड-			
मूल	340.00		
पुनर्वि.	(-)102.00	238.00	238.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.00 लाख की कमी निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6892-ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)102.87	97.13	97.13
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.87 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6913-कुम्भकार टेराकोटा शिल्प योजना-			
मूल	155.00		
पुनर्वि.	(-)85.00	70.00	70.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई हैं।			
(8) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9201-प्रदर्शनी, प्रचार एवं प्रसार-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	40.00	40.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी राज्य शासन से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2851-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1068-खादी बोर्ड की स्थापना व्यय हेतु अनुदान-			
मूल	998.70		
पुनर्वि.	(-)398.96	599.74	599.74
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 398.96 लाख की कमी निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2851-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5454—खादी बोर्ड को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान— मूल 81.79 पुनर्वि. (-)65.43	16.36	16.36	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 65.43 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2851-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6193—खादी बोर्ड के परिवार मूलक ईकाइयों को स्थापना हेतु सहायता— मूल 217.83 पुनर्वि. (-)65.35	152.48	152.48	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 65.35 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2851-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6426—ग्रीन खादी उत्पादन केन्द्र की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(13) 2851-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6427—राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(14) 2851-107-3778—रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन— मूल 5,432.95 पुनर्वि. (-)1,498.47	3,934.48	3,934.70	+0.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,498.47 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के चलते बजट में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(15) 2851-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5146—टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम— मूल 2,263.75 पुनर्वि. (-)336.52	1,927.23	1,927.23	0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 336.52 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के चलते बजट में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 56—समाप्त

पूँजीगत—

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4851-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6769—भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना— मूल 77.20 पुनर्वि. (-)75.33	1.87	1.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.33 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के चलते बजट में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 4851-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7625—हथकरघा सी. एफ. सी. की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)250.00	50.00	50.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के चलते बजट में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4851-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1068—खादी बोर्ड की स्थापना व्यय हेतु अनुदान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4851-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6336—रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)50.58	349.42	349.42	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.58 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के चलते विभागीय आदेशानुसार ट्यूब-वेल खुदाई एवं सिंचाई पम्पों के लगाने में कम खर्च किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	10,00,000	00	(-)10,00,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			10,00,000
टीका एवं टिप्पणियां			

पूंजीगत :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700—13—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुर्नरोद्धार कार्य— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4700—14—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुर्नरोद्धार कार्य— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
(3) 4700—15—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुर्नरोद्धार कार्य— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
(4) 4700—16—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुर्नरोद्धार कार्य— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
(5) 4701—80—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6371—मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुर्नरोद्धार कार्य— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)360.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 57—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4701-80-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6371-मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
(7) 4702-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6372-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य- मूल 80.00 पुनर्वि. (-)80.00	0.00	0.00	0.00
(8) 4702-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6371-मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य- मूल 60.00 पुनर्वि. (-)60.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,000.00 लाख, ₹ 2,000.00 लाख, ₹ 2,000.00 लाख, ₹ 2,000.00 लाख, ₹ 360.00 लाख, ₹ 1,500.00 लाख, ₹ 80.00 लाख एवं ₹ 60.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	69,50,710		
पूरक	92,44,800	1,61,95,510	1,09,56,322
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)52,39,188 52,40,950
पूंजीगत	2,000	00	(-)2,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			2,000
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2020 (₹ 82,448.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था, जबकि मार्च 2021 (₹ 10,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 52,391.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 52,409.50 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-2018-नगद दान-			
मूल	634.10		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)471.96	662.14	595.24
			(-)66.90

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87.85 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 384.11 लाख की अन्य कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 471.96 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2245-01-101-7710-फसल क्षति

हेतु सहायता-

मूल 3,000.00

पुनर्वि. (-)500.00

2,500.00

0.00

(-)2,500.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2245-01-102-2661-पेयजल

आपूर्ति-

मूल 606.00

पुनर्वि. (-)6.00

600.00

0.00

(-)600.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.00 लाख की कमी के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2245-01-800-1467—जिला एवं अन्य सड़कें	400.00	0.00	(-)400.00
(5) 2245-01-800-2389—निर्माण कार्य	400.00	0.00	(-)400.00
(6) 2245-01-800-3819—लघु सिंचाई (कृषि)	400.00	0.00	(-)400.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2011-12 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2245-02-101-2018—नगद दान—				
मूल	2,200.00			
पूरक	200.00			
पुनर्वि.	(-)1,046.66	1,353.34	1,833.24	+479.90

समर्पण द्वारा ₹ 821.66 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 225.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,0846.66 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2245-02-102-2661—पेयजल आपूर्ति	200.00	0.00	(-)200.00
---------------------------------------	--------	------	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2245-02-106-1467—जिला एवं अन्य सड़कें	1,000.00	95.89	(-)904.11
--	----------	-------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2245-02-110-2018—नगद दान—				
मूल	200.00			
पुनर्वि.	(-)185.78	14.22	10.72	(-)3.50

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 196.50 लाख की कमी एवं ₹ 10.72 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2245-02-111-7352—शोकरत परिवारों को सहायक अनुदान—				
मूल	2,400.00			
पूरक	300.00			
पुनर्वि.	(-)798.94	1,901.06	1,589.06	(-)312.00

समर्पण द्वारा ₹ 455.44 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 343.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 798.94 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2245-02-114-7357-बाढ़ आदि में सहायता-			
मूल	1,000.00		
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-)504.39	695.61	745.20
			+49.59
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 504.39 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2245-02-117-7357-बाढ़ आदि में सहायता-			
मूल	1,200.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)484.07	815.93	680.52
			(-)135.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 484.07 लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2245-02-122-6457-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,000.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 6,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिला कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(15) 2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों का मरम्मत और उसकी पुनःस्थापना	1,000.00	0.00	(-)1,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(16) 2245-05-101-6442-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि-			
मूल	11,520.00		
पुनर्वि.	(-)5,760.00	5,760.00	5,760.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,760.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2245-05-101-7427-राज्य आपदा मोचन निधि-			
मूल	32,120.00		
पूरक	22,860.00		
पुनर्वि.	(-)23,040.00	31,940.00	31,940.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 23,040.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2245-80-001-2304—निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	205.40		
पुनर्वि.	(-)90.44	114.96	(-)1.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.44 लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2245-80-101-7354—प्रशिक्षण—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)4.90	195.10	(-)190.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4.90 लाख की कमी कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2245-80-102-6457—राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय—			
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(21) 2245-80-102-7729—डूबने से, खदान धसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत—			
मूल	4,500.00		
पूरक	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,066.00	6,434.00	(-)420.72
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,066.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(22) 2245-80-103-4849—राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,000.00	0.00	0.00
₹ 5,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2245-80-800-2018—नगद दान—			
मूल	4,422.00		
पूरक	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,369.42	5,052.58	(-)935.00
समर्पण द्वारा ₹ 349.02 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,020.40 लाख की अन्य कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,369.42 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष ₹ 1,000.00 लाख कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(24) 2245-80-800-6457—राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय—			
पूरक	5,320.00		
पुनर्वि.	(-)5,320.00	0.00	0.00
₹ 5,320.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 2245-80-800-96-अग्नि पीड़ितों को राहत—			
मूल	1,850.00		
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(-209.63)	2,640.37	1,790.32
			(-)850.05

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 209.63 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-282-7347-लोक स्वास्थ्य—			
मूल	50.00		
पूरक	2,000.00		
पुनर्वि.	1,000.00	3,050.00	3,273.50
			+223.50

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख के आवर्धन के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 2245-02-112-5607-बाढ़ नियंत्रण—			
मूल	800.00		
पूरक	491.00		
पुनर्वि.	(-)2.43	1,288.57	1,586.69
			+298.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2.43 लाख की कमी जिला कलेक्टरों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(3) 2245-02-112-7357-बाढ़ अनुदान आदि में सहायता	100.00	700.00	+600.00
--	--------	--------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(4) 2245-02-113-7357-बाढ़ अनुदान आदि में सहायता—			
मूल	1,000.00		
पूरक	700.00		
पुनर्वि.	(-)1,306.84	393.16	2,883.28
			+2,490.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,306.84 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(5) 2245-80-800-7408-राज्य आपदा प्रबंधन अंतर्गत दक्षता निर्माण—			
मूल	2,850.00		
पूरक	6,300.00		
पुनर्वि.	2,306.92	11,456.92	12,051.74
			+594.82

अनुदान संख्या 58—जारी

समर्पण द्वारा ₹ 37.08 लाख की कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,344.00 लाख की वृद्धि कोविड 19 महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त निधियों का आबंटन एवं उपकरण क्रय किए जाने (₹ 1,294.00 लाख) के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,306.92 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। ₹ 1,050.00 लाख की शेष वृद्धि के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2245-80-800-747-ओला पीड़ितों को राहत-			
मूल	1,300.00		
पूरक	29,757.00		
पुनर्वि.	(-)2,362.18	28,694.82	33,694.42
			+4,999.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,362.18 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(v) अकाल राहत निधि-

1 अप्रैल 2020 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 866.69 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान ₹ 4.77 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई भी राशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2021 को निधि का अंत शेष ₹ 871.46 लाख (जमा) था।

निधि लेखा का 31 मार्च 2021 को अंतिम शेष निम्नानुसार है :-

विवरण		01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2021 को अंतशेष
		₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
8223	अकाल				
	101 निधि लेखा	405.96 (जमा)	0.00	4.77	410.73 (जमा)
	राहत				
	102 निवेश लेखा	460.73 (जमा)	0.00	0.00	460.73 (जमा)
	निधि				
	योग	866.69 (जमा)	0.00	4.77	871.46 (जमा)

निधि के लेन देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2020-21 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करने की स्वीकृति देती है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक-2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग) के पत्र क्रम संख्या 33-5/2015-एन.डी.एम-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।

चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग किया जावेगा।

राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 2015-16 से 2020-21 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की राशि को 14 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसानुसार निर्धारित किया जावेगा। राज्य आपदा मोचन निधि की कुल राशि में 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा जबकि 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

वर्ष 2020-21 के लिए कुल प्रावधानित राशि ₹ 54,980.00 लाख में से ₹ 31,940.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें केन्द्रांश ₹ 23,955.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 7,985.00 लाख था।

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601-भारत सरकार से सहायक अनुदान-01-आयोजनेत्तर अनुदान-109-राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत जमा होता है। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245-दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि

अनुदान संख्या 58—समाप्त

अंतरित कर "2245—दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुनर्प्राप्तियों में समायोजित किया जाता है।

1 अप्रैल 2020 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 49,188.18 लाख (जमा) था। वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान लेखा शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि" में ₹ 32,872.31 लाख जमा किया गया। लेखा शीर्ष "2245—05—101—7427 को नामें किया गया है।

₹ 71,749.81 का व्यय राष्ट्रीय आपदा निधि में किया गया जिसे इस निधि में नामें किया गया। 31 मार्च 2021 को निधि का अंत शेष ₹ 10,310.68 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान निधि में कोई भी निवेश एवं ब्याज जमा नहीं किया गया।

निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियां नीलाम किए गए खजाना बिल एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा प्रमाण पत्र में निवेश करना चाहिए। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो, इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनिमय योजना के अन्तर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049—ब्याज आदयी"—05—आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज को नामें किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अन्तरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस. डी. आर. एफ. निधि के रूप में माना जाता है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रकृति आपदा को गम्भीर प्रकृति के रूप में माना है एवं राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं राज्य आपदा मोचन निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की जरूरत है, तो एन.डी.आर.एफ. से तत्काल राहत सहायता हेतु पात्र होगा।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2020—21 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या—21 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :

(vii) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2019—20 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	6,500	1,653	(-)4,847
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			4,854
पूंजीगत	10,40,000	10,15,335	(-)24,665
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			24,665
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 48.47 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 48.54 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3451-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7282-जिला योजनाओं का सुदृढ़ीकरण-			
मूल	65.00		
पुनर्वि.	(-)48.54	16.46	+0.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 48.54 लाख की कमी बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूंजीगत :

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7493-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना-			
मूल	10,400.00		
पुनर्वि.	(-)246.65	10,153.35	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 246.65 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएं
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जलापूर्ति और सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
 2230—श्रम तथा रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्रामीण रोजगार
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा
 अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4408—खाद्य भण्डारण और भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय
 4415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4810—नवीन तथा अक्षय उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
 6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64—जारी

6408—खाद्य भण्डारण तथा भंडागार के लिए कर्ज

6425—सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	5,51,51,815		
पूरक	36,59,322	5,88,11,137	(-)1,10,05,489
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,03,55,094
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			10
पूँजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	1,02,81,903		
पूरक	13,60,690	1,16,42,593	(-)40,97,365
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			40,14,023

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा अगस्त 2020 (₹ 20,224.85 लाख), दिसम्बर 2020 (₹ 16,268.37 लाख) एवं मार्च 2021 (₹ 100.00 लाख), में प्राप्त किया गया ₹ 36,593.22 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,10,054.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,03,550.94 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना-	775.90	439.75	(-)336.15
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	16,626.79		
पुनर्वि.	(-)2,686.09	13,940.70	13,947.28
			+6.58

अनुदान संख्या 64-जारी

समर्पण द्वारा ₹ 2,652.09 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,686.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 4396-शासकीय प्राथमिक शालाएं मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए- मूल 23,551.19 पूरक 65.00 पुनर्वि. (-)2,930.72	20,685.47	20,692.09	+6.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,930.72 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(4) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 495-आश्रम एवं शालाएं- मूल 2,443.70 पुनर्वि. (-)739.26	1,704.44	1,735.84	+31.40
---	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 739.26 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5092-जवाहर उत्कर्ष योजना- मूल 420.00 पुनर्वि. (-)186.26	233.74	237.54	+3.80
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 186.26 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2202-01-789-108-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय- मूल 3,092.00 पुनर्वि. (-)2,910.18	181.82	181.82	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,910.18 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202-01-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 1394-छात्राओं को गणवेश- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए) मूल 1,283.00 पुनर्वि. (-)1,283.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 1,283.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-01-789-111-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)10,594.61	4,405.39	4,405.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,594.61 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 4,134.00 पूरक 2,398.30 पुनर्वि. (-)1,058.06	5,474.24	5,429.31	(-)44.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,058.06 लाख की कमी रसोइयों के मानदेय में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 3,410.65 पूरक 1,687.75 पुनर्वि. (-)532.66	4,565.74	4,558.47	(-)7.27
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 532.66 लाख की कमी रसोइयों के मानदेय में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2202-02-789-106-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2202-02-789-109-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8050—छात्रवृत्तियां— मूल 1,500.20 पुनर्वि. (-)260.20	1,240.00	1,240.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 260.20 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 64—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(13) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 3,600.00 पुनर्वि. (-)1,526.68	2,073.32		2,073.32	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,526.68 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(14) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1395—छात्रावास— मूल 9,862.00 पुनर्वि. (-)3,025.78	6,836.22		6,959.52	+123.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,025.78 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(15) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 10,000.10 पुनर्वि. (-)2,453.03	7,547.07		7,547.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,453.03 लाख की कमी पात्र छात्रों की कमी होने के कारण सूचित किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(16) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 35,850.39 पूरक 18.00 पुनर्वि. (-)4,910.91	30,957.48		30,951.42	(-)6.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,910.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।				
(17) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6140—छात्र भोजन सहाय योजना— मूल 388.00 पुनर्वि. (-)342.83	45.17		45.17	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 342.83 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(18) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7363—युवा कैरियर निर्माण योजना— मूल 234.90 पुनर्वि. (-)134.54	100.36		100.36	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.54 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

शीर्ष	अनुदान संख्या 64—जारी		वास्तविक	आधिक्य+
	कुल	अनुदान	व्यय	बचत(-)
			(₹ लाख में)	
(19) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7367-आदर्श विद्यालय योजना—	मूल 400.00			
पुनर्वि.	(-)222.78	177.22	177.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 222.78 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(20) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न—	मूल 450.00			
पुनर्वि.	(-)381.79	68.21	68.21	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 381.79 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(21) 2202-02-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 307-अशासकीय संस्थाओं का अंशदान—	मूल 677.00			
पुनर्वि.	(-)273.38	403.62	558.23	+154.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 273.38 लाख की कमी जिलों द्वारा कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(22) 2202-03-789-001-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8971-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का अंशदान—	मूल 1,000.00			
पुनर्वि.	(-)702.50	297.50	297.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 702.50 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(23) 2202-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय—	मूल 4,861.10			
पुनर्वि.	(-)1,859.34	3,001.76	3,040.91	+39.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,859.34 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मांग प्राप्त नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 2203-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2668-पोलीटेक्निक संस्थाएं- मूल 786.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)115.73	770.27	770.31	+0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.73 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2204-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6408-राज्य युवा मितान क्लब मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के लिए गार्ड लाईन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने एवं क्लब का अप्रयुक्त रहा।			
(26) 2204-789-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7819-युवा शक्ति योजना- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2210-01-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7397 छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉंस सर्विसेस योजना	300.00	180.00	(-)120.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति की स्थापना	398.40	288.71	(-)109.69
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8951-आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर	440.90	285.79	(-)155.11
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 2210-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1228—ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय	715.65	225.00	(-)490.65
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(31) 2210-03-789-197-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,507.40 पुनर्वि. (-)50.00	2,457.40	1,906.65	(-)550.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(32) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूल 4,387.10 पुनर्वि. 50.00	4,437.10	3,900.61	(-)536.49
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(33) 2210-06-789-101-6390-मुख्य मंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना	156.00	0.00	(-)156.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(34) 2210-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6441—कोविड-19 की संक्रमण की उपचार एवं रोकथाम	3,545.00	3,017.51	(-)527.49
(35) 2210-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5688—मुख्य मंत्री दवा पेटी	192.00	34.99	(-)157.01
उपरोक्त क्रम संख्या (34) एवं (35) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(36) 2210-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7679—टी बी के रोकथाम हेतु पोषण आहार	200.00	0.00	(-)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 2210-06-789-200-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6362—डाक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना	6,600.00	5,280.00	(-)1,320.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(38) 2210-06-789-200-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6363-मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. 240.00	840.00	240.00	(-)600.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 240.00 लाख के आवर्धन के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(39) 2215-01-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6862-लवण जल प्रदाय योजना— मूल 175.12 पुनर्वि. (-)175.12	0.00	0.00	(-)0.00
₹ 175.12 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण बजट में कमी किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(40) 2215-02-789-107-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7610-स्वच्छ भारत अभियान— मूल 5,400.00 पुनर्वि. (-)2,840.25	2,559.75	970.75	(-)1,589.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,101.16 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि हेतु कम मांग किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,739.09 लाख की अन्य कमी राज्यांश के अनुसार निधि जारी किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,840.25 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(41) 2216-03-789-105-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 19,200.00 पुनर्वि. (-)11,717.80	7,482.20	7,482.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,717.80 लाख की कमी राज्यांश के अनुसार निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 2217-80-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709-सबके लिए आवास योजना— मूल 2,450.00 पुनर्वि. (-)187.97	2,262.03	2,262.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 187.97 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(43) 2225-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7629—अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ— मूल 1,335.00 पूरक 3,199.40 पुनर्वि. (-)1,166.43	3,367.97	3,373.72	+5.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,166.43 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(44) 2225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 4,700.00 पुनर्वि. (-)3,025.08	1,674.92	1,674.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,025.08 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(45) 2225-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)146.27	253.73	253.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 146.27 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(46) 2225-01-789-190-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3185—अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम की स्थापना— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)154.98	645.02	645.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 154.98 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(47) 2225-01-789-277-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7627—व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएँ— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)126.12	173.88	173.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.12 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(48) 2230-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7632-युवा क्षमता विकास योजना- मूल 110.00 पुनर्वि. (-)50.00	60.00	0.00	(-)60.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(49) 2230-03-789-003-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7867-प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना- मूल 213.80 पुनर्वि. (-)213.00	0.80	0.00	(-)0.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 213.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(50) 2230-03-789-003-0703-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7955-जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(51) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7683-मुख्य मंत्री कौशल विकास योजना- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)500.00	500.00	0.00	(-)500.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(52) 2235-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 79-दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं- मूल 300.45 पुनर्वि. (-)222.85	77.60	77.63	+0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 222.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(53) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)- मूल 3,353.32 पुनर्वि. (-)2,970.36	382.96	382.72	(-)0.24

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,970.36 लाख की कमी मानव संसाधन विकास विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(54) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7884-प्रधान मंत्री मातृ वंदना— मूल 552.10 पुनर्वि. (-)342.98	209.12	209.12	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 342.98 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(55) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 8,698.52 पूरक 261.42 पुनर्वि. (-)2,356.82	6,603.12	6,602.79	(-)0.33
---	----------	----------	---------

(56) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परिवीक्षण— मूल 235.12 पुनर्वि. (-)125.04	110.08	110.08	0.00
---	--------	--------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (55) एवं (56) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,356.82 लाख एवं ₹ 125.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (55) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(57) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7680-आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक— मूल 138.10 पुनर्वि. (-)116.60	21.50	21.50	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.60 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(58) 2235-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5645-मुख्य मंत्री कन्यादान योजना— मूल 228.00 पुनर्वि. (-)153.27	74.73	74.73	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 153.27 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण विवाह कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(59) 2235-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7875-सुचिता योजना- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(60) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 9,005.50 पुनर्वि. (-)2,290.33	6,715.17	6,716.65	+1.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,290.33 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण ऑगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(61) 2236-02-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6359-मुख्य मंत्री सुपोषण अभियान- मूल 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00
₹ 700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(62) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7747-महतारी जतन योजना- मूल 390.65 पुनर्वि. (-)216.14	174.51	173.24	(-)1.27
(63) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 237.30 पुनर्वि. (-)210.75	26.55	26.55	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (62) एवं (63) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 216.14 लाख एवं ₹ 210.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (62) एवं 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (63) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(64) 2401-789-102-0703-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- पूरक 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,265.45	234.55	234.55	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,265.45 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(65) 2401-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6366-कृषक सहायता— पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(66) 2401-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— मूल 76,500.00 पुनर्वि. 76,500.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 5,911.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70,589.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 76,500.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण और पुनर्विनियोजन दोनों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(67) 2401-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6448-गोधन न्याय योजना— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)507.00	293.00	293.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 507.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(68) 2401-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8900-जैविक खेती मिशन— मूल 240.00 पुनर्वि. (-)211.75	28.25	27.89	(-)0.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 211.75 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(69) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,880.00 पुनर्वि. (-)1,352.27	527.73	527.71	(-)0.02
समर्पण द्वारा ₹ 1,264.07 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 88.20 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,352.27 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण और पुनर्विनियोजन दोनों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(70) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7266-एन.एम.एस.ए.रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम— मूल 264.00 पुनर्वि. (-)195.25	68.75	68.75	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 195.25 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(71) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7267-एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थमेनेजमेंट योजना-	मूल 185.00 पुनर्वि. (-)169.91	15.09	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 169.91 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(72) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7684-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-	मूल 720.00 पुनर्वि. (-)365.61	354.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 365.61 लाख की कमी निधियों के विमुक्त अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(73) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7830-परम्परागत कृषि विकास योजना-	मूल 241.00 पुनर्वि. (-)115.36	125.64	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.36 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधियों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(74) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8942-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)-	मूल 1,920.00 पुनर्वि. (-)997.16	922.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 997.16 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(75) 2401-789-108-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7946-सोयाबीन उत्पादन पर प्रोत्साहन-	मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(76) 2401-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7269-एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन-	मूल 480.00 पुनर्वि. (-)176.97	303.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹176.97 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(77) 2401-789-113-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 4,360.00 पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (-)123.81	6,236.19	6,236.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.81 लाख की कमी सरकार द्वारा निधियों की विमुक्त अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(78) 2401-789-113-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8539-कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(79) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)178.34	301.66	301.66	0.00
(80) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7258-नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एन्ड आईलपॉम— मूल 168.00 पुनर्वि. (-)146.40	21.60	21.60	0.00
(81) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7684-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)552.65	47.35	47.35	0.00
(82) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7705-एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 2,460.00 पुनर्वि. (-)369.70	2,090.30	2,090.30	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (79) से (82) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 178.34 लाख, ₹ 146.40 लाख, 552.65 लाख एवं ₹ 369.70 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (79), 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (80) एवं (81) एवं 2019-20 दौरान क्रम संख्या (82) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(83) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7874-एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री- मूल 144.00 पुनर्वि. (-)102.68	41.32	41.32	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 78.15 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.53 लाख की अन्य कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 102.68 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(84) 2401-789-119-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7854-नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना- मूल 168.00 पुनर्वि. (-)168.00	0.00	0.00	0.00
₹ 168.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(85) 2401-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6353-चिराग योजना- मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(86) 2402-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम- मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)999.22	1,400.78	1,400.78	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 999.22 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों के विमुक्त अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(87) 2403-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5620-पशुरोग नियंत्रण- मूल 293.60 पुनर्वि. (-)100.00	193.60	93.60	(-)100.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण बजट में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(88) 2403-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7257-राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंसवंशीय परियोजना तथा पशुधन बीमा योजना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 64-जारी

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(89) 2403-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 1108-गहन पशु विकास परियोजना- मूल 397.74 पुनर्वि. (-)172.32	225.42	225.01	(-)0.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 172.32 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण बजट में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(90) 2406-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2962-बिगड़े वनों का सुधार- मूल 2,790.00 पुनर्वि. (-)53.26	2,736.74	2,585.76	(-)150.98
(91) 2406-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6723-संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण एवं विकास- मूल 164.65 पुनर्वि. (-)6.50	158.15	46.75	(-)111.40
(92) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2533-हरियाली प्रसार योजना- मूल 597.40 पुनर्वि. (-)168.35	429.05	341.59	(-)87.46
(93) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6724-बांस वनों का पुनरोद्धार- मूल 1,120.00 पुनर्वि. (-)115.88	1,004.12	842.13	(-)161.99
(94) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7930-मुख्य मंत्री बांस विकास योजना- मूल 144.00 पुनर्वि. (-)0.49	143.51	9.49	(-)134.02

उपरोक्त क्रम संख्या (90) से (94) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 53.26 लाख, ₹ 6.50 लाख, ₹ 168.35 लाख, ₹ 115.88 लाख एवं ₹ 0.49 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (92) तथा 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (94) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(95) 2406-02-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का विकास	132.90	0.00	(-)132.90
₹ 132.90 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(96) 2406-04-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7261—राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम—			
मूल	770.00		
पुनर्वि.	(-)770.00	0.00	0.00
₹ 770.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(97) 2408-01-789-003-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8919—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण—			
मूल	357.60		
पुनर्वि.	(-)357.60	0.00	0.00
₹ 357.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष के दौरान योजना निष्पादन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(98) 2408-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3229—नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति —			
मूल	156.00		
पुनर्वि.	(-)156.00	0.00	0.00
₹ 156.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(99) 2408-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6839—मुख्य मंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	40,917.97	37,590.71	(-)3,327.26
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(100) 2408-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7894—उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण—			
मूल	1,020.00		
पुनर्वि.	(-)1,020.00	0.00	0.00
₹ 1,020.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(101) 2408-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8933-शक्कर वितरण योजना- मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)228.78	971.22	971.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.78 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(102) 2425-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान- मूल 2,556.00 पुनर्वि. (-)1,356.00	1,200.00	1,200.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,356.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(103) 2425-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7889-प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(104) 2505-60-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- पूरक 19,200.00 पुनर्वि. (-)7,226.96	11,973.04	11,973.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,226.96 लाख की कमी मैचिंग शेयर के अनुसार राज्यांश जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(105) 2702-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5707-शाकम्बरी योजना- पूरक 240.00 पुनर्वि. (-)214.31	25.69	25.69	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.31 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(106) 2801-80-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 64-जारी

₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने एवं कोविड-19 महामारी के कारण मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(107) 2810-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7694-सौर उर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)180.20	119.80	119.80	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.20 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(108) 2851-789-107-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5146-टसर रेशम विकास एवं विस्तार- मूल 467.00 पुनर्वि. (-)123.02	343.98	343.98	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.02 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा प्रावधान में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(109) 2852-80-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5451-अशंपूजी सहायता योजना- मूल 130.00 पुनर्वि. (-)105.00	25.00	25.00	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	964.50	1,127.96	+163.46

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2401-789-102-0703-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6438-राजीव गांधी किसान न्याय योजना- पूरक 7,200.00 पुनर्वि. 70,589.00	77,789.00	77,789.00	0.00
--	-----------	-----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70,589.00 लाख का आवर्धन राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत राज्य अन्नदाता को उचित श्रम मूल्य प्रदान करने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2501-06-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 4,800.00 पूरक 1,101.16	5,901.16	7,490.16	+1,589.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,101.16 लाख का आवर्धन केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2020 (₹ 5,803.51 लाख) एवं दिसम्बर 2019 (₹ 7,803.39 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,606.90 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 40,973.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 40,140.23 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-789-201-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9005—इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)150.00	350.00	350.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4202-01-789-202-1203—विदेशी सहायता प्राप्त
परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—
1400—विवेकानन्द गुरुकुल
उन्नयन योजना—

मूल 1,238.00 पुनर्वि. (-)1,238.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	------	------	------

₹ 1,238.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202-01-789-202-0103—अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना—
1400—विवेकानन्द गुरुकुल
उन्नयन योजना—

मूल 1,037.50 पुनर्वि. (-)440.00	597.50	597.50	0.00
------------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 440.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4202-01-789-203-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5086—महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण— मूल 230.00 पुनर्वि. (-)210.13	19.87	19.87	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 110.13 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 210.13 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4202-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 321.00 पुनर्वि. (-)179.88	141.12	141.12	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 179.88 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 4202-02-789-104-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4202-01-789-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 278.45 पुनर्वि. (-)181.21	97.24	97.24	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 181.21 लाख की कमी संस्थाओं द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4202-01-789-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 110.00 पुनर्वि. (-)100.75	9.25	9.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.75 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 227.55 पुनर्वि. (-)85.00	142.55	0.00	(-)142.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(10) 4210-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 567.35 पुनर्वि. (-)269.98	297.37	173.04	(-)124.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 269.98 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(11) 4210-02-789-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 940.87 पुनर्वि. 354.98	1,295.85	667.91	(-)627.94
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 354.98 लाख का आवर्धन कोविड-19 महामारी की रोकथाम के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(12) 4215-01-789-102-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना- मूल 800.00 पुनर्वि. (-)165.03	634.97	403.67	(-)231.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 165.03 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण बजट में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 4215-01-789-102-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7858-सौर उर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना- मूल 165.00 पुनर्वि. (-)165.00	0.00	0.00	0.00
₹ 165.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 4215-01-789-102-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7961-गिरौदपुरी समूह नल जल योजना- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण बजट में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4215-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना- मूल 750.00 पुनर्वि. (-)250.68	499.32	497.96	(-)1.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.68 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण बजट में कटौती किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4225-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7699-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना- मूल 4,000.00 पूरक 7,803.39 पुनर्वि. (-)436.63	11,366.76	11,366.76	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 436.63 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4225-01-789-102-0603-अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित- 7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 5,177.00 पुनर्वि. (-)5,172.00	5.00	5.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,172.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(18) 4225-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5616-गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 4225-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5631-अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण- मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)965.05	2,234.95	2,254.77	+19.82
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 965.05 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4402-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 3478-माइक्रो माईनर सिंचाई योजनाएं- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)257.55	42.45	42.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.55 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(21) 4415-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजना- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(22) 4515-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन- मूल 1,320.00 पुनर्वि. (-)600.00	720.00	720.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 4700-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 210.00 पुनर्वि. (-)94.85	115.15	115.15	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.85 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 4700-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 1,990.00 पुनर्वि. (-)1,367.48	622.52	622.32	(-)0.20

अनुदान संख्या 64-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,367.48 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 4700-08-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य-			
मूल	220.00		
पुनर्वि.	(-)220.00	0.00	0.00
₹ 220.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निपटारा नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(26) 4700-10-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य-			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)784.93	15.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 784.93 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(27) 4700-11-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)67.07	182.93	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.07 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(28) 4700-12-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)798.15	201.85	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 798.15 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निपटारा नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(29) 4702-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 3828-लघु सिंचाई योजना-			
मूल	2,550.00		
पुनर्वि.	(-)579.53	1,970.47	(-)0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 579.53 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुआवजा नहीं मिलने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5059-एनिकट/स्टापडेम का निर्माण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,605.53	1,394.47	1,394.39	(-)0.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,605.53 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण निविदा कार्य में विलम्ब होने एवं कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(31) 4801-02-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/ वितरण कम्पनी— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (-)1,140.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 1,144.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 4801-80-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8548-मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)511.00	89.00	89.00	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 511.00 लाख की कमी वित्त वर्ष के समाप्ति तक निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 4801-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6415-प्रधानमंत्री कुसुम योजना— मूल 234.00 पुनर्वि. (-)234.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 234.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष के समाप्ति तक निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(34) 4801-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6417-मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष की समाप्ति तक निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 4810-789-101-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) 6415-प्रधान मंत्री कुसुम योजना- मूल 2,044.80 पुनर्वि. (-)2,044.80	0.00	0.00	0.00
₹ 2,044.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(36) 4810-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6416-सोलर पंप के माध्यम से नदी/एनिकटों के जल से तालाबों को भरने की योजना- मूल 240.00 पुनर्वि. (-)240.00	0.00	0.00	0.00
₹ 240.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(37) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 4149-वृहद पुलों का निर्माण- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)198.77	2,301.23	2,380.60	+79.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 198.77 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(38) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7976-जवाहर सेतु योजना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)90.54	9.46	9.79	+0.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.54 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 5054-04-789-101-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7976-जवाहर सेतु योजना- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(40) 5054-04-789-337-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 16,200.00 पुनर्वि. (-)886.10	15,313.90	15,313.90	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 886.10 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(41) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण मूल 2,200.00 पुनर्वि. (-)1,487.04	712.96	737.56	+24.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,487.04 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(42) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475—मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)627.52	572.48	555.84	(-)16.64
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 627.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(43) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)846.87	153.13	245.82	+92.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 846.87 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(44) 5054-04-789-337-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002—अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण— मूल 14,400.00 पुनर्वि. (-)6,822.93	7,577.07	7,838.48	+261.41
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,822.93 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(45) 5054-05-789-337-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7818—ई.पी.सी. (इंजीरियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन) मूल 4,041.00 पुनर्वि. (-)4,041.00	0.00	0.00	0.00
₹ 4,041.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से योजनान्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 64—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(46) 5275-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7861-संचार क्रांति योजना	1,200.00	840.00	(-)360.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

(47) 6215-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपयों को अपनाने एवं वित्त वर्ष के समाप्ति तक निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(48) 6408-02-789-190-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8545-नाबार्ड सहायता से गेदाम निर्माण— मूल 1,928.00 पुनर्वि. (-)1,928.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 1,928.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4215-01-789-102-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7962-मिनीमाता अमृत धारा नल योजना— मूल 132.00 पुनर्वि. (-)94.26	37.74	269.04	+231.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.26 लाख की कमी जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	5,08,927	4,59,670	(-)49,257 49,249
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	10	00	(-)10 10
पूंजीगत:			
दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	7,91,160	76,023	(-)7,15,137 7,15,127

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 492.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 492.49 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2052-091-4043-विमानन संचालनालय—			
मूल	5,089.27		
पुनर्वि.	(-)492.49	4,596.78	4,596.70
			(-)0.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 492.49 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2004-05 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) वर्ष के दौरान ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 7,151.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 7,151.27 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 65—समाप्त

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

4727-हवाई पट्टियों का
निर्माण एवं विस्तार-

मूल 2,105.00

पुनर्वि. (-)2,105.00

0.00

0.00

0.00

₹ 2,105.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास कार्य हेतु केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं होने एवं माना एयरपोर्ट विस्तार हेतु अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा राशि की मांग नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5053-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

4043-विमानन

संचालनालय-

मूल 5,806.60

पुनर्वि. (-)5,046.27

760.33

760.23

(-)0.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,046.27 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं राज्य शासन के लिए नवीन शासकीय विमान क्रय किए जाने की प्रशासकीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	23,15,310	14,42,431	(-)8,72,879
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			8,72,853
पूंजीगत	2,57,300	64,369	(-)1,92,931
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,92,913
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) ₹ 8,728.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 8,728.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5904-पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय-			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)350.00	0.00	0.00

₹ 350.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-02-109-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-
8050-छात्रवृत्तियां-

मूल	2,460.10		
पुनर्वि.	(-)600.10	1,860.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 600.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
1395-छात्रावास-

मूल	635.40		
पुनर्वि.	(-)211.76	423.64	(-)0.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 211.76 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 18,000.00 पुनर्वि. (-)6,758.65	11,241.35	11,241.35	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,758.65 लाख की कमी पात्र विद्यार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6140—छात्र भोजन सहाय योजना— मूल 74.00 पुनर्वि. (-)67.14	6.86	7.08	+0.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.14 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(6) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7363—युवा वाहक विकास योजना— मूल 167.50 पुनर्वि. (-)116.00	51.50	51.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 979—क्रीड़ा परिसर— मूल 96.80 पुनर्वि. (-)88.89	7.91	7.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.89 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2225-03-102-6749—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग— मूल 185.50 पुनर्वि. (-)80.33	105.17	105.16	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.33 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2225-04-102-5073—अल्पसंख्यक आयोग— मूल 302.20 पुनर्वि. (-)106.39	195.81	195.78	(-)0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.39 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2225-04-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5488—छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी का गठन— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)75.00	175.00	175.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 66—जारी

पूँजीगत:

(iii) ₹ 1,929.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को ₹ 1,929.13 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-202-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना-			
मूल	159.00		
पुनर्वि.	(-)159.00	0.00	0.00
₹ 159.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1395-छात्रावास-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)133.30	166.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.30 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4225-03-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5096-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूँजी-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)121.30	28.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.30 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4225-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7978-डामाखेड़ा का एकीकृत विकास-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(6) 4225-04-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7605-अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना-			
मूल	1,339.00		
पुनर्वि.	(-)958.05	380.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 958.05 लाख की कमी भारत सरकार से निधि के प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 66—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4225-04-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9410-हज कमेटी को सहायता अनुदान-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)137.45	62.55	62.55
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.45 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 4225-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7978- दामाखेड़ा का एकीकृत विकास-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
2230—श्रम तथा रोजगार			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2403—पशुपालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	68,85,138		
पूरक	2,50,000	71,35,138	56,48,892
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)14,86,246 8,02,314
<i>प्रभारित</i>		8,650	2,976
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)</i>			(-)5,674 5,689
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	91,48,114		
पूरक	2,21,057	93,69,171	37,74,822
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)55,94,349 55,50,247
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 2,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			

अनुदान संख्या 67—जारी

(ii) ₹ 14,862.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 8,023.14 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-053-1481—जिला प्रशासन—			
मूल	450.00		
पुनर्वि.	(-)60.53	389.47	389.47
(2) 2059-01-053-1533—जेल प्रशासन—			
मूल	212.00		
पुनर्वि.	(-)51.70	160.30	160.30
(3) 2059-01-053-3125—भू-राजस्व—			
मूल	660.00		
पुनर्वि.	(-)448.86	211.14	211.14
(4) 2059-01-053-3383—विशेष मरम्मत— भवन—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)463.13	1,036.87	1,033.86
(5) 2059-01-053-3387—मरम्मत— विश्राम गृह—			
मूल	841.00		
पुनर्वि.	(-)130.73	710.27	709.09
(6) 2059-01-053-4144—अस्पतालों एवं चिकित्सालयों का निर्माण— (मूलभूत सेवाओं हेतु)—			
मूल	1,270.00		
पुनर्वि.	(-)115.37	1,154.63	1,154.63

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 60.53 लाख एवं ₹ 51.70 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 348.86 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 448.86 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 263.13 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 463.13 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.73 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 15.37 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 115.37 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2059-01-053-4608—मुद्रांक एवं पंजीयन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)53.16	46.84	46.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 53.16 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2059-60-053-3647—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का रख रखाव— मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)139.28	1,110.72	1,110.57	(-)0.15
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 89.28 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 139.28 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2059-60-053-7755—अतिविशिष्ट अतिथियों का भ्रमण— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,006.19	3,993.81	3,993.81	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,006.19 लाख की कमी वित्त विभाग के आदेशानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2059-60-053-794—कला और संस्कृति भवनों का रख रखाव— मूल 235.00 पुनर्वि. (-)80.00	155.00	160.20	+5.20
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 80.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418—क्रियान्वयन	33,982.85	28,966.06	(-)5,016.79
(12) 2059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3300—मण्डल स्थापना	2,236.59	1,560.51	(-)676.08
(13) 2059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3566—मुख्यालय स्थापना	3,310.14	2,322.18	(-)987.76
उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं 2016-17 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(14) 2059-80-052-9269—मशीनों का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन— मूल 540.00 पुनर्वि. (-)158.32	381.68	379.81	(-)1.87
(15) 2059-80-799-1051—स्टॉक— मूल 335.00 पुनर्वि. (-)282.24	52.76	52.76	0.00

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2059-80-799-4056-विविध लोक निर्माण पेशगियां— मूल 287.00 पुनर्वि. (-)278.62	8.38	8.01	(-)0.37
उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 158.32 लाख, ₹ 282.24 लाख एवं ₹ 278.62 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं 2011-12 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 2216-05-053-4095-विशेष मरम्मतें— मूल 1,487.00 पुनर्वि. (-)499.46	987.54	1,087.53	+99.99
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 399.46 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 499.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(18) 2216-80-001-2300-निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग संख्या 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना) का समानुपातिक भाग— मूल 3,605.10 पुनर्वि. (-)3,290.72	314.38	314.38	0.00
(19) 2216-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार (मांग संख्या 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)— मूल 1,293.30 पुनर्वि. (-)1,290.77	2.53	2.53	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,290.72 लाख एवं ₹ 1,290.77 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-053-2449-न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)— मूल 1,250.00 पुनर्वि. 87.35	1,337.35	1,340.55	+3.20

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 12.65 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 87.35 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2059-01-053-3692—राज्य विधान मण्डल—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	95.08	245.08	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.92 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 95.08 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(3) 2059-01-053-6220—लोक निर्माण विभाग—			
मूल	550.00		
पुनर्वि.	90.82	640.82	(-)3.03
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 9.82 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 90.82 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(4) 2059-01-053-6519—योजनाओं के अनुश्रवण व्यवस्था का सुदृढीकरण—			
मूल	2,600.00		
पुनर्वि.	100.00	2,700.00	(-)14.13
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(5) 2059-60-053-7425—नवीन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का रख रखाव—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	74.69	174.69	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 5.31 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 74.69 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(6) 2216-05-053-4489—सामान्य मरम्मतें—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	100.00	1,600.00	(-)14.48
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय को "2059—लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (v) में दिए गए हैं।

अनुदान संख्या 67—जारी

वर्ष 2020-21 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचित लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचित उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2020 को नामे (+)/ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2021 को नामे (+)/जमा (-)
2059—लोक निर्माण कार्य—	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-) 2,282.95	0.00	0.00	(-) 2,282.95
(ii) भण्डार	+1,786.16	52.76	0.00	+1,838.92
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,326.59	8.01	0.00	+334.60
योग	+6,829.80	60.77	0.00	+6,890.57

प्रभारित—

(vi) ₹ 56.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 56.89 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

पूँजीगत

दत्तमत—

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 (₹ 1,710.57 लाख) एवं दिसम्बर 2020 (₹ 500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,210.57 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(viii) ₹ 55,943.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 55,502.47 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)143.50	56.50	56.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.50 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059-01-051-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7412-द्वितीयक मानक एवं कार्यकारी मानक प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण हेतु— मूल 61.00 पुनर्वि. (-)61.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 61.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2450-न्याय प्रशासन— मूल 9,300.00 पूरक 114.67 पुनर्वि. (-)8,444.98	969.69	1,003.14	+33.45
---	--------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,444.98 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2407-निर्वाचन-			
मूल	283.00		
पुनर्वि.	(-)265.22	18.38	(-)0.60
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 165.22 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 265.22 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2449-न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	200.00	0.00	(-)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन-			
मूल	2,098.00		
पूरक	1.02		
पुनर्वि.	(-)980.29	1,118.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 980.29 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3694-राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस. सी. ई. आर. टी.) का पुर्नगठन-			
मूल	244.00		
पुनर्वि.	(-)244.00	0.00	0.00
(8) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3755-राष्ट्रीय सैन्य दल-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 244.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3855-लोक निर्माण कार्य- भवन-			
मूल	25,000.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)9,612.07	15,487.93	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 8,612.07 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 9,612.07 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4606-स्टॉम्प एवं पंजीयन- मूल 850.00 पुनर्वि. (-)684.44	165.56	165.56	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 659.44 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 684.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5049-राज्य विधान मण्डल- मूल 530.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)100.91	429.09	429.09	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.91 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5600-परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण- मूल 210.00 पुनर्वि. (-)166.68	43.32	23.32	(-)20.00
(13) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5651-होम गार्ड परिसर में निर्माण- मूल 526.90 पुनर्वि. (-)280.46	246.44	99.53	(-)146.91
(14) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग- मूल 1,090.00 पुनर्वि. (-)886.29	203.71	203.71	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 166.68 लाख, ₹ 280.46 लाख एवं ₹ 886.29 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) एवं 2016-17 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(15) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6220-लोक निर्माण विभाग- मूल 58.00 पुनर्वि. (-)58.00	0.00	0.00	0.00
(16) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6262-राज्य चुनाव आयोग- मूल 95.00 पुनर्वि. (-)95.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 67—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 58.00 लाख एवं ₹ 95.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन- मूल 2,066.00 पूरक 600.00 पुनर्वि. (-)2,241.24	424.76	424.76	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 125.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,116.24 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,241.24 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7274-लोक अभियोजन- मूल 184.00 पुनर्वि. (-)107.42	76.58	76.58	0.00
(19) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7716-मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं- मूल 530.00 पुनर्वि. (-)238.73	291.27	291.27	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 107.42 लाख एवं ₹ 238.73 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7717-प्रशिक्षण केन्द्र, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं- मूल 480.00 पुनर्वि. (-)480.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 380.00 लाख की अन्य कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 480.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8036-आबकारी विभाग- मूल 172.00 पुनर्वि. (-)150.00	22.00	0.00	(-)22.00
(22) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8040-जेल भवनों का निर्माण- मूल 2,935.52 पुनर्वि. (-)2,223.60	711.92	736.48	+24.56

उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 150.00 लाख एवं ₹ 2,223.60 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2008-09 से 2019-20 दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 4059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2418-निष्पादन-			
मूल	215.00		
पुनर्वि.	(-)215.00	0.00	0.00
₹ 215.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7673-विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)160.48	89.52	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.48 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(25) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	110.00		
पुनर्वि.	(-)110.00	0.00	+20.00
₹ 110.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3490-माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण-			
मूल	11,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,961.04	7,038.96	+242.84
(27) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5086-कॉलेज भवन का निर्माण-			
मूल	4,450.00		
पूरक	720.00		
पुनर्वि.	(-)3,535.69	1,634.31	+56.38
(28) 4202-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4402-शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय-			
मूल	248.00		
पुनर्वि.	(-)218.00	30.00	0.00
(29) 4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8071-पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)329.74	670.26	+23.13

उपरोक्त क्रम संख्या (26) से (29) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,961.04 लाख, ₹ 3,535.69 लाख, ₹ 218.00 लाख एवं ₹ 329.74 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (26), (27) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (26) एवं 2012-13 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 4202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 515—इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान भवनों का निर्माण— मूल 1,017.00 पुनर्वि. (-)1,017.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,017.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(31) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास— स्टेडियम इत्यादि— मूल 4,500.00 पूरक 70.00 पुनर्वि. (-)3,751.29	818.71	818.71	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,751.29 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5908—खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण— मूल 149.00 पुनर्वि. (-)149.00	0.00	0.00	0.00
₹ 149.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण—मूलभूत सेवाओं के लिये— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अधिकांश कार्य छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवाओं से सम्बद्ध विभाग द्वारा संपादित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 4210-02-101-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	(-)60.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अधिकांश कार्य छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवाओं से सम्बद्ध विभाग द्वारा संपादित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 4210-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) — 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 140.00 पुनर्वि. (-)134.31	5.69	5.88	+0.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.31 लाख की कमी अधिकांश कार्य छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवाओं द्वारा संपादित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(36) 4210-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण- मूल 240.00 पुनर्वि. (-)240.00	0.00	0.00	0.00
₹ 240.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अधिकांश कार्य छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवाओं से सम्बद्ध विभाग द्वारा संपादित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण- मूल 1,560.00 पुनर्वि. (-)1,259.98	300.02	300.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,259.98 लाख की कमी अधिकांश कार्य छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवाओं से संबद्ध विभाग द्वारा संपादित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(38) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4220-शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय- मूल 2,000.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. 209.26	2,709.26	2,285.47	(-)423.79
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 290.74 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 209.26 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2013-14 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(39) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8897-सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(40) 4216-01-106-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन के आवास गृह का निर्माण- मूल 12,532.00 पूरक 18.24 पुनर्वि. (-)10,102.99	2,447.25	2,531.68	+84.43
(41) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3125-भू राजस्व- मूल 80.00 पुनर्वि. (-)54.57	25.43	25.43	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (40) एवं (41) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 10,102.99 लाख एवं ₹ 54.57 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (40) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम (40) एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (41) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(42) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय केम्पस का निर्माण-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,452.52	47.48	47.48
			0.00
समर्पण द्वारा ₹ 952.52 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,452.52 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(43) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)484.61	115.39	115.39
			0.00
(44) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन के आवास गृह का निर्माण-			
मूल	233.00		
पूरक	6.64		
पुनर्वि.	(-)233.64	6.00	6.00
			0.00
(45) 4235-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7446-समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत परिसर (माना केम्प)/ घरौंदा योजना-			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	(-)55.64	4.36	4.36
			0.00
(46) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8935-लाइवलीहुड कालेज-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)135.83	14.17	14.17
			0.00
(47) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 976-आई. टी. आई. कार्यालय भवनों का निर्माण-			
मूल	466.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)182.36	283.64	293.43
			+9.79

उपरोक्त क्रम संख्या (43) से (47) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 484.61 लाख, ₹ 233.64 लाख, ₹ 55.64 लाख, ₹ 135.83 लाख एवं ₹ 182.36 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (47) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (43) एवं (45), 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (46) एवं 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (47) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (44) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 67—समाप्त

(x) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-7750—जेल भवनों का निर्माण—			
मूल	0.01		
पुनर्वि.	56.30	56.31	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 43.70 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 56.30 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(2) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3342—छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली—			
मूल	103.00		
पुनर्वि.	605.52	708.52	(-)3.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 394.48 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 605.52 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
मुख्य शीर्ष—			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	16,55,740	5,97,748	(—)10,57,992
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			10,60,019

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 10,579.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 10,600.19 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4059-01-796-051-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6333-भू-राजस्व कार्यालय— भवन— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)343.42	6.58	6.58	0.00
(2) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6333-भू-राजस्व— कार्यालय भवन— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)87.37	62.63	62.63	0.00
(3) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3490-माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)452.79	2,547.21	2,547.21	0.00

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5086-कॉलेज भवनों का निर्माण- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,870.61	629.39	651.11	+21.72
(5) 4202-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8071-पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)171.29	328.71	328.71	0.00
(6) 4202-02-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 515-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेजों एवं संस्थानों हेतु भवनों का निर्माण- मूल 467.00 पुनर्वि. (-)415.60	51.40	51.40	0.00
(7) 4202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि- मूल 3,246.00 पुनर्वि. (-)2,649.29	596.71	596.71	0.00
(8) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण- मूल 60.00 पुनर्वि. (-)57.01	2.99	3.10	(-)0.10
(9) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4220-शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)2,417.57	82.43	82.43	0.00
(10) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2631-पुलिस प्रशासन- मूल 900.00 पुनर्वि. (-)351.56	548.44	548.44	0.00
(11) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)127.87	172.13	172.13	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 343.42 लाख, ₹ 87.37 लाख, ₹ 452.79 लाख, ₹ 1,870.61 लाख, ₹ 171.29 लाख, ₹ 415.60 लाख, ₹ 2,649.29 लाख, ₹ 57.01 लाख, ₹ 2,417.57 लाख, 351.56 लाख एवं ₹ 127.87 लाख की कमी विभाग की कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), (6), (9) एवं (10), 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं (3) तथा 2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (4), (7) एवं (8) तथा 2012-13 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग की कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण- मूल 150.00 पुनर्वि. (-)125.97	24.03	24.03	0.00
(14) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8935-लाइवलीहुड कालेज- मूल 850.00 पुनर्वि. (-)574.16	275.84	275.84	0.00
(15) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 976-सूचना प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण- मूल 1,082.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)459.88	622.12	620.57	(-)1.55

उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (15) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 125.97 लाख, ₹ 574.16 लाख एवं ₹ 459.88 लाख की कमी विभाग की कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज का भुगतान			
2217—शहरी विकास			
राजस्व:			
मूल	90,64,400		
पूरक	1,000	90,65,400	79,64,725
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)11,00,675 11,00,675
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 372.60 पुनर्वि. (-)372.60	0.00	0.00	0.00
₹ 372.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7685—स्मार्ट सिटी— मूल 39,600.00 पुनर्वि. (-)10,500.00	29,100.00	18,600.00	(-)10,500.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 10,500.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 10,800.00 पुनर्वि. (-)5,111.00	5,689.00	5,689.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,111.00 लाख की कमी स्थानीय निकायों से प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 2,470.50 पुनर्वि. (-)1,644.41	826.09	826.09	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,644.41 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 200.10 पुनर्वि. (-)200.10	0.00	0.00	0.00
₹ 200.10 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्थानीय निकायों से प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)1,660.00	1,184.00	1,840.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,660.00 लाख की कमी स्थानीय निकायों से प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 688.50 पुनर्वि. (-)458.28	230.22	230.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 458.28 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 117.30 पुनर्वि. (-)117.30	0.00	0.00	0.00
₹ 117.30 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(9) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)850.00	950.00	950.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 850.00 लाख की कमी स्थानीय निकायों से प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 69—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 891.00 पुनर्वि. (-)593.06	297.94	297.94	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 593.06 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7706—अमृत मिशन— मूल 20,400.00 पुनर्वि. 10,500.00	30,900.00	41,400.00	+10,500.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,500.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3275—अन्य दूरसंचार सेवायें			
5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	12,58,594		
पूरक	17,199	12,75,793	3,56,303
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)9,19,490 5,19,542
पूंजीगत	6,50,010	3,50,000	(-)3,00,010
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,50,010

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 171.99 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 9,194.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 5,195.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ पब्लिक फायनेंस मैनेजमेंट— मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,259.22	740.78	140.78
			(-)600.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,259.22 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6382—सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	200.00	0.00	(-)200.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(3) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7900—छत्तीसगढ़ स्टेट स्पेशल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर— मूल	263.94		
पुनर्वि.	(-)0.01	263.93	0.00
			(-)263.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.01 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6410-मुख्य मंत्री ई-रिव्यू- मूल 400.00 पुनर्वि. (-)100.00	300.00	0.00	(-)300.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी प्रशासनिक प्रक्रिया में बिलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(5) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6413-बिल्डनेक्स्ट परियोजना- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)180.00	120.00	120.00	0.00
(6) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6818-स्वान परियोजना- मूल 2,300.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)363.68	1,936.32	1,536.32	(-)400.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 180.00 लाख एवं ₹ 363.68 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ क्रम संख्या (6) अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(7) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7276-स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना- मूल 3,138.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,614.00	1,524.00	0.00	(-)1,524.00
समर्पण द्वारा ₹ 1,569.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,614.00 लाख का कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7752-कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर संस्थान- मूल 224.70 पुनर्वि. (-)134.82	89.88	89.88	0.00
(9) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7773-सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फार इन्फ्रास्ट्रक्चर- मूल 75.00 पुनर्वि. (-)45.00	30.00	0.00	(-)30.00
(10) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7775-नागरिक संबंध केन्द्र परियोजना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)70.00	30.00	0.00	(-)30.00

अनुदान संख्या 71—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 134.82 लाख, ₹ 45.00 लाख एवं ₹ 70.00 लाख की कमी के कारणों के साथ क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017—18 से 2019—20 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (10) के दौरान बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7873—आधार परियोजना (विशिष्ट पहचान)	70.00	0.00	(-)70.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8726—छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना—			
मूल	1,150.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	150.00	150.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,000.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8955—राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना—			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	700.00	150.00
			(-)550.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8546—मुख्य मंत्री डैशबोर्ड योजना—			
मूल	0.01		
पुनर्वि.	59.94	59.95	59.95
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 71.99 लाख की वृद्धि लंबित देयको के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 12.05 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 59.94 लाख का आर्वधन उल्लिखित किया गया है। समर्पण द्वारा कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

पूँजीगत :

(iv) ₹ 3,000.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,500.10 लाख की राशि अम्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 71—समाप्त

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5275-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 7892-भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-),500.00	0.00	0.00
₹ 1,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृती प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 5275-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7861-संचार क्रान्ति योजना	5,000.00	3,500.00	(-),1,500.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत			
मूल	69,73,100		
पुनर्वि.	5,000	69,78,100	17,68,721
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)52,09,379 52,01,326

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 52,093.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 52,013.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-02-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-			
5516-वृहद सिंचाई परियोजना			
निर्माण कार्य (नाबार्ड)-			
मूल	15,000.00		
पुनर्वि.	(-)13,760.40	1,239.60	1,232.66
			(-)6.94

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,760.40 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण निविदा कार्य में विलम्ब होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4700-03-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-

5516-वृहद सिंचाई परियोजना
निर्माण कार्य (नाबार्ड)-

मूल 6,000.00

पुनर्वि. (-)3,296.15

2,703.85

2,621.85

(-)82.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,296.15 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण निविदा कार्य में विलम्ब होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4700-04-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-

5516-वृहद सिंचाई परियोजना
निर्माण कार्य (नाबार्ड)-

मूल 900.00

पुनर्वि. (-)659.14

240.86

240.86

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 659.14 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4700-05-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 3,000.00 पूरक 50.00 पुनर्वि. (-)1,224.60	1,825.40	1,836.82	+11.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,224.60 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4700-07-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4700-09-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 4,500.00 पुनर्वि. (-)4,500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 4,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के बंद होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4700-10-800-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4700-10-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 1,300.00 पुनर्वि. (-)899.37	400.63	400.63	0.00
₹ 899.37 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4700-11-800-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4700-11-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,998.36	1.64	1.64	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,988.96 लाख की कमी एजेन्सी का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4700-12-800-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4700-12-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 5,500.00 पुनर्वि. (-)5,000.01	499.99	499.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,000.01 लाख की कमी, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4701-01-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)188.92	11.08	10.61	(-)0.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 188.92 लाख की कमी, कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4701-06-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4701-08-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,430.00 पुनर्वि. (-)1,280.66	1,149.34	1,149.34	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,280.66 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 4701-09-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4701-12-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(18) 4702-101-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5189-लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,094.56	905.44	905.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,094.56 लाख की कमी, कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(19) 4702-101-0312-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5189-लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)3,596.88	3,403.12	3,403.12	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,596.88 लाख की कमी वृक्षारोपण से संबंधित प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4702-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 9469-नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत- मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)10,326.91	4,673.09	4,670.55	(-)2.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,326.91 लाख की कमी वृक्षारोपण से संबंधित प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 75—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4702-05-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-			
5188-मध्यम सिंचाई परियोजना			
निर्माण कार्य (नाबार्ड)-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	313.70	713.70	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी निविदा कार्य के तहत निर्माण की देनदारियों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 86.30 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 313.70 लाख का आर्वधन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
मूल	73,00,000		
पूरक	सांकेतिक	45,30,306	(-)27,69,694
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	73,00,000		27,56,886

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 27,696.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 27,568.86 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-II-			
मूल	400.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00

₹ 400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जाति उपयोजना)-

7922-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड

डेवलपमेन्ट सेक्टर

प्रोजेक्ट, फेज-III-

मूल
 13,000.00 | | || पुनर्वि. | (-)6,305.85 | 6,694.15 | 6,675.75 |
| | | | (-)18.40 |

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,305.85 लाख की कमी प्रशासनिक प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-

7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड

डेवलपमेन्ट सेक्टर

प्रोजेक्ट, फेज-II-

मूल
 600.00 | | || पूरक | सांकेतिक | | |
| पुनर्वि. | (-)600.00 | 0.00 | 0.00 |

पुनर्वि.
 (-)600.00 | 0.00 | 0.00 |

अनुदान संख्या 76—समाप्त

₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011—12 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 5054—03—337—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7922—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज—III— मूल 18,000.00 पुनर्वि. (-)14,118.52	3,881.48	3,880.48	(-)1.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14,118.52 लाख की कमी प्रशासनिक प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 5054—03—337—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज—II— मूल 1,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054—03—337—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7922—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज—III— मूल 40,000.00 पुनर्वि. 5,144.49	34,855.51	34,746.83	(-)108.68
---	-----------	-----------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,144.49 लाख की कमी प्रशासनिक प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	91,98,262		
पूरक	99,956	92,98,218	71,32,255
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)21,65,963 00
प्रभारित	320	00	(-)320 00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	13,18,137		
पूरक	8,82,546	22,00,683	10,02,174
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)11,98,509 00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 (₹ 799.56 लाख) एवं दिसम्बर 2020 (₹ 200.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 999.56 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 21,659.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-800-5499-सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	500.00	0.00	(-)500.00
(2) 2071-01-800-8676-सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	70.00	0.00	(-)70.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2008-09 से 2019-20 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2210-01-110-6385-चिकित्सा महाविद्यालय

सम्बद्ध चिकित्सालय—

मूल 25,969.65

पूरक 324.60

26,294.25

20,899.68

(-)5,394.57

अत्यधिक राशि बचत होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2210-01-110-6389—सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय	2,915.40	2,463.52	(-)451.88
(5) 2210-02-101-4286—संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	434.10	316.52	(-)117.58
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(6) 2210-02-101-461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढीकरण— मूल 1,154.30 पूरक 21.50	1,175.80	794.21	(-)381.59
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4194—सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय एवं भंडार	519.80	277.79	(-)242.01
(8) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	2,166.65	1,519.65	(-)647.00
(9) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5683—जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठों की स्थापना	906.10	718.34	(-)187.76
(10) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7511—आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल	620.70	477.62	(-)143.08
(11) 2210-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)	472.50	374.14	(-)98.36
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(12) 2210-04-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय— मूल 11,843.30 पुनर्वि. (-)374.86	11,468.44	8,881.08	(-)2,587.36
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 374.86 लाख की कमी के साथ अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2210-04-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)	478.40	304.74	(-)173.66
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2210-05-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय— मूल 2,341.40 पुनर्वि. 374.87	2,716.27	2,260.84	(-)455.43
₹ 274.87 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2007-08 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(15) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1355—चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	380.00	279.28	(-)100.72
(16) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6386—चिकित्सा,दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 27,253.00 पूरक 653.46	27,906.46	22,257.38	(-)5,649.08
(17) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8897—सिकल सेल इंस्टिट्यूट की स्थापना	775.00	302.48	(-)472.52
(18) 2210-06-003-6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र	2,136.30	451.47	(-)1,684.83
(19) 2210-06-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र	785.52	328.44	(-)457.08
(20) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	2,571.70	1,493.85	(-)1,077.85
(21) 2210-06-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7279—चिकित्सा महाविद्यालय	850.00	320.00	(-)530.00

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 3.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2021 को कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 (₹ 8,707.26 लाख) एवं दिसम्बर 2020 (₹ 118.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,825.46 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 11,985.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 79—समाप्त

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 6385-चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय- मूल 340.00 पूरक 2,919.26	3,259.26	1,883.18	(-)1,376.08
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(2) 4210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 6387-कैंसर संस्थान	500.00	0.00	(-)500.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(3) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय	494.00	39.91	(-)454.09
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(4) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6389-सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय- मूल 1,710.00 पूरक सांकेतिक	1,710.00	1,565.88	(-)144.12
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(5) 4210-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4136-आयुर्वेद भवन का निर्माण	100.00	0.00	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(6) 4210-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 6386-चिकित्सा,दंत,फिजियोथेरेपी महाविद्यालय- मूल 346.55 पूरक 4,195.49	4,542.04	2,407.09	(-)2,134.95
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(7) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6386-चिकित्सा,दंत,फिजियोथेरेपी महाविद्यालय- मूल 9,305.00 पूरक 213.20	9,518.20	3,432.29	(-)6,085.91
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(8) 4210-04-101-0311-नाबॉर्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 6441-कोविड-19 संक्रमण का उपचार और रोकथाम	997.50	0.00	(-)997.50
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(9) 4210-04-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6388-चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र	822.82	687.36	(-)135.46
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 80—त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2215—जलापूर्ति तथा सफाई

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236—पोषण

2403—पशु-पालन

2405—मछली पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

2853—अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग

3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन

4515—अन्य ग्रामीण कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय

राजस्व:

मूल 2,67,65,421

पूरक 66,87,186

3,34,52,607

2,94,47,366

(-)40,05,241

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2021)

41,26,937

पूंजीगत

14,80,000

7,21,037

(-)7,58,963

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2021)

7,58,963

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 66,871.86 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ एवं यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था, जबकि अगस्त 2020 के प्रथम अनुपूरक बजट प्रावधान में सांकेतिक राशि का प्रावधान किया गया था।

(ii) ₹ 40,052.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 41,269.37 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(-)

(1) 2202-01-197-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए

अनुदान मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए—

मूल 4,688.00

पुनर्वि. (-)1,653.38

3,034.62

3,048.46

+13.84

(2) 2202-02-196-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए

अनुदान मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए—

मूल 3,691.00

पुनर्वि. (-)870.80

2,820.20

2,820.20

0.00

अनुदान संख्या 80-जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,653.38 लाख एवं ₹ 870.80 लाख की कमी शिक्षकों का पंचायत विभाग में संविलियन होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2014-15 से 2019-2020 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2215-01-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण-			
मूल	165.00		
पुनर्वि.	(-)60.86	104.14	(-)0.89
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.86 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण वित्त विभाग द्वारा बजट में कटौती किए जाने एवं मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2215-01-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2219-नलकूपों का अनुरक्षण-			
मूल	3,400.00		
पुनर्वि.	(-)637.81	2,762.19	+0.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 637.81 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण वित्त विभाग द्वारा बजट में कटौती किए जाने एवं मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235-60-198-4858-सुखद सहारा योजना-			
मूल	7,350.00		
पुनर्वि.	(-)360.67	6,989.33	(-)0.03
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 360.67 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235-60-198-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	28,977.00		
पुनर्वि.	(-)787.42	28,189.58	(-)0.42
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 787.42 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	972.00		
पुनर्वि.	(-)310.45	661.55	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 310.45 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	7,523.00		
पूरक	5,491.03		
पुनर्वि.	(-)1,870.14	11,143.89	+3.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,870.14 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-			
मूल	2,736.00		
पूरक	1,429.19		
पुनर्वि.	(-)386.33	3,778.86	3,773.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 386.33 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			(-)5.68
(10) 2235-60-198-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7340-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन-			
मूल	450.70		
पूरक	251.64		
पुनर्वि.	(-)117.02	585.32	585.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 117.02 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+0.06
(11) 2405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3319-मत्स्य पालन प्रसार-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)68.29	231.71	231.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 68.29 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण शासन के आदेशानुसार व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(12) 2405-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4427-मछुआरा सहकारी समितियों को अनुदान-			
मूल	284.00		
पुनर्वि.	(-)60.02	223.98	223.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.02 लाख की कमी व्यय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(13) 2515-101-7791-पंचायत पदाधिकारियों का सम्मेलन-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)375.13	624.87	624.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 375.13 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(14) 2515-196-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7788-जिला पंचायत विकास निधि-			
मूल	660.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	600.00	600.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			0.00

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2515-198-6429-15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 77,130.00 पूरक 31,920.00 पुनर्वि. (-)431.28	1,08,618.72	1,08,618.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 431.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(16) 2515-198-7640-ग्राम पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान— मूल 704.00 पुनर्वि. (-)423.10	280.90	280.90	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 423.10 लाख की कमी शासन के अनुमोदन अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2515-198-7675-14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 17,305.00 पुनर्वि. (-)17,305.00	0.00	0.00	0.00
₹ 17,305.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2515-198-8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)370.28	6,629.72	6,629.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 370.28 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2515-198-8918-विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)323.97	676.03	676.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 323.97 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(20) 2515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 5848-ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान— मूल 21,000.00 पुनर्वि. (-)1,761.34	19,238.66	19,238.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,761.34 लाख की कमी शासन के अनुमोदनानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(21) 2515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7687-मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना— मूल 1,204.00 पुनर्वि. (-)1,204.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,204.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7789-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)674.46	1,325.54	1,325.54
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 674.46 लाख की कमी शासन के अनुमोदन के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2515-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7893-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-			
मूल	1,520.00		
पुनर्वि.	(-)1,264.17	255.84	255.84
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,264.17 लाख की कमी शासन के अनुमोदन के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2515-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,143.34	356.66	356.66
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,143.34 लाख की कमी शासन के अनुमोदन के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(25) 2853-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण-			
मूल	15,679.75		
पुनर्वि.	(-)9,610.27	6,096.48	6,096.48
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,610.27 लाख की कमी शासन द्वारा पंचायतों को अंतरण हेतु स्वीकृति आदेशानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 3604-197-0480-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि-			
4610-स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध पंचायतों को अनुदान-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)943.42	6,056.58	6,056.58
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 943.42 लाख की कमी शासन के अनुमोदन के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 80—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-198-7921-मुख्यमंत्री पेंशन योजना-			
मूल	14,280.00		
पुनर्वि.	1,148.09	15,428.09	16,635.37
			+1,207.28

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,148.09 लाख का आवर्धन विधवा परित्यका को पेंशन भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

पूँजीगत :

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,139.52	5,860.48	5,860.48
			0.00
(2) 4515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 8986-मुख्य मंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना-			
मूल	7,500.00		
पुनर्वि.	(-)6,300.00	1,200.00	1,200.00
			0.00
(3) 4515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 8991-गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)150.11	149.89	149.89
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 6,300.00 लाख एवं ₹ 150.11 लाख की कमी शासन के अनुमोदन अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4215—जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,74,50,155		
पूरक	39,27,372	2,13,77,527	1,65,65,935
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)48,11,592 48,42,910
<i>प्रभारित</i>	<i>7,63,391</i>	<i>7,63,391</i>	<i>00</i>

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	54,04,668		
पूरक	2,90,000	56,94,668	53,24,668
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)3,70,000 3,70,000

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹ 8,080 हजार जून 2020 में आहरित एवं फरवरी 2021 में प्रतिपूरित किया गया।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2020 (₹ 1,800.00 लाख) एवं दिसम्बर 2020 (₹ 37,473.72 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 39,273.72 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 48,115.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 48,429.10 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7845-नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2217-05-191-6429-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 22,750.00 पूरक 17,204.64 पुनर्वि. (-)17,204.64	22,750.00	22,750.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17,204.64 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 2217-05-191-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 6,392.80 पुनर्वि. (-)6,392.80	0.00	0.00	0.00
₹ 6,392.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6439-गौठानों का संचालन— पूरक 180.00 पुनर्वि. (-)102.35	77.65	87.65	+10.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.35 लाख की कमी कृषि विभाग द्वारा योजना संचालित होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(5) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2217-05-192-6429-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 6,300.00 पूरक 10,732.48 पुनर्वि. (-)10,732.48	6,300.00	6,300.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,732.48 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2217-05-192-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 2,200.80 पुनर्वि. (-)2,200.80	0.00	0.00	0.00
₹ 2,200.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2217-05-192-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7260-शहर की बुनियादी सेवाओं के लिए अनुदान-			
मूल	726.53		
पुनर्वि.	(-)63.06	663.47	663.47
			0.00
₹ 63.06 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(9) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6439-गौठानों का संचालन-			
पूरक	540.00		
पुनर्वि.	(-)360.24	179.76	201.76
			+22.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 360.24 लाख की कमी कृषि विभाग द्वारा योजना संचालित होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(10) 2217-05-193-6429-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	5,950.00		
पूरक	7,062.88		
पुनर्वि.	(-)7,062.88	5,950.00	6,181.60
			+231.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,062.88 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(11) 2217-05-193-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	1,886.40		
पुनर्वि.	(-)1,886.40	0.00	0.00
			0.00
₹ 1,886.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2217-05-193-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7260-नगरीय निकायों की मूलभूत सेवाओं के लिए अनुदान-			
मूल	744.18		
पुनर्वि.	(-)139.87	604.31	604.31
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.87 लाख की कमी संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6439-गौठानों का संचालन-			
पूरक	1,080.00		
पुनर्वि.	(-)702.08	377.92	426.72
			+48.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 702.08 लाख की कमी कृषि विभाग द्वारा योजना संचालित होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(14) 2235-60-191-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	2,940.00		
पुनर्वि.	(-)91.48	2,848.52	2,848.52
			0.00

अनुदान संख्या 81-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2235-60-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	320.00		
पुनर्वि.	(-)81.80	238.20	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 91.48 लाख एवं ₹ 81.80 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण व्यय में कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2235-60-191-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	1,320.00		
पूरक	589.84		
पुनर्वि.	(-)88.30	1,821.54	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 50.55 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 37.75 लाख की अन्य कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 88.30 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(17) 2235-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7589-नगरी बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रिक पद्धति से भुगतान हेतु अनुदान-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2020)। 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2235-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7921-मुख्यमंत्री पेंशन योजना-			
मूल	336.00		
पुनर्वि.	(-)221.36	114.64	(-)0.01
(19) 2235-60-192-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	1,680.00		
पुनर्वि.	(-)77.39	1,602.61	+0.01
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 221.36 लाख एवं ₹ 77.39 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2235-60-193-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	1,620.00		
पुनर्वि.	(-)111.39	1,508.61	0.00
समर्पण द्वारा ₹ 46.76 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 64.63 लाख की अन्य कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 111.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 81-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2235-60-193-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)89.00	111.00	0.00
(22) 2235-60-193-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	486.00		
पूरक	286.98		
पुनर्वि.	(-)96.54	676.44	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 89.00 लाख एवं ₹ 96.54 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7921-मुख्य मंत्री पेंशन योजना-			
मूल	252.00		
पुनर्वि.	64.63	316.63	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.63 लाख का आवर्धन विधवा पेंशन भुगतान के अंतर्गत व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 2,900.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6217-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-शहरी बुनियादी ढांचे का विकास-			
मूल	630.00		
पुनर्वि.	(-)630.00	0.00	0.00

₹ 630.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 6217-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	581.00		
पुनर्वि.	(-)581.00	0.00	0.00

₹ 581.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 81—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-शहरी बुनियादी ढांचे का विकास-			
मूल	2,010.00		
पुनर्वि.	(-)2,010.00	0.00	0.00
₹ 2,010.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	59.50		
पुनर्वि.	(-)59.50	0.00	0.00
₹ 59.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2012-13 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-शहरी बुनियादी ढांचे का विकास-			
मूल	360.00		
पुनर्वि.	(-)360.00	0.00	0.00
₹ 360.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	59.50		
पुनर्वि.	(-)59.50	0.00	0.00
₹ 59.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु-पालन			
2405—मछली-पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2853—अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व			
मूल	36,06,601		
पूरक	सांकेतिक	36,06,601	23,88,582
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			(-)12,18,019 13,60,857
पूंजीगत	13,00,000	2,25,000	(-)10,75,000 10,75,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 12,180.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 13,608.57 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4691-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)51.70	348.30	348.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 51.70 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			0.00
(2) 2202-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00
₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 4,900.00 पुनर्वि. (-)3,377.11	1,522.89	3,530.47	+2,007.58

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,377.11 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग में किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-02-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 7,100.00 पुनर्वि. (-)1,280.57	5,819.43	3,810.97	(-)2,008.46
---	----------	----------	-------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,280.57 लाख की कमी शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग में किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2235-60-796-198-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना— मूल 440.00 पुनर्वि. (-)141.60	298.40	298.40	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 141.60 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2236-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8891—फुलवारी योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2405-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7814—नीलक्रान्ति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 1,155.00 पुनर्वि. (-)199.63	955.37	422.03	(-)533.34
---	--------	--------	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 179.64 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा योजना बंद किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.99 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 199.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2405-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3319-मत्स्य प्रसार- मूल 400.00 पुनर्वि. (-)137.60	262.40	262.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.60 लाख की कमी ऋण प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने एवं कोविड-19 महामारी में राज्य शासन के आदेशानुसार कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2515-796-196-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उप योजना) 7788-जिला पंचायत विकास निधि- मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)100.00	1,000.00	1,000.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(10) 2515-796-197-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उप योजना) 7848-जनपद पंचायत के लिए विकास निधि- मूल 1,460.00 पुनर्वि. (-)150.00	1,310.00	1,310.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।			
(11) 2515-796-198-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उप योजना)- 7687-मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना- मूल 120.40 पुनर्वि. (-)120.40	0.00	0.00	0.00
₹ 120.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7893-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,663.38	336.62	336.62	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,663.38 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2853-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण- मूल 6,987.11 पुनर्वि. (-)4,283.69	2,703.42	2,786.30	+82.88

अनुदान संख्या 82—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,283.69 लाख की कमी शासन के आदेशानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	5,070.00	6,066.94	+996.94
(2) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	1,872.00	2,185.41	+313.41

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(3) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6449-प्रधान मंत्री मत्स्य योजना-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	179.50	179.50	712.84
			+533.34

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 179.64 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा निधि की प्रतिपूर्ति किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.14 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 179.50 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-796-198-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8986-मुख्य मंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना-			
मूल	12,500.00		
पुनर्वि.	(-)10,500.00	2,000.00	2,000.00
			0.00
(2) 4515-796-198-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8991-ग्रामीण सड़कों में आंतरिक विद्युतीकरण-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	250.00	250.00
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 10,500.00 लाख एवं ₹ 250.00 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	5,16,613	5,23,101	+6,488
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			7,277

पूंजीगत	8,41,868	8,41,868	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 64,88,100 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 64.88 लाख का अधिक्य के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 72.77 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान से आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235—60—796—191—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	186.00	213.43	+27.43

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(2) 2235—60—796—192—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	198.00	237.54	+39.54
---	--------	--------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य निम्न बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235—60—796—191—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना— मूल	60.00		
पुनर्वि.	(-)-33.80	26.20	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 33.80 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने से कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 एवं 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें अधिक(+)/कमी(-)
01. सामान्य प्रशासन पूँजीगत— दत्तमत	00	361	+361
03. पुलिस राजस्व— दत्तमत	00	6,200	+6,200
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व— दत्तमत	00	3,010	+3,010
06. वित्त विभाग से संबंधित व्यय राजस्व— दत्तमत	00	65,808	+65,808
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व— दत्तमत	1,80,000	00	(-)1,80,000
पूँजीगत— दत्तमत	22,75,000	00	(-)22,75,000
10. वन राजस्व— दत्तमत	50,40,000	70,00,505	+19,60,505
11. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय पूँजीगत— दत्तमत	00	1,000	+1,000
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय राजस्व— दत्तमत	1,25,000	1,25,000	00
पूँजीगत— दत्तमत	10,00,310	10,00,000	(-)310
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व— दत्तमत	00	446	+446
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व— दत्तमत	2,00,010	4,804	(-)1,95,206

परिशिष्ट-I-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
	(₹ हजार में)		
23. जल संसाधन विभाग राजस्व-			
दत्तमत	25,65,832	267	(-)25,65,565
पूँजीगत-			
दत्तमत	200	00	(-)200
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल पूँजीगत-			
दत्तमत	00	26,62,835	+26,62,835
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय राजस्व-			
दत्तमत	17,400	2,290	(-)15,110
पूँजीगत-			
दत्तमत	7,16,203	8,83,025	+1,66,822
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना राजस्व-			
दत्तमत	95,000	95,306	+306
पूँजीगत-			
दत्तमत	7,60,950	7,82,314	+21,364
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय- राजस्व-			
दत्तमत	32,12,000	71,74,981	+39,62,981
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,000	00	(-)2,000
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना राजस्व-			
दत्तमत	30,000	30,000	00
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,40,300	2,40,250	(-)50
67. लोक निर्माण कार्य-भवन राजस्व-			
दत्तमत	25,61,328	10,33,303	(-)15,28,025
पूँजीगत-			
दत्तमत	7,90,857	00	(-)7,90,857

परिशिष्ट-I-समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
76. लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूंजीगत— दत्तमत	00	1,442	+1,442
80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व— दत्तमत	7,50,000	6,05,658	(-)1,44,342
योग—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,47,76,570	1,61,47,578	+13,71,008
प्रभारित	00	00	00
पूंजीगत—			
दत्तमत	57,85,820	55,71,226	(-)2,14,594
प्रभारित	00	00	00
महायोग—			
राजस्व	1,47,76,570	1,61,47,578	+13,71,008
पूंजीगत	57,85,820	55,71,226	(-)2,14,594

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

2020-21 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित किया गया।

(₹ हजार में)

संख्या और अनुदान का नाम	लेखे का मुख्य शीर्ष	अग्रिम से खर्च	अग्रिम की मंजूरी की तारीख	अग्रिम की प्रतिपूर्ति की तारीख
10-वन	2406	33,862	03.06.2020	मार्च 2021
30-पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	2515	92,000	16.06.2020	मार्च 2021
81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217	8,080	16.06.2020	फरवरी 2021
कुल		1,33,942		

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2022
www.cag.gov.in



agaechhattisgarh@cag.gov.in